राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 36 वां दिवस संख्या-20

गुरुवार,

27 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी गहलोत।

जोधपुर सम्भाग के विद्युतीकरण की योजना

520. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- राज्य में 440 के. वी. व 220 के. वी. क्षमता की कुल कितने किलोमीटर लाइनें हैं ? जोधपुर सम्भाग में कुल कितने किलोमीटर लाइनें आती है और कौन-कौनसी ? क्या सरकार जोधपुर सम्भाग के विद्युतीकरण के लिये वर्ष 1995-96 में कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : राज्य में वर्ष 1994-95 में (मार्च, 1995 तक) 400 के. वी. क्षमता की 385.929 किलोमीटर (पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा संचालित), 220 के.वी. क्षमता की 5838 किलोमीटर (पावर ग्रिड कारपोरेशन की 846 किलोमीटर लाइनों सहित) एवं 132 के. वी. क्षमता की 7913 किलोमीटर लाइनें हैं। इसमें से जोधपुर सम्भाग में 220 के. वी. क्षमता की लगभग 293.872 किलोमीटर व 132 के. वी. क्षमता की लगभग 1755.45 किलोमीटर लाइनें हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। जोधपुर सम्भाग में वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित विभिन्न लाइनों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 440 के. वी., जी. एस. एस. जोधपुर सम्भाग में नहीं होने से इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के कितने लासेज हो रहे हैं ? वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो रहा है उसे

②

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सुधारने के क्या उपाय किये जायेंगे ? जोधपुर की मांग से कम सप्लाई की पूर्ति कैसे की जायेगी ?

दूसरा, 440 के. वी., जी. एस. एस. जोधपुर सम्भाग में नहीं होने से जो विद्युत छीजत हो रही है उसको रोकने के क्या उपाय किये जायेंगे ?

तीसरा, जोधपुर शहर का विद्युत तन्त्र सुधारने के लिये कोई योजना स्वीकृत की गयी है तो उसका कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा व उस पर कितना व्यय होगा ?

चौथा, जोधपुर शहर में निजी क्षेत्र में जो डीजल-बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? उसकी क्या क्षमता रहेगी ? इस पर कितना व्यय होगा ? यह कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? मथानिया में सौर ऊर्जा संयंत्र कब तक सृजित कर दिया जायेगा ? इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, 400 के.वी. लाइन सब स्टेशन की जोधपुर में कोई आवश्यकता नहीं है । 400 के. वी. का सब स्टेशन 90 करोड़ रुपये में बनता है और अभी वहां आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता होगी तो विचार करेंगे ।

दूसरा, राजस्थान के छह शहरों के सिस्टम इम्प्रूवमेंट की स्वीकृति पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ली है उनमें एक जोधपुर भी है । यह योजना 23 करोड़, 14 लाख 27 हजार रुपये की है जिस पर इसी वर्ष काम शुरू किया जायेगा ।

राजस्थान में जो डीजल पर आधारित सौ मेगावाट के विद्युत गृह लगाने की बात है उनमें से एक जोधपुर के लिए भी प्रस्तावित है । जोधपुर तो वैसे ही बिजली की दृष्टि से अब सम्पन्न होगा क्योंकि जैसलमेर में पन्द्रह सौ मेगावाट जालिपा कपूरडी में आ रही है, तीन मेगावाट अभी 19 तारीख से शुरू हो गयी, 35 मेगावाट जून-जुलाई तक रामगढ़ से आ रही है । आगे भी जैसे-जैसे गैस मिलती जाएगी रामगढ में एक 35 मेगावाट का और प्रस्तावित है । अभी मथानिया में जो चल रहा है, मथानिया में सैण्ट्रल गवर्नमेंट का स्वामित्व रहेगा लेकिन उसका संचालन आर. एस. ई. बी. करेगी । इसके लिये 'भेल' से यह कहा गया है सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी विदेशी कम्पनी से बात करें । जोधपुर तो अब कोटा से भी बड़ा केन्द्र बनने वाला है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में आप जैसे कह रहे हैं 440 के. वी. की क्षमता के जी. एस. एस. की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन लाइनों की लम्बाई इतनी होने से व जोधपुर के टेल एण्ड पर होने के कारण आज 23 पर्सेण्ट छीजत हो रही है, और इसके कारण जोधपुर का वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रहा है । उसको सुधारने के लिये यदि काम नहीं किया गया तो हम उत्पादन चाहे कितना

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

ही कर लें, जो छीजत हो रही है उसको रोकना जरूरी है। इसके लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दो पच्चीस एम. वी. ए. क्षमता के नये 132 के. वी. के सब स्टेशन गंलेना रोड पर प्रस्तावित हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह आपके सब-स्टेशन प्रस्तावित तो हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये आपने आश्वासन भी दिया है कि मथानिया के अन्दर है लेकिन जब हम उधर बैठते थे तब ही से यह मथानिया चल रहा है। मथानिया के अन्दर जैसलमेर के लिए कई दिनों से आप सौर ऊर्जा का कर रहे हैं और आखिर में जाकर के आपने कहा कि तीन मेगावाट बिजली आ जायेगी। जोधपुर शहर राजस्थान के दूसरे नम्बर का शहर है। आप तो बिजली में लो मजा और उस शहर के अन्दर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रोजाना बिजली बन्द रहे। अब आ रही है इतनी भयंकर गर्मी, इस गर्मी के अन्दर हमारे पंखे भी नहीं चलेंगे, कूलर चलाना तो दूर की बात है। कोरे आश्वासन देना कि कपूरड़ी में आप के लिये योजना बना रहा हूं, वह आ जायेगी तो आपकी समस्या हल हो जायेगी लेकिन तब तक आप कहां रहेंगे और हम कहां रहेंगे और कपूरड़ी में कब होगी ? मुख्य मंत्री जी, इन आश्वासनों से कुछ होना नहीं है, आप कृपया यह बतला दीजिये........

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कपूरड़ी बोलो कूलड़ी नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कपूरड़ी ही बोल रहा हूं, कूलड़ी नहीं कह रहा हूं। आप के कान में आज कुछ भैठी है। कपूरड़ी की योजनाएं और यह योजनाएं, अभी तक तो आपने उसमें कुछ शुरू ही नहीं किया है। इन आश्वासनों पर मत जाइये, कृपया आप हमको यह बता दीजिये। टेल एण्ड पर होने की वजह से सबसे ज्यादा अगर दुःखी कोई शहर है तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर और यह इलाका है। इनके अन्दर कोई भी जवाब आपसे मांगते हैं तो आप कह देते हैं जैसलमेर के अन्दर यह हो रहा है, बाड़मेर में हम यह करने जा रहे हैं। वह तो आठ वर्ष में ही पूरा नहीं होगा, तब तक न मालूम दुनियां कहां की कहां पहुंच जायेगी। हमको एग्जेक्ट डेट दीजिये और यह बताइये कि इस तारीख तक आपका 25 या 35 मेगावाट का संयंत्र जैसलमेर में शुरू हो जायेगा और जोधपुर शहर की बिजली की समस्या का समाधान हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, यह बात सही है कि जोधपुर को खेतसिंह जी ने बहुत उपेक्षित रखा है और हम वह सारी कमी पूरी करने जा रहे हैं। अभी तक आप टेल एण्ड पर हैं हम आपको हैड पर बना रहे हैं। तीन मेगावाट 19 तारीख को शुरू हो गयी। तीन मेगावाट मायने रखती है राजस्थान में। यह कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई महत्व नहीं है तीन मेगावाट

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

का। 35 मेगावाट की तारीख बता रहा हूं आपको, जून से लेकर अगस्त तक 35 मेगावाट आ जायेगी रामगढ़ की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तीन मेगावाट बाड़मेर में हो गयी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप सुनिये तो सही, जोधपुर सम्भाग की बात हो रही है। जोधपुर का सम्भाग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाड़मेर लोक सभा सीट में शेरगढ़ आता है। आप कैसे कह रहे हैं कि बाड़मेर में हो गयी मेरा क्या लेना देना ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा ? पार्लियामेंट सीट में शेरगढ़ आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो यह बताइये, हमने पता भी लगाया है कि आप जो यह 35 मेगावाट वाली बिजली पैदा कर रहे हैं, यह जोधपुर शहर में और जोधपुर जिले को देंगे, क्या यह सही है ? यह कब शुरू हो जाएगा ? मेरे दो प्रश्न हैं, आप जवाब दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बता दिया न जून से लेकर अगस्त तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिले को दिया जायेगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्यों नहीं हुआ ? फिर यह बीकानेर को देंगे या किस जिले को देंगे ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 35 मेगावाट जून से लेकर अगस्त तक के बीच में आ जायेगी और अगली 35 का जैसे जैसे गैस उपलब्ध होगी, रामगढ़ में उत्पादन का काम किया जायेगा। ऐसे ही यह कपूरड़ी और जालिपा हैं, इनकी अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की थीं उनको भी आज 8-10 महीने हो गये हैं। एक-एक करके पूरे स्टेज को पार करते हुए अब पी.पी.ए. उनको सर्व हो गया है और उम्मीद है कि दो-ढाई महीने में अभी तक 6 पार्टीज छांटी हैं, एक पार्टी का सलेक्शन कर लिया जायेगा जिससे हमारा बिजली का उत्पादन जल्दी से जल्दी शुरू होगा।

मान्यवर, आप तो अनुभवी हैं, यह आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में कितना समय लगता है। अब आप यह कहें कि इसमें देर क्यों लग रही है ? हम इसमें बिलकुल समयबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं जिस तारीख को जो काम पूरा करना है, टाइम टेबल बना रखा है। हम एक दिन उसमें ढिले नहीं होते हैं, उसको इतनी सतर्कता से चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिजली की दृष्टि से राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा। जोधपुर बिजली के मामले में अब तक टेल एण्ड पर है और टेल एण्ड होने के बाद जैसे बिलाड़ा में 220

(श्री रामनारायण डूडी)

के. वी. का ग्रिड स्टेशन बन गया, बिलाड़ा से जोधपुर का ग्रिड स्टेशन हो गया। बीच में बोरू दा, पीपाड़, हरियाढ़ाणा, खारिया खंगार, भोपालगढ़, यह एरियाज जो लाइम स्टोन के बैल्ट हैं यहां पर इण्डस्ट्रीज का डवलपमेंट हो रहा है। कृषि से यह पूरा का पूरा क्षेत्र आच्छादित है और पूरे एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए क्या आप एक लाइन 220 की बोरू दा, भोपालगढ़ ले जाने की मंशा रखते हैं ?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि भोपालगढ़ में 132 के. वी. का सब स्टेशन है और पूरा का पूरा आपका ओवरलोड सिस्टम चल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। क्या इस बात को देखते हुए आसोप में 132 का ग्रिड स्टेशन बनाने का विचार रखते हैं ? मेरे यह दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं, आप अवगत करायें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अभी जो मथानिया में सौर ऊर्जा की बिजली उत्पन्न करने जा रहे है, वह कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा ? मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा था, जोधपुर में गैस-बेस टरबाइन हम लगा रहे हैं, वह कब तक लगा देंगे और किस क्षमता का होगा ?

श्री रघुबीर सिंह कौशल : मथानिया वाला 35 मेगावाट का होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गैस-बेस टरबाइन ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बता रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा सवाल आपके माध्यम से मंत्रीजी से करना चाहती हूं कि जोधपुर के अन्दर पुरानी लाइन लगी हुई है तो रोज यही प्राब्लम आती है। जब कभी बिजली जाती है और सब स्टेशन पर फोन करते हैं तो कहते हैं, जम्फर उड़ गया। गयी चार घण्टे की। जम्फर के भरोसे चार घण्टे बैठें ? तो मैं यह चाहूंगी कि पुरानी लाइन चेंज करके इसकी व्यवस्था करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा जोधपुर के सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिये 23 करोड़ 14 लाख 27 हजार की....

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आप थोड़ा लेट पधारे, काफी बातें हो चुकी हैं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन आपने मंजूर किया था....

श्री अध्यक्ष : अभी खण्डेला की बात नहीं हो रही है, जोधपुर की बात हो रही है । आप बिराजें ।

श्री महादेव सिंह : और 1990 के बाद आपने इसको उठाकर श्रीमाधोपुर में रख दिया एक ही जगह । तो क्या खण्डेला में भी 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, अभी जोधपुर साइड की बात हो रही है, खण्डेला की बात नहीं हो रही है । बिराजें आप । जिनका प्रश्न है उनका जवाब आने दीजिये ।

श्री रामनारायण डूडी : जिसका प्रश्न है उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, नागौर का एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से । नागौर में 220 के. वी. जी. एस. एस. बनाना प्रस्तावित है, वह जी. एस. एस. सरकार कब तक बनाने का विचार रखती है ?

श्री हीरालाल विश्नाई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने फरमाया कि 400 के. वी. की लाइन की वहां जरूरत नहीं है तो जोधपुर के अन्दर जो उद्योग लगा रखे हैं उनको 4-5 घण्टा कट करते हैं चार बजे से लेकर रात को दस बजे तक, क्या आपके पास इतनी बिजली सरप्लस है ? आप उनको पूरी बिजली क्यों नहीं देते ? उद्योग मंत्रीजी भी वहां मीटिंग लेकर आये हैं और नये उद्यमियों को वहां आमंत्रित करते हैं, तो क्या आपके पास इतनी सरप्लस बिजली है कि आप पूरी बिजली उन बड़े उद्यमियों को दे सकेंगे ?

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : जैसा कि मंत्रीजी ने कहा जो भी काम स्वीकृत किया गया है वह निश्चित अवधि में पूरा करवा दिया जायेगा । कोटा जिले में इटावा में मिनी हाइडल सैंक्शन किया गया था ।

श्री अध्यक्ष : आपका जोधपुर के बारे में है ? बिराजें आप ।

श्री रामगोपाल बैरवा : चार साल हो गये अभी एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है । दिसम्बर, 95-96 में .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । क्यों लम्बी बात कर रहे हैं ?

श्री रामगोपाल बैरवा : उसे कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ।

श्री रामनारायण डूडी : मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब तो दिलवा दें, 132 के. वी. का सब स्टेशन आसोप में बनाने जा रहे है, या नहीं जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर दें ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा तार पुराने हो गये हैं तो अभी जैसा मैंने बताया था, 23 करोड़ 14 लाख 27 हजार की सिस्टम इम्प्रूवमेंट की जोधपुर की योजना

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

स्वीकृत हो गयी है, उस पर काम शुरू हो रहा है। मान्यवर, जोधपुर सम्भाग में अभी तक 293 किलोमीटर 132 के. वी. लाइन थी। इस एक ही साल में जो हमारा प्रस्ताव था वह 293 किलोमीटर था और अब तक हम 335 किलोमीटर की लाइन डाल चुके हैं 132 के. वी. की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सम्भाग में कौनसी जगह ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह भी बता दूं। पाली सब स्टेशन के लिये लाइन 5 किलोमीटर 220 के. वी. की। सिरोही भीलवाड़ा 220 किलोमीटर 220 के. वी, जोधपुर-बालोतरा 110 किलोमीटर 335 ऐसे ही 132 के. वी. जैसलमेर-बाड़मेर लाइन 150 किलोमीटर, 132 के. वी. जोधपुर-टिबरी-ढेंचू लाइन 40 किलोमीटर कैलाना विद्युत केन्द्र के लिये लाइन 10 किलोमीटर, आबूरोड़ रेवदर 40 किलोमीटर, भीनमाल-धोरीमन्ना 95 किलोमीटर ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाली है, बाली है, नागौर है, सिरोही है; भीनमाल है, उनका क्यों नहीं बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

कृषि उपज मण्डी, सांचौर की आय

521. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी सांचौर की वर्ष 1993-94 में कितनी आय हुई ?

(2) उक्त मण्डी में वर्तमान में कितनी दुकानें कार्यरत है ?

(3) क्या मण्डी में अनाज की बिक्री बोली लगाकर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचौर की वर्ष 1993-94 में 7.48 लाख रुपये की आय हुई है।

(2) उक्त मण्डी में वर्तमान में 30 दुकानें कार्यरत हैं।

(3) जी, नहीं। पूर्व में व्यापार बिखरे रूप में होता था, अतः खुली बोली लगायी जाकर व्यापार नहीं हो पा रहा था। वर्तमान में दिनांक 20-3-1995 को नवीन मण्डी प्रागंण में व्यापार स्थानान्तरित किया गया है एवं अनाज की बिक्री खुली बोली से किये जाने के यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने तीसरे प्रश्न में यह कहा, जी हां, वर्तमान में बोली नहीं लग रही, कृषि मण्डी का प्रावधान है और कृषि मण्डी 1987 से चालू है। पिछले 7-8 साल से जब बोली नहीं लगी है तो क्या अधिकारीगण वहां सो रहे हैं ? व्यापारियों और

(श्री हीरालाल विश्नोई)

अधिकारियों की मिलीभगत से वहां बोली नहीं लगती है। हमारा पूरा का पूरा अनाज जीरा, रायड़ा, ईसबगोल, गुजरात बार्डर से दो नम्बर से जाता है जिससे सरकार को रेवेन्यू और सैल्स टैक्स का भी नुकसान होता है। और मंत्री महोदय ने कहा कि 30 ही दुकानें इतनी बड़ी मण्डी में हैं। इसमें पहले तो 30 दुकानें कार्यरत बता रहे थे। 30 में भी 5-7 आदमियों ने लाइसेंस रखे हैं और आर. एस. टी. नम्बर ले रखे हैं। बाकी के पूरे के पूरे व्यापारी दो नम्बर में काम करते हैं। उनके पास बिल बुक ही नहीं है। आज कृषि मण्डी सैक्रेटरी आये थे उनसे मैंने पूछा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह प्रश्न में भी है। अध्यक्ष महोदय, तीस दुकानें कार्यरत हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं कि तीस में से 4–5 व्यापारियों के पास भी लाइसेंस नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय उनको पाबन्द करेंगे कि आर. एस. टी. नम्बर लें? दुकानें कम पड़ रही हैं तो क्या दूसरी दुकानें बनाने का भी प्रावधान मंत्री महोदय करेंगे? यह हाईवे नम्बर 16 पर आया हुआ है और बोर्डर का इलाका है और उधर सांचोर तहसील में अनाज का इतना उत्पादन है........

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें, माननीय। सवाल पूछें आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : तो कृषि मण्डी को प्रोत्साहन देने के लिये मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वास्तव में वहां खुली बोली नहीं हो रही है, यह मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में भी उनसे कहा है। इसके पीछे जो भी कारण रहे है लेकिन पहले तो सबसे बडी समस्या थी जैसे पिछले सत्र में माननीय सदस्य ने एक प्रश्न भी रखा था, कि मण्डी शिफ्ट नहीं हो रही थी, तो इस बार बड़े प्रयास के बाद हमने 20 मार्च को मण्डी प्रांगण में मण्डी को शिफ्ट किया है। दूसरा, वहां जो सुविधाएं नहीं थीं जैसे पानी की, बिजली की, चारदीवारी की, कुएं की, वे सारी की सारी सुविधाएं उनको प्रदान करके हमने मण्डी शिफ्ट करने का काम किया है। अब वास्तव में बोली क्यों नहीं हो रही है, इसके जैसे एक-दो कारण माननीय सदस्य ने बताये मैं इस बात से सहमत हूं। वास्तव में एक कारण यह है कि वहां पर कुछ एक-दो आदमियों की पिछले काफी अर्से से मोनोपोली रही है। पहले बाजार बिखरा हुआ था, एक जगह मण्डी प्रांगण नहीं था इसलिये उसका नियमन नहीं हो रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उंझा की मण्डी है जीरे की गुजरात के अन्दर, वह सबसे बड़ी मण्डी है वहां पर सारा का सारा थोक व्यापार हो रहा

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

है। सांचोर में ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो उसको खरीद सके इसलिये वह भी सारा का सारा उधर स्थानान्तरित हो रहा है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मण्डी स्थानान्तरण के बाद इस मण्डी का नियमन हो, उसमें खुली बोली हो। हमने इसी 20 अप्रेल से जैसी कि मुझे रिपोर्ट मिली है, इस काम को शुरू किया है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मण्डी के प्रांगण में हर दृष्टि से अनाज की बोली होगी चाहे हमें किसी अधिकारी के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़े। काश्तकारों को अच्छा भाव मिले, इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से सांचोर मण्डी प्रांगण में की जायेगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : क्या मंत्री महोदय यह भी आश्वासन देंगे कि उसके अन्दर कोई बैंक की सुविधा करेंगे ताकि व्यापारियों को ऋण मिले ? ऊंझा मण्डी के अन्दर दो-तीन बैंक हैं जिनसे व्यापारी अनाज को गिरवी रख कर 70 पर्सेण्ट लोन लेता है। क्या आप भी ऐसा प्रावधान करेंगे ? ऊंझा की मण्डी के बराबर यहां की यह मण्डी बन सकती है अगर आपकी तरफ से यह सुविधा उपलब्ध हो ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अभी बताया कि वहां सिर्फ तीस दुकानें है। वास्तव में पिछले साल जब यह बात आयी थी तो 60 खोखों की जमीन के मैंने आदेश जारी कर दिये थे कि जब तक हमारी दुकानें नहीं बन जाएं उनको खोखों की जमीन दी जाए जिससे वे अपना व्यापार शुरू कर सकें। अब हम दुकानों की कमी महसूस करते हैं तो मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो व्यापारी या व्यापार करने वाले कोई भी आदमी अगर दुकान लेना चाहता है उसको हम लीज पर जमीन देंगे और अगर वे खुद नहीं बना सकते तो उसको कर्जा देंगे, कर्जा लेकर बनाना चाहें तो। विधायक महोदय, से मेरा निवेदन है कि 15 मई तक जितनी भी दरख्वास्तें आएगी उन सबको अगले छह महीने के अन्दर हम दुकानें बना कर इस बात की व्यवस्था कर देंगे जिससे वहाँ व्यापार सुचारू रूप से चल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह चौहान।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष जी, दुकान पर नहीं पूछ रहे, अनाज पर लोन देना चाहते हो कि नहीं चाहते, यह जवाब दीजिये ?

श्री हीरालाल विश्नोई : क्या बैंकों का प्रावधान करेंगे ? बैंक से व्यापारी को कुछ लोन दिलाने की सुविधा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न आने दें।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी प्रश्न है, जवाब देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : सब के इम्पार्टेन्ट प्रश्न हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : बहुत जरूरी है, साहब। जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक साथ पूछ लीजिये। आप पाइंटेड प्रश्न पूछ नहीं रहे हो, आप तो पूरा भाषण करते हो।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण नहीं है, यह जरूरी है। बैंक का अगर प्रावधान नहीं होगा तो वह मण्डी कैसे चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय शिव नाथ सिंह जी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : एक बैंक वाला जवाब दिलवा दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी में स्थिति यह है कि बहुत-सी जगह पर दुकानें बनी हुई हैं और उनको कोई लेने वाला नहीं है। जैसे मैं झुंझुनूं मण्डी के लिये कहना चाहता हूं कि व्यापारी वहां जा नहीं रहे हैं। उसके लिये माननीय मंत्रीजी के सामने कई बार प्रस्ताव भी आ गये, डेपूटेशन भी आ गये। जो मण्डियां शिफ्ट नहीं हो रही हैं उनमें दो बड़े नुकसान हो रहे हैं एक तो दुकान का किराया नहीं आ रहा है और मण्डी के हिसाब से जो किसानों को फायदा मिलना चाहिये वह नहीं हो रहा है। ऐसी कई जगह हैं जहां मण्डी की दुकानें ले रखी हैं लेकिन उनका किराया वसूल नहीं कर रहे हैं, जैसे नवलगढ़ की मण्डी है। किराया वसूल करने के लिये आप क्या प्रावधान कर रहे हैं ? जो व्यापारी उन मण्डियों में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं उनके लिये भी आपकी कोई योजना है ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : एक प्रश्न मैं भी इसमें पूछना चाहूंगा। इसके साथ ही जवाब दे देंगे मंत्री महोदय। थोड़ा-सा ही मामूली प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो-तीन सप्लीमेंट्री हो गयीं, फिर तो वही बात हो गयी। कल मुझे नहीं चाहते हुए भी यह बात सुनानी पड़ी सबको। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : एक छोटा-सा प्रश्न है। मंत्री महोदय ने बताया कि सांचोर में दुकानों के लिये जमीन और कर्जा देंगे। क्या नीमकाथाना कृषि उपज मण्डी के लिये भी यह लागू होगा ?

श्री अध्यक्ष : नीमकाथाना की बात नहीं हो रही है, माननीय सदस्य, कैसे जवाब देंगे ?

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है कि सारे राजस्थान में इसको लागू करेंगे या खाली सांचोर के लिए है ?

श्री अध्यक्ष : कहां सांचोर और कहां नीमकाथाना, आप विराजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : वहां मण्डी शिफ्ट नहीं हो रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलें । यहां सांचोर की बात हो रही है ।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, 8-10 साल हो गये नीमकाथाना की मण्डी को बने हुए और अभी तक उसमें व्यापारी शिफ्ट नहीं हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से चर्चा कर लें आप मिनिस्टर साहब से । अभी सांचोर की बात हो रही है । आप बिराजें ।

श्री महादेव सिंह : जब राजस्थान की मण्डियों की चर्चा चल रही है तो क्या नीमकाथाना अलग है ?

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, दुकानों की कमी के कारण नहीं हो रही है इसलिये यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : सांचोर की बात हो रही है, माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी शिवनाथसिंहजी ने भी एक प्रश्न उठाया, इस साल जब हमने देखा कि वास्तव में मण्डी शिफ्ट करने की काफी बड़ी समस्या हमारे सामने थी—चाहे झुन्झुनूं का मामला था, चाहे सांचोर का मामला था, चाहे नवलगढ़ का मामला था और चाहे कोई और मण्डियों का मामला था, चाहे ऊन की मण्डी, बीकानेर का मामला था हमने उन सारी मण्डियों में व्यापारी से बातचीत करके जो सुविधाएं वे लेना चाहते थे वह सुविधाएं हमने दीं । जैसे नवलगढ का मामला था, हमने उसी 10 तारीख को नयी मण्डी के प्रांगण में व्यापार शुरू किया । जहां तक वे बता रहे थे दुकानों का मसला कि किराया वसूल नहीं हो रहा है, वह किराया नहीं था । उस किराये पर हमने ब्याज माफ करके किश्तें बना कर महीनों के हिसाब से दे दिया है और दुकानों का किराया आना शुरू हो गया है । वहां विधिवत रूप से नवलगढ मण्डी शुरू हो गयी है ।

जहां तक नीमकाथाना से आने वाले माननीय मोहनलालजी मोदी ने पूछा कि मैंने सांचोर में कहा कि जमीन देंगे, दुकानों के लिये कर्जा देंगे, यह सारी व्यवस्था सांचोर के लिये नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं । जहां जिस प्रकार की

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

जो भी समस्या होगी उसको हम वहां लागू करेंगे ।

अभी हीरालालजी ने कोई प्लैज की बात कही । राजस्थान में हमने इस योजना को भी इस साल शुरू किया । हमारे किसान गोदाम वगैरह की व्यवस्था जो भी कुछ मण्डियों में बना रहे हैं उसको अगले साल ले रहे हैं ताकि किसान उसे गोदाम में रख कर 75 परसेन्ट लोन ले सके । इस सारी व्यवस्था को धीरे-धीरे पूरे राजस्थान में लागू करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवदानसिंहजी ।

मन्दिर श्रीनाथजी (नाथद्वारा) की सम्पत्तियां

522. **श्री शिवदानसिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के समय श्रीनाथजी की सम्पत्तियां क्या-क्या थीं ? श्रीनाथजी की वर्तमान में कितनी सम्पत्तियां बोर्ड के नियन्त्रण और आधिपत्य में हैं और कितनी सम्पत्तियां लोगों के कब्जे में हैं ?

(2) उक्त मन्दिर की कब-कब, कितनी-कितनी अचल सम्पत्तियां बेची गयी ? राज्यवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) नाथद्वारा मन्दिर की बैंकों में सावधि जमा (एफ.डी.) कितनी थी ? क्या यह सही है कि सावधि जमा तुड़वा कर बचत पत्र और महाराष्ट्र के युनिट ट्रस्ट में राशि जमा करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

देवस्थान मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के समय संलग्न सूची "अ" अनुसार वर्णित सम्पत्तियां मन्दिर मण्डल की थीं । श्रीनाथजी की वर्तमान में प्रश्न के खण्ड-2 में वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत विक्रय की गयी सम्पत्तियों के अतिरिक्त शेष सम्पत्तियां बोर्ड के नियन्त्रण एवं आधिपत्य में मन्दिर प्रबन्धन के उपयोगार्थ अथवा किराये पर दी हुई हैं ।

(2) नाथद्वारा मन्दिर मंडल अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के पश्चात मन्दिर हित में मन्दिर मंडल के निर्णय उपरान्त अधिनियम की धारा 17(2) की पालना में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही विक्रय की गयी हैं । पिछले 15 वर्षों में ऐसी विक्रय की सम्पत्तियों का राज्यवार विवरण संलग्न सूची "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) नाथद्वारा मन्दिर मंडल की बैंकों में सावधि जमाओं, अल्प बचत में जमा राशि एव यू. टी. आई. में (भारत सरकार का उपक्रम) में जमा राशि का विगत 5 वर्षों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । यू. टी. आई. के बचत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पत्र में राशि का विनियोजन अधिक लाभ अर्जित करने हेतु किया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी ।)

श्री शिवदानसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा । जैसा मेरा नाम प्रश्न तीन खण्डों में है । दूसरे खण्ड में मैंने पूछा था कि मन्दिर मण्डल ने कितनी सम्पत्तियां बेचीं 1959 के पश्चात, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि यह जो सूची दी गयी है वह पूर्ण नहीं हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो यह सूची पेश की गयी है, वह पूर्ण है ? अगर सूची पूर्ण नहीं है तो सूची पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे, इसकी जानकारी दें । तीसरी मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि जो सम्पति मंदिर मण्डल के अधीन है उनको डवलप करने के लिए मन्दिर मण्डल क्या करने जा रहा है ? इन सम्पतियों पर अन्य लोगों का कब्जा है, उनको बेदखल करने के लिए मंदिर मण्डल क्या करने जा रहा है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, विक्रय की गयी सम्पत्तियों की जो सूची है उसमें दिनांक वाइज, सन वाइज और राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर बेची गयी सम्पत्तियां हैं । राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित मकान नम्बर एक, यह 15-11-84 को बेचा गया । मध्यप्रदेश में कृषि भूमि 8 बीघा, खसरा नम्बर 53, गांव बाबरेचा, मंदसौर में बेची गयी, 6-7-89 को फिर मध्यप्रदेश में कृषि भूमि खसरा नम्बर इतना 8 बीघा, 10 बीघा बेची गयी फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में और जमीन बेची गयी उसी तारीख को, 12 बीघा 4 बिस्वा । उसके बाद फिर मध्यप्रदेश में दौलतगंज में ग्वालियर में बेची गयीं । उसके बाद बिहार में एक दुकान नम्बर सात, सर्राफा चौक बाजार में बेची गयी । गांव गोत तहसील मध्यप्रदेश में फिर 1-8-92 को बेची गयी । मंदिर मण्डल के गठन के बाद जो भी सम्पत्तियां बेची गयी है वे राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर बेची गयी हैं । हमारे इस रेकार्ड के अनुसार, अगर माननीय सदस्य को इसके अतिरिक्त कोई जानकारी हो कि इसके अतिरिक्त भी कोई सम्पत्ति बिकी जो हमारी सूची में नहीं है तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरा रेकार्ड फिर से दिखवाकर, अगर कोई उसमें अनियमितता हुई है तो, उसको ठीक करवाने का प्रयास करूंगा ।

श्री शिवदानसिंह चौहान : ऐसी कौनसी सम्पत्तियां हैं जिन्हें मंदिर मण्डल यह उचित समझता है कि वह मंदिर मण्डल के हित में बेची जानि उचित हैं । ऐसी कोई सूची मंदिर मण्डल ने तैयार की है और राजस्थान सरकार को पेश की है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राज्य सरकार के पास विचाराधीन सूची भी है जिसमें उन्होंने कुछ और जमीन विक्रय करने के लिए हमसे राय चाही है । राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने पर वे उस सम्पत्ति को बेच सकेंगे । उसकी सूची वैसे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपको दी है, मेरे पास भी है। इसी तरह से तीन जमीनों के लिये उन्होंने जो और बेचने के लिए स्वीकृति चाही है, राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही वे उसको बेच सकेंगे, लेकिन अभी हम उसको देख रहे हैं कि उसको बेचने की स्वीकृति दी जाए या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह जो नाथद्वारा की सम्पत्ति है वह सम्पूर्ण गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तरप्रदेश में, सब जगह विभिन्न विभिन्न स्थानों पर है, इनके रखरखाव का, क्या जो मंदिर के अधिकारी है, उन्हें ही अधिकार है ना उन लोगों ने जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों से किस तरह से इसकी रक्षा कि जा सकती है ?

दूसरा, मेरा प्रश्न है, उदयपुर में कोलपोल का इसमें दिया है कि ऊपर की मजिल और नीचे की मंजिल, क्या नगर परिषद ने नाथद्वारा मण्डल को इस बात का नोटिस दिया है कि यह मकान जो गिर गया है, इससे जनहानि होने की सम्भावना है इसलिए इसे हटा दें। क्या उसे बेचने का मंदिर मण्डल ने कोई सुझाव दिया है, आपने क्या उससे परमीशन ली है, ये दोनों बातें मैं जानना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वैसे नाथद्वारा मंदिर बोर्ड के गठन पर राज्य सरकार का भी सीधा सीधा कंट्रोल है। निष्पादन अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वहां का जो बजट है वह भी राज्य सरकार के पास आता है, स्वीकृति के लिए, उसके बाद ही स्वीकृत होता है। उनके द्वारा भेजे गये पेनल के आधार पर ही राज्य सरकार बोर्ड का गठन करती है तो एक प्रकार से उस पर राज्य सरकार का सीधा अधिकार है। यह बात सही है कि कुछ अतिक्रमण कलकत्ता और बाकी स्थानों पर जहां हमारी प्रोपर्टी है, उन पर कुछ अतिक्रमण अवश्य है, उनको खाली कराने की कार्यवाही चल रही है और हम प्रयास करेंगे कि उनको हम जल्दी से जल्दी खाली करा सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी, प्रश्न संख्या 523

डूंगरपुर जिले के हैण्डपम्प

523. **श्री शंकरलाल अहारी** (चोरासी) एवं **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं ? इनमें से चालू एवं खराब हैण्डपम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने की योजना रखती है ? यदि हां, तो खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक दुरुस्त करा दिया जायेगा ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्तसिंह विश्नोई) : (1) डूंगरपुर जिले में विभागीय 7,139 हैण्डपम्प लगे हुए हैं जिनमें 239 हैण्डपम्प शहरी क्षेत्र तथा 6,900 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। संकलित सूचना एवं अनुमानों के आधार पर वर्तमान में चलाये जा रहे विशिष्ट हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के पूर्व में शहरी क्षेत्र में 6 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं व ग्रामीण क्षेत्र में 614 हैण्डपम्प बंद है जिनमें 394 परित्यक्त तथा 220 हैण्डपम्प सूखे हैं।

पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल हैण्डपम्प	परित्यक्त हैण्डपम्प	सूखे हैण्डपम्प	चालू हैण्डपम्प
1.	डूंगरपुर	1,075	57	47	971
2.	सीमलवाड़ा	1,937	103	41	1,793
3.	सागवाड़ा	1,150	85	38	1,027
4.	बिछीवाड़ा	1,308	71	56	1,101
5.	आसपुर	1,430	78	38	1,314

(2) वर्तमान में कार्य प्रणाली के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य सामान्यतः पंचायत समितियों द्वारा किया जाना निर्धारित है। वर्तमान में विभाग निर्देशानुसार खराब हैण्डपम्पों को मरम्मत करने के लिए एक विशेष अभियान प्रारम्भ कराया जा चुका है। इस अभियान के दौरान मरम्मत योग्य समस्त हैण्डपम्पों को ठीक कर दिया जावेगा। प्रारम्भिक संकलित सूचना के अन्तर्गत लगभग 1,186 हैण्डपम्प खराब हैं परन्तु विस्तृत सर्वेक्षण करके मरम्मत करने का कार्य जारी है।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने हैण्डपम्प मरम्मत करवाने का अभियान चलाने का निर्णय कब लिया और किस तारीख को कार्य प्रारम्भ किया। दूसरा, प्रश्न कब तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था हमने एक अप्रेल से कराने का तय किया है। हमको साधन जुटाने में. गाड़ियां इकट्ठी करने में कुछ समय लगा है। ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, बातचीत न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके क्षेत्र की जो समस्या रही है, खासकर डूंगरपुर की, आपके जो हैण्डपम्प मिस्त्री है, जो हमेशा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस काम को करते रहते हैं उनका सहयोग हमने मांगा है, कुछ जगह तो लोग आये लेकिन कुछ जगह नहीं आये। उनकी एक मांग यह थी कि हमको 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, वह कम है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय कर दिया कि 10 रुपये रोज के स्थान पर 20 रुपये रोज देंगे। इस कारण से यह लोग हमारे साथ आने लगे हैं। डूंगरपुर में अभी जिस मात्रा में लगने चाहिए, उतने नहीं लगे। कलक्टर साहब इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमने 31 मई तक इन सबको जो भी ठीक हो सकते हैं, उनको ठीक करने की हमने व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह खराब हैंडपम्प हैं और जो सूखे पड़े हैं वह तो वापिस ठीक हो नहीं सकते हैं तो इनको कब तक पूरा किया जायेगा, दूसरे खोदने के लिए और डूंगरपुर में पहाड़ी एरिया है वहां पर जो माप-दण्ड रखा है उससे कोई बात नहीं बनती है और इस साल बहुत ही कम मेरे ख्याल से हैंडपम्प खोदने के लिए स्वीकृति देने की बात हुई है लेकिन मेरा यह मानना है कि यह न के बराबर है। आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्प उनको दें और 10-15 साल से जो हैण्डपम्प खुदे हुए हैं और वह चालू भी हैं लेकिन उनमें मैला पानी आ रहा है और इसके पाइप खराब हो गये हैं इनको तुरन्त बदलने की व्यवस्था करें, यह मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह डूंगरपर से संबंधित मामला है। इसको चर्चा का विषय नहीं बनायें। आप इसका जवाब आने दें।

श्री मोहनलाल मोदी : इससे सम्बन्धित ही प्रश्न पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो हैंडपम्प ठीक कराने के आपने आदेश दिये हैं मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हैण्डपम्प ठीक हो रहे हैं और पीछे-पीछे खराब होते जा रहे हैं, वह मामूली तकनीकी खराबी को दुरुस्त करते हैं तो आप यह आदेश दें कि पाइप बदलें उनकी राड बदलें और उनको सही ढंग से ठीक करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यही निर्देश है कि उनको सुचारू रूप से और पूर्ण रूप से ठीक करें। यदि ऐसी कोई बात है तो मैं और दिखवा लूंगा जहां तक आपने परित्यक्त हैंडपम्प को बदलने की बात कही है हम उस पर विचार कर रहे हैं और जब कल मांग रखी जायेगी उस समय तक कोई न कोई निर्णय करके आपको बता देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : जो अबनडेन कर दिये उनकी जगह दूसरे खोदने की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसी के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

तिलम संघ की सोयाबीन परियोजना व सरसों तेल मिल, कोटा की उत्पादन क्षमता

524. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तिलम संघ की सोयाबीन परियोजना कोटा तथा सरसों तेल मिल कोटा की स्थापित वार्षिक क्षमता क्या है ? वास्तविक क्षमता का वर्ष 1993–94 व 1994–95 में क्या उपयोग रहा ?

(2) 1993-94 एवं 1994-95 में सोयाबीन परियोजना, कोटा द्वारा कुल कितनी सोयाबीन तथा सरसों की खरीद की गई तथा इसकी कुल लागत क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि खरीद की गई सोयाबीन व सरसों का कुल भाग बिना पिराई के ही बेच दिया जाता है ? यदि हां, तो कितनी सोयाबीन व सरसों को उक्त प्रवधि के दौरान बेचा गया तथा क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) सोयाबीन परियोजना, कोटा की स्थापित वार्षिक क्षमता 60,000 मैट्रिक टन 300 कार्य दिवस के आधार पर एवं सरसों परियोजना की स्थापित वार्षिक क्षमता 20,000 मैट्रिक टन 200 कार्य दिवस के आधार पर है। सोयाबीन परियोजना की वास्तविक क्षमता का उपयोग वित्तीय वर्ष 1993-94 में 32,744.95 मैट्रिक टन एवं वित्तीय वर्ष 1994-95 में 38599 मैट्रिक टन (सोयाबीन एवं सरसों खली) रहा। सरसों परियोजना की वार्षिक क्षमता का उपयोग वित्तीय वर्ष 1993-94 में 20,79.50 मैट्रिक टन एवं वित्तीय वर्ष 1994-95 में 10,843.56' मैट्रिक टन रहा हैं।

(2) वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कोटा परियोजना द्वारा क्रय की गई सोयाबीन व सरसों की मात्रा एवं उसकी मूल लागत निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	फसल	उपार्जित मात्रा (मै. टन में)	मूल लागत (लाखों में)
1.	1993-94	सोयाबीन	35,573.000	2,756.57
		सरसों	16,515.300	1489.79
2.	1994-95	सोयाबीन	27,545.370	2,338.13
		सरसों	5,740.840	651.07

(3) जी हां, वित्तीय वर्ष 1993-94 में 6.780.36 मै. टन सोयाबीन एवं 6,183.57 मै. टन सरसों बेची गई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 में 5,775.81 मै. टन सोयाबीन एवं 373.54 मै. टन सरसों बेची गई। संघ को समय पर उक्त

(श्री सुजानसिंह यादव)

तिलहनों के अच्छे दाम प्राप्त होने के कारण बेचा गया।

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्षजी, वर्ष 1993-94 में सोयाबीन प्लाण्ट 57 प्रतिशत की कैपेसिटी पर चला और जहां तक सरसों का प्रश्न है वह 10 प्रतिशत क्षमता पर चला। जब सरसों इन्होंने खरीदी 20,79,50 मै. टन पिराई की और 6,000 मै. टन इन्होंने खरीदकर सीधे वापिस मंडी में नहीं बेचा बल्कि जो निजी क्षेत्र में प्लाण्ट्स लगे हुए हैं और यहां सोयाबीन प्लान्ट को-आपरेटिव सेक्टर में लगा है जहां हम सीधे मंडी टैक्स बचाकर क्रय करते हैं और अगर हम उसको पहले दिन भी बेच देंगे जो निजी क्षेत्र में प्लाण्ट्स हैं तो भी इनको लाभ होगा। इन्होंने उत्तर दिया है कि हमें मंडी में बेचने से लाभ रहता है। मेरा प्रश्न यह है और मैं चाहूंगा कि यह टू दी पाइन्ट ही इसका उत्तर दें। क्या सोयाबीन परियोजना तथा सरसों तेल मिल को चलाकर पिराई करने की तुलना में सीधे सरसों व सोयाबीन को निजी क्षेत्र में स्थापित सोयाबीन प्लाण्ट को बेचना अधिक लाभकारी है? यदि हां, तो फिर प्लाण्ट लगाने की आवश्यकता क्या थी व यदि लाभदायक नहीं है तो फिर माल को बेचने की आवश्यकता क्यो पड़ी? जब इनके पास 40 हजार मै. टन स्टोर करने की क्षमता है।

दूसरा, प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह प्लाण्ट 1989 में स्थापित किया था। आज यदि निजी क्षेत्र में 300 टी. डी. पी. का सालेवेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लाण्ट व 50 टी. डी. पी. रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लगाया जाये तो उसकी लागत 15 करोड़ रुपये आती है। आपने जब को-आपरेटिव सेक्टर में प्लाण्ट लगाया तो 30 करोड़ रुपया उस समय खर्च हुए और अब यदि यह प्लाण्ट लगाया जाये प्राइवेट सेक्टर में तो 15 करोड़ में यह प्लाण्ट लग सकता है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कोटा सोयाबीन की उपयोगिता प्रतिशत क्या थी तो 1993-94 में 54.5 प्रतिशत, 1994-95 में 64 प्रतिशत और सरसों तेल मिल की 1993-94 में 10 प्रतिशत और 1994-95 में 54 प्रतिशत है। दूसरा, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि निजी क्षेत्र में यदि यह प्लाण्ट लगाया जाता तो सस्ता लगता। सोयाबीन का जो प्लाण्ट कोटा का है उसको एन. सी. डी. सी. से जो प्रोजेक्ट सेंक्शन किया 2200 लाख था मगर उस टाइम की कीमत और 85 में यह सेंक्शन हुआ था और 1988 में इसका कार्य पूरा हुआ और रेटें बढ़ गयीं तो उस प्लाण्ट की कीमत 3,060 लाख तय की गयी। मगर इसमें कास्ट आई फिर भी प्राइस बढ़ती गयी, कीमत बढ़ती गयी तो कुल लागत 3,526.90 लाख लगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्षजी, लाख बोले आपने तो करोड़ों में कितने हुए?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री सुजानसिंह यादव : 30 करोड़ हो गए। यही बात पूछनी थी ? यह बात पूछने की नहीं है। यह तो मेरे को उलझाने की बात पूछ रहे हैं आप। उलझूंगा तो नहीं।

श्री भरतसिंह : मैंने स्पेसिफिक आपसे एक प्रश्न पूछा है कि अगर आज 300 टी. डी. पी. का प्लाण्ट निजी क्षेत्र में लगे तो उसकी कीमत आज की तारीख में 15 करोड़ है। आपने जो प्लाण्ट लगाया 5 साल पहले, उस समय 30 करोड़ की लागत का कैसे हुआ प्लाण्ट, यह बताइये आप। उससे बड़ी क्षमता का प्लाण्ट है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। आप इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछें बिराजें आप। भरतसिंह जी आपके प्रश्न के बारे में नहीं है इसमें।

श्री भरतसिंह : मेरा ही तो प्रश्न है। मैं ही तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी इनफर्मेशन फर्निश करना इनके लिए यहां नामुमकिन है। आप पूछ लेते पहले कि इसमें गलत लगा पैसा और अब इतने में लगता है। आपने यह प्रश्न पूछा ही नहीं। कौन जवाब लेकर आयेगा ? बिराजे आप। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : इससे सम्बन्धित ही पूछ रहा हूं....

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। जवाब देने दीजिए।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भ्रांति है वह मैं दूर कर दूं। आपकी ही बात को मानता हूं। इसमें 3,060 लाख रुपये जो लागत आयी, एन. सी. डी. सी. ने जो तय की मगर 1,620 रुपये इसमें मार्जिन मनी और थी। लागत तो आपके अनुसार इतनी ही बैठती है मगर इसमें मार्जिन मनी भी शामिल थी। इसलिए इतने पैसे लग गये।

श्री भरतसिंह : मंत्रीजी, मैंने आपसे जो पहला प्रश्न किया है, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि इस प्लाण्ट को चलाना आपके लिए ज्यादा मुनाफेदायक है या सरसों और सोयाबीन को खरीदकर वापस बेच देना आपके लिए लाभदायक है ? क्योंकि आपका प्लांट पूरी क्षमता से चल नहीं रहा है और आपको यह सोयाबीन, सरसों खरीदने में मण्डी टैक्स की बचत होती है इसलिए आप उसको खरीदकर सीधा बेचेंगे तो प्लाण्ट लगाने की आवश्यकता क्या थी ? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप पूरी क्षमता से प्लान्ट चलाएं, इसमें राज्य का पैसा लगा हुआ है। आप प्लाण्ट पूरी क्षमता से चला नहीं रहे हो क्योंकि आप सक्षम नहीं हो उसको चलाने के लिए आपका जो हाई-पर्सेन्टेज सोयाबीन का निकलता है वह निजी क्षेत्र में आयल एक्स्ट्रेक्ट करते हैं उसकी तुलना में आप कम तेल निकाल पाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है, जब सरसों

(20)

(श्री सुजानसिंह यादव)

या सोयाबीन किसानों से लेते हैं और लेकर पिलाई करनी चाहिए मगर कुछ ने पिलायी करने के उपरांत यदि हम पिलायी नहीं करें तो हमको उसमें फायदा ज्यादा था, फ्लेक्चुएशन होता है बाजार में, तो उस माल को, सोयाबीन को हमने किसानों से इकट्ठा किया। बजाय पेलने के वे हमको सीधा मार्केट में बेचने से हमको 125.32 लाख मिले।

श्री भरतसिंह : तो आप वेयर-हाउस ही बनाते न, फिर प्लान्ट क्यों लगाये आपने। (व्यवधान) वेयर-हाउस बना देते प्लान्ट के बजाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, किसानों को क्या नुकसान हुआ ?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : प्लान्ट क्या काम में आया ? प्लान्ट क्यों लगाया और क्या काम में आया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) श्री रघुवीरसिंह जी....(व्यवधान) I am not allowing any debate here. आप बिराजें सब (व्यवधान) यह प्रश्न काल है, यह डिबेटिंग फोरम नहीं है अभी। बिराजें आप (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : जालौर में भी ऐसे प्लान्ट हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आप माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसानों से खरीदकर बाजार में बेचने से प्राफिट होता है तो फिर प्लान्ट लगाने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं, दूसरा प्रश्न आने दें। अब आपको पूरा प्रश्न सुनना ही नहीं है। (व्यवधान) श्री रघुवीरसिंहजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने अनुमति दी थी। मैं मेरा प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जबाब दे रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब पहले पूरा सुनें, उसके बाद में करें। (व्यवधान) पहले जवाब सुन लें। बिराज जाएं माननीय।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा भी साथ में दे दिया जाएगा साहब, आपको सुविधा होगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज बिराजें, पहले इनका जवाब सुन लें। पूरा जवाब सुन लें, माननीय बिराजें आप। (व्यवधान) फिर

(श्री अध्यक्ष)

आप करोड़ों मे पूछने लग जायेंगे, बिराजिये आप, लाख से करोड़ हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि जब प्लांट लगाया तो उससे पिलायी क्यों नहीं करते। प्लांट खराब भी हो जाता है, उसकी मरम्मत में टाइम लग जाता है।

श्री महादेव सिंह : कब हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका तो चाहेंगे ही हम। हमारा अधिकार है जवाब लेने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार ※व्यवधान※ करने का नहीं है। मोदीजी, आप बिराज जाएं.... (व्यवधान)....यह अधिकार नहीं है कि आप ※व्यवधान करें।.... (व्यवधान) एक-एक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलें। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह अधिकार है कि वह अपनी बात यहां हाउस में रखेगा और मंत्रीजी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से नहीं होगा। बिराज जाएं आप (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनके पास प्रोडक्शन का लाइसेंस है, ट्रेडिंग का लाइसेंस ही नहीं है। यह बेच ही नहीं सकते उस माल को साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। जवाब सुन लीजिये पहले। वे जवाब देते हैं और आप आगे बोलना चालू कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतनी बड़ी इण्डस्ट्री को सिक करके रख दिया। करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है इण्डस्ट्री को और आप हमें कहते हो कि बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, नहीं, तो दूसरा प्रश्न ले रहा हूं मैं। श्री रघुवीर सिंह जी। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जवाब तो आया ही नहीं।(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : जवाब देना पड़ेगा उनको, आखिर क्या कारण है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हो। (व्यवधान)

※ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनके पास बेचने का लाइसेंस नहीं है । (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : मंत्री महोदय, कल्पना कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि प्लांट खराब भी हो सकता है , (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मण्डी टैक्स की चोरी करते हैं सीधा किसानों से माल लेकर । संस्था घाटे में चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इनकी बात सुनें । (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप मेरी बात पूरी सुनें । सुनना पसन्द ही नहीं करते (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस तिलम संघ का नाम तिकड़म संघ रख दो ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये । मैं आपको बिराजिये कहता हूं तो आपको बुरा लगता है कि बिराजिये, बिराजिये कह रहे हैं । आप बिराज जाएं (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप बैठ जाइये । आप नहीं समझते इस बात को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, दूसरा प्रश्न आने दें ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि सोयाबीन का प्लांट लगाने की क्या जरूरत थी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं ।

श्री सुजानसिंह यादव : अब जब सोयाबीन ज्यादा खरीद लिया जाता है और पिलायी करने के लिए माल ज्यादा है तो उस माल को निकालने के लिए जब बाजार भाव ज्यादा हो जाता है तो बेचना पड़ता है । उससे फायदा हुआ है, नुकसान तो हुआ नहीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, समाप्त करिये । (व्यवधान) श्री रघुवीर सिंह जी । ऐसे तो यह प्रश्न नहीं आ पायेगा । बिराजिये आप । (व्यवधान) श्री रघुवीर सिंह जी ।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की पंचायत समितियों में स्वीकृत पद

525. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सराड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के दो पद सृजित किये हैं ? यदि हां, तो क्या इन पदों पर नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी ?

(2) पंचायत समिति सराड़ा में शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक के कितने-कितने पद सृजित हैं ? क्या ये सभी पद

(श्री रघुवीर सिंह)

भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कार्यालय, सराड़ा में कई वर्षों से अध्यापक लिपिक का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी नहीं। प्रत्येक पंचायत समिति में कनिष्ठ अभियन्ता का एक-एक पद ही सृजित है। जिन पर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) जी हां। पंचायत समिति कार्यालय सराड़ा में दो अध्यापक 10/94 से व एक अध्यापक 1/95 से अध्यापकों की डुप्लीकेट सर्विस बुक्स, जी. पी. एफ. एवं राज्य बीमा की पास बुक्स, सम्पूर्ण साक्षरता की प्रगति व अन्य कार्यों के लिए लगाया गया है। यह व्यवस्था मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में की गयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, पहले खण्ड में जो उत्तर दिया है कि जी नहीं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पंचायत समिति में दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद सृजित करने की मंशा रखती है ?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति पर। क्या यह प्रतिबन्ध हटाने का विचार है ?

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो अध्यापकों वाली बात कही है।

अध्यापकों को यहां 10/94 से बताया गया है जबकि 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष हो गये हैं उन अध्यापकों को वहां काम करते हुए। क्या यह सत्य जवाब दिया गया है ? यदि असत्य है तो आप क्या करेंगे ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत समिति में एक कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत है। राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं की सख्या बढ़ायी जाये। वह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कई अध्यापक 5--5, 6--6 साल से कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पंचायत समिति के अन्दर कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है,

(श्री अनंग कुमार जैन)

अध्यापकों की संख्या भी पहले के मुकाबले में बहुत अधिक बढ़ गयी। अब कई बार उन अध्यापकों का स्वयं का कार्य काफी पेन्डिंग हो जाता है, जी. पी. ऐफ. का है, राज्य बीमा का है, उनके बिल्स का है। अध्यापकों से सम्बन्धित कार्य जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो लम्बे समय के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए किसी भी एक अध्यापक को या दो अध्यापकों को वहां लगाया जाता है और अध्यापकों से सम्बन्धित कार्य उनसे सम्पन्न करवाया जाता है और यह प्रेक्टिस नहीं है कि किसी अध्यापक को लगातार पांच साल या चार साल तक रखा जाय। माननीय सदस्य को मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई ऐसे अध्यापक हैं जो लगातार पांच साल से किसी पंचायत समिति में कार्य कर रहे हैं तो आप मुझे उनकी यदि सूची देंगे तो मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ या सम्बन्धित अधिकारी, जिसने भी नियमों की अवहेलना की हैं, उसके खिलाफ जांच निश्चित रूप से करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री महादेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद है और दूसरा पद सृजित करने का विचार रखती है। मेरा निवेदन है कि खण्डेला पंचायत समिति में एक भी कनिष्ठ अभियन्ता नहीं है वह पद भरने का सरकार कब तक विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंचायत समिति सराड़ा में तीन शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद है और तीनों खाली है। इस तरह से सारे प्रदेश में पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद खाली हैं और उसका मूल कारण यह है कि ये शिक्षा प्रसार अधिकारी शिक्षा विभाग से लाकर के अध्यापकों को वहां लगाते हैं और वहां अध्यापकों की कमी हैं इसलिए उनकी पूर्ति नहीं होती है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पंचायत समितियों में ऐसे अध्यापक हैं जो बी. ए., बी. एड. हैं या एम. ए., बी. एड. हैं और क्वालिफिकेशन रखते है, उनका ओपन कम्पीटीशन करके शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद भरने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय निगमों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण इकाइयां

755. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधव सिंह दीवान)

सरकारी निगमों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण इकाइयां, जिनका अधिग्रहण किया जा चुका है, में विद्युत बोर्ड, बिक्री कर एवं अन्य निगमों की बकाया को उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसमें बिहार विद्युत बोर्ड की बकाया का प्रभार सम्पत्तियों पर नहीं माना गया, इसको देखते हुए सरकार राजस्थान में क्या नीति अपनाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

राज्य की औद्योगिक नीति, 1994 की घोषणा के अनुसार में रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा-29 के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाइयों की परिसम्पतियों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27-3-95 को एक पैकेज स्वीकृत किया गया है। अधिग्रहित इकाईयों की परिसम्पतियों को बेचने से प्राप्त राशि के उपयोग के बारे में राज्य सरकार के नीति निर्देश भी दिनांक 27-3-1995 को प्रेषित किये गये हैं। पैकेज एवं नीति निर्देश की प्रतियां संलग्न है।

(निर्देश की प्रतियों के लिए परिशिष्ट—4 देखें)

रीको द्वारा संचालित अजमेर का घड़ी का कारखाना

756. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर स्थित रीको द्वारा संचालित घड़ी कारखाने में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में उत्पादन लक्ष्य क्या थे तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ? उत्पादन में कमी के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा अजमेर में 1979 में वाच एसेम्बली यूनिट स्थापित की गई थी। यह यूनिट एच. एम. टी. लिमिटेड द्वारा दिये गये घड़ी पुर्जों से घड़िया बनाकर विपणन के लिए वापस एच. एम. टी. को भेज देती है। देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी 12 इकाईयां कार्यरत है। अजमेर वाच यूनिट वर्ष 1990 तक लाभ में थी। पिछले वर्षों मे एच. एम. टी. द्वारा पूर्जे भेजने के कारण यूनिट उत्पादन कम हो गया था जिसकी वजह से हानि हुई। बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण एच. एम. टी. की घड़ियों के विपणन में दुविधा हो रही थी और उनके पास काफी बड़ी संख्या में घड़ियों का स्टॉक था लेकिन अब परिस्थिति में सुधार हो रहा है और ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में एच. एम. टी. लगभग 4 लाख घड़ियों के पुर्जे देना प्रारम्भ कर देगी।

इकाई में इस समय 102 कर्मचारी कार्यरत है जिसमें से 87 सीधे उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इकाई में 19 अनुसूचित, जाती, 1 अनुसूचित जन-जाति, 12 गूंगे बहरे, 1 अंधा, 2 विकलांग व अन्य 67

(उद्योग मंत्री)

कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकतर कर्मचारी काफी गरीब परिवारों से हैं। इकाई में 70 महिला कर्मचारी है। अजमेर स्थित रीको की वॉच असेम्बली फैक्ट्री में वर्ष 1993-94 एवं 94-95 में उत्पादन से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (लाख में)	वास्तविक उत्पादन
1993-94	2.00	1,53,100
1994-95	1.50	1,30,600

उत्पादन में कमी के निम्न प्रमुख कारण रहे :—

(1) रीको की वाच एसेम्बली इकाई पूर्ण रूप से एच. एम. टी. की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर है जिसके द्वारा असेम्बली जॉब वर्क करवा कर घड़ियां पुनः एच. एम. टी. को दी जाती है।

(2) एच. एम. टी. घड़ियों का बाजार में अन्य ब्रांड की उत्पादित घडियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड रही है, जिसके परिणामस्वरुप इन घडियों की बाजार में मांग की कमी हुई है एवं भारी मात्रा में एच. एम. टी. के पास तैयार माल उपलब्ध है। इस कारण से एच. एम. टी. घड़ियों के उत्पादन को बढाने की इच्छुक नहीं थी लेकिन अब स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

(3) वर्ष 1994-95 में एच. एम. टी. द्वारा कम्पोनेंट उपलब्ध कराये जाने के अनुसार ही रीको की वॉच असेम्बली द्वारा घड़ियों की असेम्बलिंग कराई गई है। वर्तमान में कम्पोनेन्टस की उपलब्धता कम होने से उत्पादन की क्षमता का स्तर कम हो गया है।

जिला भरतपुर के प्रस्तावित खेल स्टेडियम

757. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या–युवा एवं खेल-कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला भरतपुर अथवा भरतपुर शहर के किसी स्थान पर खेल स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

(2) यदि हां, तो स्टेडियम निर्माण हेतु कितनी धन राशि आवंटित की गई है और कितनी भूमि आवंटित हुई है ? इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ करवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा ग्राम गोलपुरा के आराजी में कुल 5.15 हैक्टर तथा अनाह में कुल 5.47 हैक्टर, इस प्रकार कुल 10.62 हैक्टर भूमि का आवंटन स्टेडियम निर्माण हेतु किया जा चुका है।

(युवा एवं खेल-कूद मंत्री)

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में 5.00 लाख की राशि स्टेडियम की चार दिवारी, जंगल की सफाई एवं वर्तमान निर्मित भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृत की है। आशा है स्टेडियम निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा।

ग्रामीण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन हेतु कमेटियां

758. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर): क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके चयन हेतु तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालयों पर एक-एक खेल स्टेडियम का निर्माण एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि ग्रामों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उनके चयन हेतु राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया अपनाकर चयनित करती है, तहसील स्तर पर कोई कमेटियों का गठन विचाराधीन नहीं है।

(2) तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन वर्तमान में नहीं है। राज्य की सभी पंचायत समिति से ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था परिषद द्वारा पूर्व से ही की हुई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट आवासीय योजना

759. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की चित्रकूट आवासीय योजना कब जारी की गई?

(2) क्या उक्त योजना में स्यूडो रेण्डम कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा भू-खण्डों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब? आबंटियों के नामों की सूची मय भू-खण्ड संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवंटन की सूची जारी होने के पश्चात अभी तक आवंटियों को आबंटन-पत्र जारी नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही कि उक्त योजना के असफल होने की स्थिति में सरकार इन आवंटियों को जिनकी धरोहर राशि भी जमा है, को दूसरी योजना में भू-खण्डों का

(28)

(श्री किशन मोटवानी)

आबंटन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा किस योजना में एवं किस मूल्य पर ?

उत्तर

(1) यह योजना दिनांक 16-9-91 से 31-10-91 तक जारी की गई थी।

(2) योजना में भूखण्ड आबंटन हेतु प्राप्ति आवेदन पत्रों में से सफल 2400 आवेदकों का चयन स्यूडो रेण्डम जनरेशन पद्धति से कम्प्यूटर द्वारा दिनांक 16-4-92 को किया गया था, इन सफल आवेदकों को अभी तक भूखण्डों के आबंटन पत्र जारी नहीं किये गये हैं। सफल आवेदकों की सूची संलग्न है।

(3) चित्रकूट योजना का मामला सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में विचाराधीन होने के कारण सफल दावेदारों को भूखण्ड आबटन पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं।

(4) इस योजना से सम्बन्धित भावी कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर का नवीन मास्टर प्लान

760. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर का नवीन मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राधिकरण की 28वीं बैठक दिनांक 25-3-95 में जयपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1982 की धारा 23(1) के अन्तर्गत जयपुर शहर के मास्टर प्लान के प्रारूप के प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान करदी गई है, साथ ही आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु एक माह का समय और बढ़ाया गया है।

ग्राम कानाना से पारलू (बाड़मेर) तक प्लास्टिक की पाइप लाइन

761. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला के ग्राम कानाना से पारलू तक प्लास्टिक की घटिया किस्म की पाइप लाइन डालने से पाइप फट गये हैं ? क्या पाइप फटने के कारण एक बार भी पानी पारलू नहीं पहुंच पाया ?

(2) कानाना से पारलू तक प्लास्टिक की पाइप लाइन डालने पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(श्री अमराराम चोधरी)

(3) क्या सरकार इस पाइप की जगह दूसरी सीमेन्ट की पाइप लाइन लगा कर कानाना से पारलू पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विस्तृत विवरण (3) के निम्नानुसार है।

(2) (1) के उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) कानाना से पारलू तक की 4" ए. सी. पाइप की लाइन बहुत वर्षों पूर्व से लगी हुई है एवं इसमें जल प्रवाहित होता है। पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु तथा गांव बिरधानियों की ढाणी को लाभान्वित करने के लिये स्वीकृत योजनान्तर्गत कानाना से पारलू तक 5" एवं 6" (आंशिक रूप से) की ए. सी. पाइप लाइन डाली गई थी, जिसका टेस्टिंग कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्य सम्पन्न कराने के प्रयास जारी हैं।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की कालोनीज में सीवरेज लाइन

762. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किन-किन कालोनियों में सीवरेज लाइन हैं ?

(2) क्या सरकार विद्याधर नगर, सीकर रोड एवं आसपास यथा बनीपार्क, सिंधी कालोनी, नेहरू नगर, अम्बाबाड़ी इत्यादि बस्तियों की सीवरेज लाइनों को मैन सीवरेज लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जिन कालोनियों में सीवरेज लाइनें नहीं हैं उनमें सरकार कब तक सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में चार दीवारी के अन्दर के सम्पूर्ण क्षेत्र में, तथा न्यू कालोनी, सिंधी कालोनी, बनीपार्क, रामनगर, वृहत विद्याधर नगर के सेक्टर 1 से 7, 9 व 10 में तथा सीकर आंशिक सीवरेजरोड के निकट व्यवस्था है।

(2) जयपुर के दक्षिण क्षेत्र हेतु मुख्य आउट फाल सीवर डाले जाने आवश्यक संसाधनों का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस सीवर लाइन डाले जाने के पश्चात विभिन्न अभिकरणों समन्वित प्रयास कर धन उपलब्धता के अनुसार सन्दर्भित कालोनियों की सीवर लाइनों के मुख्य लाइन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जयपुर शहर में सीवरेज लाइनें डालने तथा समस्या के समाधान हेतु जन स्वा. अभि. विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा एकीकृत योजना बनाई जाकर क्रियान्विति करने का विचार किया जा रहा है जैसा कि इस सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा प.15(76) न.वि.आ. दिनांक 17-4-95 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को नियम 131 के अन्तर्गत चर्चा के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है।

अजमेर शहर की प्रस्तावित सीवरेज लाइन

763. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में अजमेर शहर के किन्हीं क्षेत्रों के लिए सीवरेज लाइन डालने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अजमेर शहर के दरगाह शरीफ क्षेत्र में भी सीवरेज लाइन डालने की योजना है तथा इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर खोली जा चुकी हैं ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ करवाया जावेगा ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 में अजमेर शहर के (सीमित) दरगाह क्षेत्र के लिये सीवरेज लाइन डालने की एक योजना बनाई गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ 60 लाख रुपये थी। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार सीवरेज लाइन डालना प्रस्तावित है :–

(1) सेन्ट फ्रांसिस होस्पिटल (नर्सिंग होम) से मदार गेट तक।

(2) मदार गेट से अढाई दिन के झोपड़े तक।

(3) इमाम बाड़ा एरिया से मोइनिया-इस्लामिया स्कूल तक वाया (डिग्गी चौक, प्लाजा सिनेमा)

(4) खारी कुई एरिया से क्लार्क टावर पुलिस स्टेशन तक।

(2) (1) के उपरोक्तानुसार कार्य हेतु निविदाएं दिनांक 22-3-95 को आमन्त्रित की गई थी जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन करा कार्य आरम्भ किया जायेगा। ससाधनों को दृष्टिगत कर यह कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान ही प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

नगरपालिका जहाजपुर को दी गई अनुदान राशि

764. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका जहाजपुर को वर्ष 1990-91 से 1994-95

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के बीच सामान्य तथा विशेष अनुदान की राशि दी गई है ? यदि हां, तो यह राशि किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी-कितनी, कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित राशि जिस प्रयोजन के लिए दी गई उसको उसी प्रयोजन में खर्च की गई है ? यदि हाँ, तो उसका वर्षवार विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कब-कब किससे द्वारा जारी किया गया है ?

(3) क्या इस अनुदान राशि का अंकेक्षण हो गया है ? यदि हां, तो अंकेक्षण में राशि के सही उपयोग के बाबत कोई आपत्ति तो नहीं की गई है ? यदि हां, तो आपत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों के वेतन तथा प्रावधायी निधियों में भी अनुदान राशि भुगतान की गई ? यदि हां, तो कब-कब, कितनी राशि इस प्रयोजन में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 90-91 से 94-95 के बीच सामान्य व विशेष अनुदान की राशि का विवरण सदन को मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस बाबत जांच करवाई जा रही है।

(3) जी हाँ। अंकेक्षण के दौरान आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

(4) व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-5 देखें)

मालवीय नगर जयपुर में दुकानें बनाने की स्वीकृति

765. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा मालवीय नगर में 133 खोखे वालों को स्थाई दुकानें बनाने की अनुमति दी है ?

(2) क्या स्थायी भूमि देने का अधिकार निगम को है ?

(3) इससे निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(4) क्या पूर्व में भी निगम ने खोखे वालों को स्थायी दुकानें बनाने की अनुमति दी थी ?

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा मालवीय नगर में थडी होल्डर्स को पुनः व्यवस्थित रूप से बसाया गया है।

(2) नगर निगम ने आवासन मण्डल के निर्णय, उनके द्वारा करवाये गये सर्वे

(स्वायत्त शासन मंत्री)

एवं प्रस्तावित आवंटित भूमि के अनुमोदित नक्शे के आधार पर 2×2 मीटर में थड़ियां बनाने की स्वीकृति दी है।

(3) नगर निगम को इनसे 13,58,000/-- रु. की राशि प्राप्त हुई है।

(4) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

766. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के कौन-कौन से प्रस्ताव वर्ष 1994-95 के लिए सरकार को प्राप्त हुए थे और उनमें से कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये उनके क्या कारण थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के निम्न विद्यालय को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए :—

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति स्तर
1.	रा. प्रा. वि., छातड़ी	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
2.	रा. प्रा. वि., केसवा	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
3.	रा. प्रा. वि., खेरखड़ी	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
4.	रा. प्रा. वि., किशनपुरा	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
5.	रा. प्रा. वि., हाथीखेड़ा	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
6.	रा. प्रा. वि., सुभाष पीसांग	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
7.	रा. प्रा. वि., नयागांव	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
8.	रा. प्रा. वि., बुदवाड़ा	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
9.	रा. प्रा. वि., पिचोलिया	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
10.	रा. प्रा. वि., नांद	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु

(शिक्षा मंत्री)

1	2.	3
11.	रा. प्रा. वि., पुष्कर	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
12.	रा. बा. प्रा. वि., मावता	उच्च प्राथमिक स्तर हेतु
13.	रा. उ. प्रा. वि., नान्दला	माध्यमिक स्तर हेतु
14.	रा. उ. प्रा. वि., डूमाड़ा	माध्यमिक स्तर हेतु
15.	रा. उ. प्रा. वि., देवनगर	माध्यमिक स्तर हेतु
16.	रा. उ. प्रा. वि., बार्सेली	माध्यमिक स्तर हेतु
17.	रा उ प्रा. वि., तिलोरा	माध्यमिक स्तर हेतु
18.	रा. उ. प्रा. वि., गनाहेड़ा	माध्यमिक स्तर हेतु
19.	रा. उ. प्रा. वि., दातड़ा	माध्यमिक स्तर हेतु
20.	रा. उ. प्रा. वि.. नागेलाव	माध्यमिक स्तर हेतु
21.	रा. उ. प्रा. वि., गोला	माध्यमिक स्तर हेतु
22.	रा. उ. प्रा. वि., देराठू	माध्यमिक स्तर हेतु
23.	रा. मा. वि., गोविन्दगढ़	उच्च माध्यमिक स्तर हेतु
24.	रा. मा. वि., बाघसूरी	उच्च माध्यमिक स्तर हेतु
25.	रा. मा. वि., भांता	उच्च माध्यमिक स्तर हेतु
26.	रा. बा. मा. वि., पीसांगन	उच्च माध्यमिक स्तर हेतु

उपरोक्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुरूप होने पर गुणावगुण के आधार पर निम्न 4 विद्यालय वर्ष-94-95 में क्रमोन्नत किये गये हैं :—

		क्रमोन्नति का स्तर
1.	रा. प्रा. वि, सुभाषपीसांग	उच्च प्राथमिक स्तर
2.	रा. प्रा. वि, किशनपुरा	उच्च प्राथमिक स्तर
3.	रा. मा. वि. बाघसूरी	सी. उ. मा. स्तर
4	रा. उ. प्रा. वि. डूमाड़ा	माध्यमिक स्तर

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रतिवर्ष क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से मापदण्डों के अनुकूल होने वाले विद्यालयों में से निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों निकटतम उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, फीडिंग विद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या एवं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। इस आधार पर विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में उपरोक्त 4 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

लूणकरणसर तहसील मुख्यालय पर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

767. **श्री भीमसेन चौधरी** : (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील मुख्यालय पर उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) के कार्यालय की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय लूणकरणसर में अभी तक क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया ? जब कि कार्यालय हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध है ?

उत्तर

अप्रेल, 94 में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) लूणकरणसर का कार्यालय सृजित किया गया है। वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण कार्यालय प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

अतारांकित प्रश्न संख्या 768 (स्थागित)

तलावड़ा (गंगापुर सिटी) का राजकीय माध्यमिक विद्यालय

769. **श्री हरिसिंह** (महुवा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तलावड़ा, तहसील-गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी (शिक्षा) योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा शासन सचिव (शिक्षा), राजस्थान को पत्र लिखा गया ? यदि हां तो कब ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार द्वारा इस पत्र पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(श्री हरिसिंह)

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी जिला-सवाई माधोपुर में वर्ष 1979 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

(2) जी, हां। ग्राम पंचायत-तलावड़ा के सरपंच द्वारा दि. 18.2.95 को विद्यालय क्रमोन्नत करने की मांग रखी। मांग के आवेदन पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। ऐसा कोई पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

(4) विद्यालय क्रमोन्नति के वर्ष 95-96 के प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तलावड़ा के प्रस्ताव पर भी मापदण्डों के अनुकूल होने पर वित्तीय प्रावधान तथा वर्ष-1995-96 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय किया जायेगा।

(आवेदन-पत्र के लिए कृपया परिशिष्ट—6 देखें)

संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें

770. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार/विभाग को संस्कृत शिक्षा में कार्यरत किस-किस अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार/विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार / विभाग अभी तक भी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार/विभाग को संस्कृत शिक्षा में कार्यरत 1. सर्वश्री अशोक कुमार तिवाड़ी, तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य, संस्कृत कालेज, बीकानेर एवं वर्तमान प्रोफेसर संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर। 2. श्री बालूराम नागर, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, भरतपुर वर्तमान संभागीय अधिकारी, जयपुर। 3. श्री मिथलेश कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, उदयपुर, वर्तमान प्रोफेसर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बीकानेर। 4. श्री योगेश कुमार

(शिक्षा मंत्री)

शर्मा, संभागीय शिक्षा अधिकारी, कोटा। 5. श्री बाबूलाल शर्मा, सेवानिवृत प्राचार्य संस्कृत कालेज, दौसा एवं 6. श्री राधाकृष्ण शास्त्री, प्राचार्य, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट—1 (क से च) सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) सरकार/विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट–2 रख दिया गया है।

(3) शिकायतों पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला नागौर में साक्षरता कार्यक्रम

771. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाने वाला है? यदि हां, तो कब से तथा किस प्रक्रिया से? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जावेगा तथा इसमें कितना खर्चा होगा जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा होगा?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी इसी जिले की लाडनूं तहसील में साक्षरता कार्यक्रम सरकार व जैन विश्व भारती, लाडनूं द्वारा चलाया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक? इसका उद्देश्य क्या था तथा इसका क्या नतीजा रहा? कितने लोग साक्षर किये गये जिस पर कितना खर्चा किया गया? इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार व संस्था का कितना-कितना हिस्सा था?

उत्तर

(1) जी, हां! सम्पूर्ण जिला साक्षरता अभियान वर्ष 1995-96 हेतु नागौर जिले का चयन किया जाना विचाराधीन है। चयन के उपरान्त जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जावेगा जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। स्वीकृति के पश्चात् ही कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

(2) नागौर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 1995-96 में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम में भारत सरकार तथा राज्य सरकार का व्यय 2:1 के अनुपात में होगा।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी, हां। जैन विश्व भारती, लाडनूं द्वारा पूर्व में नागौर जिले की लाडनूं तहसील में यह कार्यक्रम चलाया गया था। यह कार्यक्रम अगस्त, 89 से फरवरी, 92 तक संस्था द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य लाडनूं तहसील के 15-35 आयुवर्ग के समस्त निरक्षरों को साक्षर करना था। संस्था द्वारा फरवरी, 92 तक 10, 126 निरक्षरों को साक्षर किया गया। संस्था को प्रथम किश्त के रूप में 9,28,000/- रुपये प्रदान किये गये थे जिनमें से 6,33,489/- रुपये संस्था द्वारा व्यय किये गये। इसमें भारत सरकार का योगदान शत-प्रतिशत रहा था।

थोवला (नागौर) राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिक्त पद

772. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, थोवला (नागौर) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों से कार्यरत थी ? यदि हां, तो कौन व कब से कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले कुछ दिनों से उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वहां से हटा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिला नागौर में कुल कितनी राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशालायें हैं ? उनमें कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीमती प्रकाशवती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, थोवला (नागौर) में दिनांक 31-3-92 से 15-12-94 तक कार्यरत थी।

(2) जी, हां। क्योंकि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, थोवला (नागौर) में कार्यरत थी। प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसलिए श्रीमती प्रकाशवती प्रत्यावर्तित की गई है।

(3) नागौर जिले में 404 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनमें 190 विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है। 190 पदों में से 136 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है। 54 पद रिक्त है।

(4) वर्तमान में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध हटने पर ही नियुक्ति दिया जाना सम्भव होगा।

उदयपुर के शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्तियां

773. श्री वलीचन्द (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माह जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 के मध्य शिक्षा उप निदेशक (पुरुष), उदयपुर द्वारा जारी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति व समायोजन अथवा अन्य किसी कारण से किए गए स्थान परिवर्तनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 के मध्य शिक्षा उप निदेशक (पुरुष), उदयपुर के द्वारा शिक्षकों/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/समायोजन अथवा अन्य किसी कारण से स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य मानी जाये।

पोद्दार मूक बधिर संस्थान, जयपुर के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन स्थिरीकरण व पेंशन प्रकरण

774. श्री कन्हैयालाल पाटीवार (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पोद्दार मूक बधिर संस्थान, जयपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राधेश्याम पारीक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र दिये जाने पर उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उनके वेतन स्थिरीकरण व पेंशन परिलाभ सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी प्रदान नहीं किये गये है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? संबंधित कर्मचारी को होने वाली आर्थिक असुविधा से बचने के लिए व जीवनयापन के लिए सरकार उन्हें अस्थायी रूप से प्रोविजनल पेंशन व उपदान स्वीकृत करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी द्वारा समय-समय पर अनुस्मरण कराने पर भी प्रधानाध्यापक, मूक बधिर संस्थान, जयपुर द्वारा उनके पेंशन प्रकरण पर आधी-अधूरी कार्यवाही की गई है जिससे उन्हें राज्य प्रावधायी निधि व बीमा की राशि भी पेंशन परिलाभ के साथ प्राप्त नहीं हो पायी हैं ?

(4) सरकार पेंशन प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वेतन स्थिरीकरण का लाभ कर्मचारी को दिया जा चुका है। पेंशन परिलाभ हेतु पेंशन प्रकरण प्रक्रियाधीन है। पेंशन प्रकरण में विलम्ब का कर्मचारी के लम्बित अवकाश प्रकरण विभिन्न संस्थाओं से सेवा सत्यापन आदि का न होना रहा है। अस्थाई रूप से प्रोविजनल पेंशन उपदान की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) कर्मचारी की बीमा एवं जी. पी. एफ. की राशि के भुगतान हेतु बीमा विभाग को पत्र दिनांक 6-12-94 के द्वारा लिखा गया है। बीमा विभाग में अपडेट इन्द्राज व कर्मचारी की स्वयं की पास बुक में अन्य स्थानों के इन्द्राज की कमियों के कारण विलम्ब हुआ है। बीमा विभाग से अधिकार पत्र प्राप्त होते ही बीमा एवं जी. पी. एफ. की राशि का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) श्री राधेश्याम पारीक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेंशन प्रकरण एवं बीमा/जी. पी. एफ. आदि के भुगतान में किसी भी अधिकारी द्वारा किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती गई। किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के सरकारी विद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार

775. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में कितने सीनियर हायर सैकेण्डरी/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान जनसंख्या के मानदण्डानुसार शिक्षा की सुविधा के दृष्टिकोण से विद्यालय कम हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक कितने विद्यालय इस क्षेत्र में खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इस क्षेत्र में वर्तमान विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है? इन विद्यालयों में वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में 5 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 6 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 16 राजकीय उच्च प्राथमिक, 23 राजकीय

(शिक्षा मंत्री)

प्राथमिक विद्यालय चल रहे है। इसके अतिरिक्त गैर राजकीय क्षेत्र के भी विभिन्न स्तर के कई विद्यालय संचालित है।

(2) जी, नहीं।

(3) इस क्षेत्र के 50 राजकीय विद्यालयों में 19040 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है तथा संवर्गवार अध्यापकों के पद निम्न प्रकार से स्वीकृत है :—

1.	प्रथम श्रेणी	170
2.	द्वितीय श्रेणी	193
3.	तृतीय श्रेणी अध्यापक	312

(4) भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा वर्ष 1986 में की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभिशंषाओं की क्रियान्विति के लिए राज्य में शैक्षिक स्तर उन्नयन के कई कार्य प्रारम्भ किये गये। विभिन्न क्षेत्रों में किये गये प्रयासों में मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर उन्नयन हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना प्रारम्भ की गई। राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय कौर करीकूलम के अनुरूप करके लागू किया गया। शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, शिक्षकों का सेवारत, प्रशिक्षण, विद्यालय संगठन में सुधार, परीक्षा परिणाम सुधार कार्यक्रम, कमजोर छात्रों के सहायतार्थ छात्रवृत्तियों तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण कार्यक्रम विद्यालयों का नियमित सघन निरीक्षण/परिवीक्षण, 11 सूत्री कार्यक्रम आदि भी संचालित किये जा रहे हैं।

विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण सुधार योजना प्रारम्भ करके 27 जिलों के सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान उपकरण, पाठ्यपुस्तकें, विज्ञान की संदर्भ पुस्तकें, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये।

अध्यापकों के नवीन शैक्षिक विधाओं में प्रशिक्षित करने हेतु 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 3 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना कर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य में शिक्षा के स्तर उन्नयन हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं उनको केन्द्रीय स्तर पर श्रेष्ठ माना जा रहा है तथा राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी माना जा रहा है।

श्री गंगानगर में काटन-काम्पलेक्स नामक इकाई में उत्पादन कार्य

776. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में सहकारी क्षेत्र में काटन-काम्पलेक्स नामक इकाई स्थापित की गई है ? यदि हां, तो कब, इसमें कितने सदस्य हैं तथा क्या-क्या उत्पादन कार्य संचालित किए जा रहे हैं ? संचालन मण्डल के सदस्यों के नाम तथा विगत 3 वर्षों के लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस इकाई के विस्तार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें कितना अतिरिक्त पूंजी निवेश होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त संस्थान में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? जिनमें प्रतिनियुक्ति पर कितने व संस्थान के कितने हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां / श्री गंगानगर को-आपरेटिव काटन काम्पलेक्स लि. का पंजीयन 18-10-1986 को हुआ था । राज्य सरकार के अतिरिक्त 243 सहकारी संस्थाएं एवं 2969 कपास उत्पादन इस संस्था के सदस्य हैं । इसमें कपास/नरमा की जिनिंग प्रेसिंग और रूई से सूत बनाने का कार्य किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल निम्नानुसार है :—

1.	जिला कलक्टर, श्री गंगानगर	: अध्यक्ष
2.	श्री आत्मासिंह, 20 जी. जी.	: सदस्य
3.	श्री चुन्नीलाल वर्मा, लालगढ़	: सदस्य
4.	महेन्द्रपालसिंह, पदमपुरा	: सदस्य
5.	अध्यक्ष, श्रीगंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर	: सदस्य
6.	अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति कमीनपुरा, तहसील करनपुर	: सदस्य
7.	अध्यक्ष, ग्रामसेवा सहकारी समिति साधुवाली, श्रीगंगानगर	: सदस्य
8.	अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति रत्तेवाला, तहसील पदमपुर	: सदस्य
9.	पंजीयक, सहकारी समितियों या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त पंजीयक के स्तर सक्षम का न हो	: सदस्य
10.	शासन सचिव, वित्त द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	: सदस्य
11.	महाप्रबन्धक, स्पिनफैड, यूनिट हनुमानगढ़	: सदस्य
12.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के प्रबन्ध संचालक या उनका प्रतिनिधि	: सदस्य

(सहकारिता मंत्री)

13. प्रबन्ध संचालक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय कोश. बैंक, श्रीगंगानगर : सदस्य

14. प्रबन्ध निदेशक, कॉटन काम्पलेक्स, श्रीगंगानगर : पदेन सचिव

विगत तीन वर्षों में लाभ हानि की स्थिति निम्नानुसार रही है :—

वर्ष		नगद लाभ	शुद्ध हानि
1.	1991-92	—	रुपये 81.06 लाख
2.	1992-93	रु 118.96 लाख	रुपये 396.98 लाख
3.	1993-94	रु. 287.69 लाख	रुपये 120.80 लाख

(2) जी हां । 210 लाख सकल लागत की एक परियोजना राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार 2 नई ओपन एण्ड मशीनें 210 लाख रु की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित है । यह परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) श्रीगंगानगर कोआ, काटन काम्पलेक्स में 21 अधिकारी एवं 76 कर्मचारी कार्यरत है । उनमें से 3 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर एवं शेष समस्त अधिकारी कर्मचारी संस्था के हैं ।

प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यकाल

777. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का है ?

(2) क्या समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो इनके चुनाव कब किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल इनकी उपविधियों के अनुसार तीन वर्ष का हैं ।

(2) सभी सहकारी समितियों का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है । जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है उनके निर्वाचन अगस्त, सितम्बर में करवाये जाने का विचार है ।

पंचायत मुख्यालय गोगरूद (उदयपुर) का ग्रिड सब-स्टेशन

778. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर मगोरा)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के कोटड़ा तहसील के गोगरूद पंचायत मुख्यालय पर स्वीकृत 133 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन वन विभाग की रोक के कारण स्थापित नहीं हो पा रहा है । यदि हां, तो ऊर्जा विभाग ने वन विभाग की इस रोक को हटाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये हैं ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें ।

(2) क्या सरकार विकास के कार्यों में इस तरह के अन्तर-विभागीय अवरोध को दूर करने का कोई समन्वित प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । उदयपुर कोटड़ा तहसील के गोगरूद पंचायत मुख्यालय पर 33 के. वी. जी. एस. एस. वन विभाग की रोक के कारण गत पांच वर्षों से स्थापित नहीं हो पा रहा है । विद्युत मण्डल द्वारा वन विभाग के नियमानुसार लाइन की स्वीकृति हेतु आवश्यक नक्शे व अन्य कागजात तैयार कर वन विभाग को प्रेषित किये गये थे । राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण एवं टिप्पणियों आदि के बाद मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान से पत्र क्रमांक 1384 दिनांक 28-3-1995 द्वारा अब स्वीकृति प्राप्त हुई है । इस जी. एस. एस. स्थापित करने से पूर्व 15.105 हैक्टर वन क्षेत्र से दुगनी वन क्षेत्र में बतौर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने के लिये आवश्यक धनराशि विद्युत मण्डल द्वारा जमा कराना शेष है, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(2) सरकार विकास कार्यों में अन्तर विभागीय अवरोध दूर करने के लिये प्रयासरत रहती है । तालमेल के अभाव में अनावश्यक विलम्ब रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाते हैं ।

लाडनूं शहर की 33 के. वी. ए. विद्युत लाइन

779. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लाडनूं शहर को 33 के.वी. ए. विद्युत लाइन से जोड़ रखा है ? यदि हां, तो कहां से और बीच में लाइन को कितनी जगह टेप की गई है ? इस लाइन की लम्बाई कितनी है और सुजानगढ़ से सीधी लाइन यदि हो तो कितनी लम्बाई है ?

(2) लाडनूं शहर और जल प्रदाय योजनाओं तथा कृषि कुओं आदि का कितना लोड है ?

(3) क्या इसको देखते हुए सुजानगढ़ 132 के. वी. ए. सब स्टेशन से लाडनूं के लिए सीधी लाइन 33 के. वी ए. की आवश्यकता है ? यदि हां, तो यह लाइन कब तक डाली जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इस लाइन की मांग बराबर लम्बे समय से की जा रही है ? यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति कब तक की जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । लाडनूं शहर को 33 के. वी. लाइन से जोड़ा हुआ है । उक्त शहर के लिये 33 के. वी. लाइन सुजानगढ़ में खींची हुई है जिसकी लम्बाई 30 कि. मी. है । इस लाइन को 33/11 के. वी. ए. एस. एस. लेकी एवं बाकोलिया दो स्थानों पर टेप किया हुआ है । सुजानगढ़ से लाडनूं शहर तक सीधी लाइन खींची जावे तो लम्बाई लगभग 15 कि. मी. होगी ।

(2) वर्तमान में लाडनूं शहर, जल प्रदाय योजनाओं एवं कृषि कुओं का लोड क्रमशः 3276 के. वी. ए., 1469 के. वी. ए. एवं 764 के. वी. ए. है ।

(3) जी हां । सुजानगढ़ से लाडनूं के लिये 33 के. वी. को सीधी लाइन की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 31-3-95 को प्रदान कर दी गई है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि एवं प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1995-96 का 33 के. वी. का वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है । संभवतया इस लाइन को वर्ष के कार्यक्रम सम्मिलित किया जा सके ।

(4) जी हां, मांग राज्य के कई हिस्सों से लम्बे समय से आ रही है परन्तु सीमित साधनों के कारण एक साथ ऐसे समस्त कार्य हाथ में लेना असम्भव है-विस्तार के बजाय सुदृढीकरण पर जोर दिया जावे तो सम्भवतया इन कार्यों में गति आ सकती है ।

जयपुर में दुकानदारों द्वारा दीपावली पर्व पर विशेष रोशनी पर विद्युत् खर्च

780. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दीपावली के अवसर पर जयपुर में दुकानदारों आदि द्वारा बाजारों में की गयी रोशनी में कितनी अतिरिक्त बिजली खर्च हुई ?

(2) विशेष अवसरों पर विशेष रोशनी किये जाने के लिए विद्युत् मण्डल के नियम क्या हैं और क्या गत दीपावली को की गई रोशनी के सम्बन्ध में क्या इन नियमों का पालन किया गया ?

(3) दीपावली की रोशनी के लिए जो बिजली अतिरिक्त तौर पर खर्च हुई उसकी कीमत के रूप में विद्युत् मण्डल ने दुकानदारों आदि से कितनी राशि वसूल की ?

(4) क्या राज्य विद्युत् मण्डल तथा सरकार दीपावली एवं अन्य पर्वों पर अधिक बिजली व्यय करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचनानुसार जयपुर नगर में गत दीपावली के अवसर पर बाजारों में की गई रोशनी में कुल 87,604 यूनिट बिजली खर्च हुई ।

(2) विशेष अवसरों पर विशेष रोशनी

(ऊर्जा मंत्री)

के लिये विद्युत् मण्डल के नियमानुसार अमानत राशि जमा कर उपभोक्ताओं को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का नियमों में प्रावधान है और गत दीपावली को की गई रोशनी के लिये मण्डल नियमानुसार अस्थायी विद्युत् सम्बन्ध दिये गये थे।

(3) दीपावली की रोशनी के तहत जो अतिरिक्त बिजली खर्च हुई उसकी एवज में कुल 3,35,184.20 रुपये की राशि वसूल हुई।

(4) दीपावली एवं अन्य विशेष पर्व सम्बन्धित समुदाय की जनता स्वेच्छिक रूप से मनाने को स्वतन्त्र है। इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति, संस्था, संस्थान, निजी अथवा सार्वजनिक रूप में विशेष रोशनी करना चाहता है तो वह अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने को स्वतन्त्र है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विशेष पर्व त्यौहार को मनाने में किसी प्रकार का गतिरोध सामाजिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता।

ग्राम खटवा (लालसोट) में विचाराधीन कृषि कनेक्शन

781. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में काश्तकारों के कृषि कनेक्शन के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से व उनकी संख्या कितनी है ? काश्तकारों के नाम सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में अनुसूचित जाति व जनजाति के काश्तकारों के कृषि कनेक्शन के आवेदन-पत्र भी विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ? काश्तकारों की वरिष्ठतावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के कृषि कनेक्शन के आवेदन-पत्र वर्ष 1984 से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

(4) उक्त ग्राम में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन्होंने मांग-पत्र के अनुसार डिमाण्ड राशि जमा करा दी है किन्तु कनेक्शन अब तक भी नहीं दिये गये हैं ? अब इनको कब तक कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में कृषि कनेक्शनों के लिये 51 पत्रावलियां विचाराधीन है। सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम खटवा में अनुसूचित जाति के 2 व अनुसूचित जनजाति के 31 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। उक्त काश्तकारों के वरीयतानुसार सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी हाँ। यह सही है कि उक्त ग्राम में वर्ष 1984 तक के अनुसूचित जनजाति के तीन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। इनमें से दो आवेदकों द्वारा माँग पत्र की राशि जमा करा दी गई थी, परन्तु दोनों आवेदकों से खसरा नं. बदलने प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कारण रिवाईज्ड ऐस्टीमेट बनाया जा कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। शेष एक आवेदक को आगामी निर्धारित की जाने वाली नीति एवं लक्ष्य आबंटन के अनुरूप कनेक्शन दिया जा सकेगा।

(4) ग्राम खटवा में 5 काश्तकारों की माँग पत्र के अनुसार राशि जमा है जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। चार आवेदकों के खसरा परिवर्तन के कारण रिवाईज्ड अनुमानक की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कनेक्शन की कार्यवाही जारी है तथा एक के कनेक्शन पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई है। न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

भरतपुर जिले का मांडेरा रूंध सुरक्षित वन क्षेत्र

782. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में मांडेरा रूंध नामक वन सरकार द्वारा सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित है? यदि हां, तो इस वन में रह रहे जंगली जानवरों विशेषकर नील गाय तथा वन गाय से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए क्या सरकार इस सुरक्षित वन क्षेत्र के चारों तरफ दीवार बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो सरकार इस वन से किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने का क्या उपाय करेगी?

उत्तर

जी हां। मांडेरा रूंध के चारों ओर दीवार बनवाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस रूंध में विद्यमान वन गायों से किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से वन गायों को पकड़कर अन्यत्र छुड़वाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 11(27) वन/91 दिनांक 3-3-94 के द्वारा ऐसी नील गायें जो कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, को प्राधिकृत किया गया है।

जिला बून्दी के ग्रामीण विद्यालयों के खेल मैदान हेतु भूमि का आवंटन

783. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि ग्रामीण विद्यालयों के लिए खेल मैदान हेतु भूमि के

(श्री रामनारायण)

आबंटन की सीमा निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बून्दी में प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा (रायथल), पीपल्या (पंचायत रायथल,) बन्सोली, मोतीपुरा (ग्राम पंचायत माटून्दा), देवरियां (पंचायत डोकून), लुहारपुरा, खडीवारा खुरी, खेडी, बुढकरवर, सून्थली, बीजलवा छात्रनी, मीणा बस्ती ग्राम गुलखेडी के लिए भूमि का आबंटन अभी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस बाबत कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(3) क्या उक्त विद्यालयों के खेल मैदानों के लिए भी भूमि चिन्हित की जाने बाबत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही अब कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू—राजस्व स्कूलों, कालेजों, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों आदि हेतु भूमि आवंटन नियम 1963 के अन्तर्गत 2 एकड़ भूमि पाठशाला व खेल मैदान छात्रावास हेतु आवंटन की जा सकती है । आबंटन नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं, खेडी, बूढकरवर, सुन्थली के भूमि आबंटन हो चुकी है । शेष के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी, द्वारा दिनांक 22-2-95 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति तालेडा व नैनवा को भूमि आबंटन के सम्बन्ध में एक माह में कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके है ।

(3) भूमि आबंटन के उपरान्त प्रधानाध्यापक एवं पटवारी इस कार्य को सम्पन्न करेंगे ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट—9 देखें ।)

गांवों के एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालय

784. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1994-95 में कितने गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अनुसूचित जाति, जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 150 की आबादी वाले समस्त गांवों में प्राथमिक विद्यालय खुल गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने गांव किस-किस जिले में शेष रहे हैं ?

(3) वर्तमान में राज्य में एक अध्यापक वाले कितने प्राथमिक विद्यालय है और उनमें दूसरा अध्यापक कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में खोले गये

48

(राज्य मन्त्री पंचायती राज)

प्राथमिक विद्यालयों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अनु. जन जाति क्षेत्र तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों 150 की आबादी वाले 794 ग्राम विद्यालय विहीन है। जिनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें अनु. जन जाति के 434 ग्राम हैं तथा रेगिस्तानी गांव 360 है।

(3) एकल अध्यापकीय शालाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया जारी है। पूर्ण होने पर नियमानुसार दूसरे अध्यापक का पदस्थापन कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

पंचायत समिति सोजत तथा मारवाड़ जंक्शन के प्राथमिक विद्यालय

785. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सोजत तथा मारवाड़ जंक्शन में कहां-कहां प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं? इनमें बच्चों की तथा अध्यापकों की संख्या क्या-क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यह संख्या सही है? यदि कम है तो कितनी एवं इन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, सोजत में 45 व पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन में 28 व कुल 73 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की कमी है जिसे भरने के लिए कार्यवाही जारी है व शीघ्र ही नियमानुसार नियुक्ति कर कमी की पूर्ति कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

786. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक इन रिक्त पदों को भर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब तक पदों की पूर्ति नहीं करने के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति शेरगढ़ में 105 व पंचायत समिति बालेसर में 62 अध्यापकों के पद रिक्त है। इन रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियमानुसार नियुक्त रिक्त पदों को भर कर दिया जावेगा।

(राज्य मन्त्री, पंचायती राज)

(2) नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगायी रोक के कारण रिक्त पद नहीं भरे जा सके थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रोक 31-1-95 से हटाने के पश्चात् नियुक्ति प्रक्रिया जारी की गयी है। इसलिये किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

किशनगढ़ क्षेत्र की वक्फ बोर्ड के अधीन सम्पत्तियां

787. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगढ़ में कितनी मस्जिद, दरगाह एवं कब्रिस्तान कब से व किस आधार पर वक्फ बोर्ड के अधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है?

(3) वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद, दरगाह एवं कब्रिस्तान अपने अधीन लेने की नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ जिला अजमेर में मस्जिद, दरगाह व कब्रिस्तान की संख्या निम्न प्रकार है:—

1. मस्जिदें	--	16
2. दरगाहें	--	13
3. कब्रिस्तान	--	2

यह मस्जिदें, दरगाहें एवं कब्रिस्तान वक्फ अधिनियम, 1954 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 29, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1962 में गठित वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने के समय से ही उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं स्कीम के आधार पर वक्फ बोर्ड में निहित है। सूचि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) वक्फ अधिनियम, 1954 में वक्फ जायजादों की देखभाल के लिये सुनिश्चित व्यवस्था का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का इन्तजाम स्थानीय मुसलमानों के माध्यम से मुतावल्लियों एवं कमेटियों द्वारा किया जाता है। कानून के अन्तर्गत इन कमेटियों मुतवल्लियों के रद्दोबदल की भी व्यवस्था है।

(3) वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य में स्थित समस्त वक्फ सम्पत्तियां स्वतः ही वक्फ बोर्ड में निहित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

जयपुर-कल्याणपुरा (चाकसू) मार्ग पर निगम बस सेवा

788. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

क्या यह सही है कि जयपुर से कल्याणपुरा (पंचायत समिति चाकसू) तक निगम की बस संचालित थी, जिसे एक माह पूर्व बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बस को पुनः संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जयपुर से कल्याणपुरा (पंचायत समिति चाकसू) तक निगम की बस सेवा सड़क संचालन योग्य नहीं होने एवं पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण बन्द कर दी गयी थी जिसे पुनः संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति, सूरतगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव

789. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सूरतगढ़ द्वारा वर्ष 1993-94 में निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किये ? स्वीकृत प्रस्तावों में निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) वर्ष 1993-94 की उक्त मण्डी की आय क्या रही ? इस आय का संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् राशि कितनी रही ?

(3) क्या उपरोक्त शेष रही राशि का 60 प्रतिशत भाग सम्पर्क सड़कों के निर्माण में व्यय कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस सड़क पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्यों ?

(4) शेष बचे हुए प्रस्तावों को सरकार कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, सूरतगढ़ द्वारा निर्माण हेतु भेजे गये 13 प्रस्तावों में केवल एक सम्पर्क सड़क वर्ष 93-94 में मास्टर प्लान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से उदयपुर गोदारान (लम्बाई 6.00 कि. मी.) स्वीकृत की गई है।

इसके अन्तर्गत वर्ष 94-95 में 7.00 लाख बजट स्वीकृत किया गया, परन्तु निर्माण कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। वर्ष 95-96 में सड़क के निर्माण हेतु 30.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) वर्ष 1993-94 में उक्त मंडी की आय 66.30 लाख रुपये रही। संस्थापन व्यय को घटाने के पश्चात 50.05 लाख रुपये शेष रहे।

(3) जी नहीं। वर्ष 1993-94 में सड़कों के निर्माण पर केवल रुपये 23.99 लाख ही व्यय हो सका। शेष 6 लाख रुपये की राशि कार्य देरी से शुरू होने के कारण व्यय नहीं की जा सकी। वर्ष 93-94 में सड़कों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मन्त्री, कृषि)

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्ष 93-94 में व्यय (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क गुडली	0·60
2.	सम्पर्क सड़क छतरगढ़ से सुरजनसर	11·59
3.	सम्पर्क सड़क सुरचेनपुरा	2.72
4.	सम्पर्क सड़क हिजरासर	2·60
5.	सम्पर्क सड़क सरदारगढ़ फार्म से गांव तक	2.33
6.	सम्पर्क सड़क गुडली (विस्तार)	1·82
7.	सम्पर्क सड़क मालेर (विस्तार)	0·79
8.	सम्पर्क सड़क मोकलसर (विस्तार)	1·50
9.	सम्पर्क सड़क सात एस.जी.एम. (विस्तार)	0.04
	योग :-	23·99

(4) लम्बित प्रस्तावों को राज्य सरकार की सड़क नीति परिपत्र दिनांक 10-03-95 के अन्तर्गत परीक्षण कर भेजने हेतु मंडी समिति को लिखा गया है । टिप्पणी प्राप्त होने पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी ।

निर्वाचन क्षेत्र कामां के कृषकों को खाद-बीज

790. श्री तैय्यब हुसैन (कामां)--क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या निर्वाचन क्षेत्र कामां में कृषकों को खाद व बीज सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 94-95 (1-4-94 से 31-3-95 तक) में निम्न प्रकार खाद व बीज का वितरण सहकारी समितियों

(राज्य मंत्री, कृषि)

द्वारा किया गया :--

खाद किस्म	वितरण मात्रा (मै. टन)
डी. ए. पी.	368.200
एन. पी. के.	73.700
यूरिया	546.800
	योग :-- 988.700

बीज किस्म	वितरण मात्रा (मै. टन)
बाजरा	6.000
सरसों	6.900
गेहूं	3.000
	योग :-- 15.900

जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

791. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 1995-96 के लिये क्या-क्या नवीन योजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ?

(2) प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 1995-96 के लिए 349 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने एवं जनता जल योजना अन्तर्गत 200 ग्रामों को पाईप डालकर पानी की सुविधा उपलब्ध

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

कराने के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

(2) प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं जिन्हें स्वीकृत कराये जाने के प्रयास जारी हैं।

बन्धुवा श्रमिक उन्मूलन हेतु आयोजित कैम्प

792. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन बारां द्वारा पंचायत समिति शाहाबाद व किशनगंज में बन्धुवा श्रमिक उन्मूलन हेतु माह फरवरी के अन्तिम सप्ताह में कैम्प आयोजित करने हेतु पर्चे (पेमफ्लेट) वितरित किए गए थे ?

(2) यदि हां, तो जिला प्रशासन द्वारा जो तारीखें व स्थान पर्चे (पेमफ्लेट) में दर्शायी गई थी उन स्थानों पर किन-किन अधिकारियों द्वारा भाग लेकर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस शिविर में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माह फरवरी में कोई कैम्प आयोजित नहीं किया गया। जनवरी, 95 में सीता बाड़ी में कैम्प आयोजित कर 56 बन्धक श्रमिक मुक्त कराये गये थे।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला सवाई माधोपुर के अधिस्वीकृत पत्रकार

793. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) एवं श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर जिले से कितने साप्ताहिक, पाक्षिक एवं दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं ? उनके सम्पादकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी समाचार पत्रों को शासकीय विज्ञापन दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किस मात्रा में ?

(3) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण पत्रकारों को सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पत्रकारों के लिए सवाई माधोपुर में प्रेस काम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या

(श्री हरिसिंह) (महुवा)

सरकार भविष्य में प्रेस काम्पलेक्स के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या अधिस्वीकृत पत्रकारों को शासन द्वारा भत्ता या आर्थिक सहायता दी जाती है?

(6) एक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र से कितने-कितने प्रतिनिधियों का अधिस्वीकरण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सवाई माधोपुर जिले में कितने अधीस्वीकृत पत्रकार हैं?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले से 6 साप्ताहिक, 18 पाक्षिक एवं 7 दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) शासकीय वर्गीकृत विज्ञापन उन्हीं समाचार पत्रों को दिये जाते हैं जो राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के अन्तर्गत विज्ञापनों के लिये मान्यता प्राप्त हैं। विशेष अवसरों पर सजावटी विज्ञापन देने के लिये किसी भी समाचार पत्र पत्रिका/स्मारिका के महत्व के आधार पर विचार किया जाता है। विज्ञापन की मात्रा विज्ञापनों को आवक एवं प्रचार की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(3) सरकार द्वारा समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान रूप से सुविधायें दी जाती है। दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। ऐसी परियोजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां, अधिस्वीकृत पत्रकारों को यथा आवश्यकता पत्रकार कल्याण कोष नियम, 1982 के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त पत्रकारों को भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(7) सवाई माधोपुर जिले में कुल 25 अधिस्वीकृत पत्रकार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--13 देखें।)

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु आवेदन की प्रक्रिया

794. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौन-कौनसे कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

चलाये जा रहे हैं? प्रोजेक्ट/कार्यक्रम/योजना का नाम, कार्यक्षेत्र तथा प्रत्येक में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया सहित सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता स्वयं सेवी संस्था को दी जाती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में उदयपुर एवं जयपुर शहरों की स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना में आवेदन किया गया? यदि हां, तो किस-किस संस्था ने किस-किस हेतु कब-कब तथा किस-किस को कौन-कौनसा कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना स्वीकृत की गई तथा शेष को अभी तक भी स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे? प्रत्येक का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदन-पत्रों पर भी जल्दी ही स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1995-96 में कोई कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/योजना स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कौन-कौनसा कार्यक्रम/योजना/प्रोजेक्ट किस-किस क्षेत्र में तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रत्येक का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में उदयपुर एवं जयपुर शहरों में कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं तथा प्रत्येक का कार्यक्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दो योजनाएँ महिलाओं के प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) व महिलाओं में आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना (नौराड) स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है। उक्त दोनों योजनायें भारत सरकार की योजना हैं, जिनमें अनुदान स्वीकृति का कार्य भारत सरकार के स्तर पर ही किया जाता है। योजना का कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान है अर्थात राज्य के किसी भी भू-भाग से स्वयं सेवी संस्थाएँ योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र सीधे ही भारत सरकार को अथवा राज्य सरकार को प्रेषित करती है, जिनकी जांच के उपरांत वे भारत सरकार को भेजे जाते हैं। स्टेप एवं नौराड़ योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैं:—

अ. महिला विकास के क्षेत्र में 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए कार्यरत कोई भी स्वयं सेवी संस्था जिसका पंजीयन सोसायटी एक्ट-1860 के अन्तर्गत एवं इसके समतुल्य राज्य सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो, परियोजना क्षेत्र में उसकी पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा तकनीकी विशेषज्ञता सेवाएँ उपलब्ध हो, प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ वित्तीय आधार सुदृढ़ हो, जिला कलक्टर की सिफारिश के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करते है।

ब-प्राप्त आवेदनों की नौराड़ व स्टेप योजना के मानदण्ड के अनुसार जांच

(राज्य मन्त्री, महिला एवं बाल विकास)

की जाकर, संतोषजनक पाये जाने पर भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल बाल विकास परियोजनाओं का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। वर्तमान में केवल तीन बाल विकास परियोजनाओं, कोलायत, राजगढ़ एवं कुम्हेर का संचालन क्रमशः उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध विकास न्यास, बज्जु (कोलायत-बीकानेर), भोरूका चेरिटेबिल ट्रस्ट (नांगल कलाट-चुरू) तथा ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर रिसर्च फाउन्डेशन, भरतपुर द्वारा किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त कामां परियोजना का संचालन विहान को सौंपे जानेका निर्णय लिया गया है।

विभाग द्वारा कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों को अभिषंसित किया जाकर भारत सरकार को भिजवाया जाता है जिनका विवरण एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :—

कार्यक्रम का नाम	कार्य क्षेत्र
अ—शिशु पालना गृह (राष्ट्रीय शिशु कक्ष निधि से)	संपूर्ण राजस्थान/अचयनित आई. सी. डी. एस. क्षेत्रों को प्राथमिकता
ब—बालकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास तथा स्वरोजगार योजनाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय बाल कोष से)	संपूर्ण राजस्थान
स—शिशु शिक्षा केन्द्र (ई. सी. ई.) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, महिला एवं विकास विभाग	केवल अचयनित आई. सी. डी. एस. क्षेत्रों के लिए
द—बाल कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को संगठनात्मक सहायता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग)	संपूर्ण राजस्थान

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

उक्त समस्त कार्यक्रमों में संस्थाओं द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग समान है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र निर्धारित है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विस्तृत परियोजना विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के अलावा संस्था के पास निम्न योग्यताएँ एवं दस्तावेज आवश्यक है।

क. बाल कल्याण के क्षेत्र में 3 वर्ष या अधिक अवधि से कार्यरत संस्था जिसका पंजीकरण भारतीय सोसायटी एक्ट-1860 अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो तथा कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हो।

ख. संस्था के पास परियोजना क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत संरचना, तकनीकी दक्षता एवं मानव शक्ति उपलब्ध हो।

ग. संस्था का वित्तीय आधार अत्यन्त सुदृढ़ हो, विशेषकर बाल विकास परियोजना संचालन हेतु।

घ. संस्था को परियोजना क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश की सम्पूर्ण जानकारी हो।

ङ. संस्था बिना हानि लाभ के आधार पर कार्य कर रही हो एवं

च. संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन किया जाकर परियोजना से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मय विधान, कार्यकारिणी एवं पंजीकरण सर्टिफिकेट के पूर्ण रूपेण सत्यापित करवाये गये हो एवं इनके साथ कम से कम 2 वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित लेखे मय अनुदान एवं आय व्यय विवरण के होने आवश्यक है।

संस्था से प्राप्त आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच के उपरांत संस्था की भौतिक जांच विभागीय अधिकारी तथा जिला कलक्टर से करवायी जाती है। जांच रिपोर्ट असन्तोषजनक पाये जाने पर बाल विकास परियोजना संचालन हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को तथा शेष अन्य कार्यक्रमों के प्रस्ताव अनुदान स्वीकृति हेतु अभिषसित कर भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं।

राष्ट्रीय बाल कोष

राष्ट्रीय बाल कोष द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए संस्थाऐं सीधे ही कोष को नई दिल्ली आवेदन करती हैं। यदि कोष अधिकारी विभागीय जांच रिपोर्ट मांगते है तो ही संस्था की जांच करवायी जाती है अन्यथा सीधे ही बाल कोष द्वारा संस्था को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता भारत सरकार के स्तर से ही स्वीकृति की जाती है। नोराड़ योजना में प्रति ईकाई 8,000/- रु. के हिसाब से 50 लाभान्वितों के लिए अधिकतम 4.00 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। स्टेप योजना में अनुदान की कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। इसकी राशि परियोजना के आकार तथा स्वरूप पर निर्भर करती है।

(राज्य मन्त्री, महिला एवं बाल विकास)

प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार आर्थिक सहायता स्वयं सेवी संस्थाओं को उपलब्ध करवायी जाती हैं:—

कार्यक्रम का नाम	सहायता का विवरण
अ) बाल विकास परियोजना का संचालन	लगभग 14.56 लाख रुपये प्रशासनिक व्यय हेतु (स्टॉफ के वेतन, भत्ते, वाहन का खर्च उपकरण बर्तन आदि) तथा प्रति लाभान्वित प्रति दिन औसतन 1.00 रुपये का पोषाहार
ब) शिशु पालना गृह	प्रति यूनिट प्रथम वर्ष 22,480 (मय आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय) अधिकतम 25 यूनिट हेतु। तत्पश्चात 18,480 रुपये प्रति-वर्ष।
स) राष्ट्रीय बाल कोष से (बाल कल्याण योजनाओं हेतु)	कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000-रुपये, जो भी कम हो इसमें आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय शामिल हो।
द) शिशु शिक्षा केन्द्र	प्रति केंद्र प्रति वर्ष 30 बालकों के लिए 9360-9960 रुपये के मध्य 10-30 केंद्र चलाने पर 1806 रुपये पर्यवेक्षण चार्जेज पृथक से/अधिकतम 30 यूनिट।
य) संगठनात्मक सहायता	प्रति संस्था केवल एक बार/प्रस्तावित प्लान के अनुसार 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,00-,000/- रुपये जो भी कम हों।

(3) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान नौराड योजना के अन्तर्गत उदयपुर एवं जयपुर शहरों को 14 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन प्रस्तावों में से 12 प्रस्ताव भारत सरकार को अनुदान की सिफारिश के साथ भिजवाये गये है। जिन पर भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि योजना/प्रोजेक्ट हेतु अनुदान स्वीकृति का कार्य भारत सरकार के स्तर पर ही किया जाता है। वर्ष 94-95 में प्राप्त आवेदन पत्रों में से अभी तक किसी को भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है। विभाग के पास शेष रहे दो प्रस्तावों की जांच कर शीघ्र ही भारत सरकार को भिजवाया जावेगा।

बाल विकास के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान उदयपुर एवं जयपुर शहर की जिन

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

संस्थाओं ने भारत सरकार से अनुदानित कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया था, उनका कार्यक्रमवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। विभाग द्वारा वर्ष 94-95 के दौरान शिशु पालना गृह हेतु जयपुर जिले की एक संगठनात्मक सहायता हेतु भी जयपुर जिले की एक संस्था के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु भिजवाये गये है, शेष 11 प्रस्तावों की जांच विचाराधीन है। जिन संस्थाओं की जांच रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त हुई है, उन्हीं संस्थाओं के आवेदन पत्रों को अभिषंसित किया गया है। शेष संस्थाओं की जांच अभी विचाराधीन हैं।

(4) जहां तक आवेदन पत्रों का प्रश्न है वह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। विभागीय स्तर पर लम्बित उक्त आवेदन पत्रों की जांच जल्दी ही की जाकर अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जावेंगे।

(5) वित्तीय वर्ष 95-96 में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त होने पर अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार को निवेदन किया जावेगा। इन योजनाओं का कार्यक्षेत्र प्रश्न सं. 1 के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है।

उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे है यदि भारत सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को निरन्तर बनाये रखा जाता है, तथा संस्थाएँ विभाग को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करती है तो संस्थाओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1995-96 के दौरान भी संस्थाओं के आवेदन पत्र अभिषंसित कर भारत सरकार को भिजवा दिये जावेंगे। संस्थाओं के आवेदन की प्रक्रिया बिन्दु सं. 1 (एक) में वर्णितानुसार ही रहेगी।

(6) विभाग के माध्यम से जिन स्वयं सेवी संस्थाओं के आवेदन पत्र भारत सरकार को अग्रेषित किये गये है, उनकी सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम बाल विकास परियोजना का संचालन जयपुर एवं उदयपुर शहर की संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

आयुर्वेदिक चिकित्सालय कालानला एवं गम्भीरा (नैनवां) हेतु भवन निर्माण

795. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)**: क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कालानला एवं गम्भीरा (तहसील नैनवां) के औषधालय भवनों के निर्माण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी को वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो

(60)

(श्री रामनारायण मीणा)

निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक जारी करवा दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कालानला के भवन के अभाव में विभाग द्वारा स्वीकृत संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है तथा नियुक्त कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बून्दी ने अपने पत्रांक 48 दिनांक 21-4-95 द्वारा अवगत कराया है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कालानला व गम्भीरा के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का मामला वर्ष 1995-96 में शासकीय निकाय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा एवं अनुमोदन के बाद उनके द्वारा स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कालानला वर्तमान में स्कूल के एक कमरे में चल रहा है तथा स्वीकृत संख्या में सभी कर्मचारी पदस्थापित है तथा पदस्थापित कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित रहते है।

विभाग द्वारा विज्ञापित पदों पर नियुक्ति

796. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 1991 को कुछ पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था तथा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक भर्ती नहीं करने के क्या कारण रहे तथा सरकार अब कब तक भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 22 जनवरी, 1995 को उपरोक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम अब तक क्यों नहीं निकाला गया ? क्या सरकार उन पदों पर अब भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण प्रकरण

797. **श्री गोपी चन्द** (नगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री गोपीचन्द)

(1) प्रदेश में वैद्यों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ?

(2) प्रदेश में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात् किन-किन वैद्यों का किन कारणों से स्थानान्तरण किया गया ?

(3) इनमें से कितने वैद्यों का स्थानान्तरण निरस्त किया गया एव क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 9(5)साप्र/2/89 दिनांक 28-6-90 के द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु एक सामान्य स्थानान्तरण नीति निर्धारित की हुई है। आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण भी इसी नीति के तहत किए जाते है। स्थानान्तरण नीति की प्रति (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा जिन आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण किए गये उनकी सूची मय कारण के (परिशिष्ट-ख) सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) इनमें से 135 आयुर्वेद चिकित्सकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों व न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण के कारण निरस्त किये गये।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल विकास परियोजना, रामगी के परियोजना अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के साथ कथित यौन शोषण एवं अश्लील हरकतों की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगरिया की रसोई गैस वितरण ऐजेन्सी, मैसर्स प्रिया गैस सर्विस द्वारा उपभोक्ताओं को कथित रूप से लूटने एवं परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के थाना चाकसू में दर्ज मुकदमा नम्बर 79/95 के अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला टोंक की पंचायत समिति निवाई की ग्राम पंचायत अरणिया का कथित अवैधानिक तरीके

(श्री अध्यक्ष)

से गठन करने तथा वहां नवनिर्वाचित अनुसूचित जाति की महिला सरपंच को कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है, जो समुचित है :—

श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उत्पादन के विकास में सहयोगी सहकारिता क्षेत्र में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। ....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : साहब, सरकार का जवाब तो बता दीजिये कि क्या है ?

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग व उद्यान विभाग के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में डाक बंगले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटोल अस्पताल की अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले में सम्पर्क सड़कों, रपटों एवं पुलियों के अभाव में आवागमन में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की तहसील आमेर के ग्राम खराड़ की आराज़ी खसरा नम्बर–123 रकबा 87 बीघा पांच बिस्वा भूमि पर तारकसी व दीवार खड़ी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रघुवीरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयसमंद पाल से गामड़ी तक 5 किलोमीटर का सड़क का डामरीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले के सिंचाई विभाग के अल्पवेतन भोगी

(श्री अध्यक्ष)

कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के निपटारे के सम्बन्ध में।

(8) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुनिश्चित रोजगार योजना में वनस्थली से माशी बांध वाया करणपुरा सड़क को स्वीकृत कर चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित पिछड़ा वर्ग सूची में "ओड" जाति के साथ उसकी उप जाति "ओड राजपूत' को भी जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खाँ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व रेकार्ड में दर्ज गोचर भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर की बस्सी तहसील के ग्राम मोजपुरा, बैनाड़ घाटा, बीलवा, बिहारीपुरा के पहाड़ों को लीज पर देने से उनमें ब्लास्टिंग व बुरादे से ग्रामीणों में प्रदूषण का खतरा बढ़ने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर शहर की परिवहन सेवाओं में अपेक्षित सुधार करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दिनांक 27 अप्रैल, 1995 को मांग संख्या–46, सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) एवं मांग संख्या-37, कृषि भी विचार एवं मतदान हेतु नियत हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया के नियमों के नियम 131 व 127 के अन्तर्गत उक्त मांगों से सम्बन्धित जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए है, उनके प्रस्तावक माननीय सदस्यों को मांग पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम जयपुर में सफाई कर्मचारियों की 3 दिन से हड़ताल चल रही है और उस हड़ताल में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। जयपुर में मलेरिया फैल रहा है ....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पीलिया फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है। इस पर अविलम्ब विचार किया जाय।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इस पर अविलम्ब विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,.... कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा । XXX ❋व्यवधान❋ हो रहा है, कोई अंकित नहीं होगा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष :मैंने आपको निवेदन कर दिया कि वह फाइल कर दिया है ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिय आप ।.... (व्यवधान) ....

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । अभी आपको बहुत बोलना है । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या है रोज रोज ? मैंने एक दफा व्यवस्था दे दी है, फिर आप वही बात कहते हैं । बिराजिये आप, क्यों समय जाया कर रहे हैं ।.... फिर आप कहते हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी :XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । (व्यवधान)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

❋ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं होगा, नहीं होगा अंकित । ....आप क्या कर रहे हैं ? अंकित नहीं करने के लिए मैंने आपको कहा है । व्यवधान ❀ हो रहा है, क्या अंकित कर रहे हैं आप ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ।....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो रहा है । बिराजिये आप । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।.... (व्यवधान)

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

❀ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(66)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : जिस स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने सम्मति नहीं दी, उस पर बहस नहीं की जा सकती । बिराजिये आप (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री रामनारायण मीणा : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । धनखड़ साहब, आप थक गये होंगे ।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री कालीचरण सराफ : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । (व्यवधान) ....

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बिराजिये ....(व्यवधान).... बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में आकर मिल लें। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नियम है। आप अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर बोलें, हम भी सुनेंगे, पूरे सदन को लाभ होगा। आप एक बात सुन लीजिये। आप 15 मिनट तक बोले, अंकित हुआ नहीं, लोगों ने कुछ समझा नहीं। तो आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

डा. हरि सिंह (फुलेरा) : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। यह अंकित नहीं करने के लिए कह रखा है। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बिराजिये आप (व्यवधान)

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मुझे इतना बता दीजिये कि जितने लाख रुपये की बात आप कर रहे हैं, उतना लाख रुपया जमा हो गया कि नहीं सरकारी खजाने में? यह बता दीजिये, खत्म हो गयी सारी बात।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनकड़ : X X X

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : X X X

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) और रुपये जमा हो गये और आप तालियां पीट रहे हो (व्यवधान)

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (व्यवधान) ठीक है, चर्चा करो। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री बनवारीलाल बैरवा : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : X X X

श्री रामनारायण मीणा : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री बनवारी लाल बैरवा : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री रामनारायण मीणा : X X X

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये एक मिनट।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकांत जी ने शून्यकाल में यह बात उठा ली थी, पूरी बात हो गयी थी। बिराजिये आप। (व्यवधान)

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री बनवारी लाल बैरवा : X X X

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

अनेक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : एक बार व्यवस्था दे दी है। अब बार-बार उसको उठा रहे हो। माननीय रमाकांत जी ने यह बात उठायी थी जीरो आवर में, अब उसको ... और वे बोल चुके हैं उस दिन, आप भी उस दिन बोले थे। बिराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री रामनारायण मीणा : X X X

श्री परसादी लाल मीणा : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण डूडी : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

(कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में प्रवेश व नारेबाजी।)

295. श्री राजेन्द्र पारीक (व्यवधान) जीरो आवर के 15 मिनट तय किये हैं और आपने पूरा खत्म कर दिया है। अब खत्म हो गया है। (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक (व्यवधान) श्री राजेन्द्र चौधरी (व्यवधान) श्री जितेन्द्र नीनामा (व्यवधान) श्रीमती तारा भण्डारी (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलालजी मीणा। (व्यवधान) श्री रघुवीर सिंहजी

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलालजी बैरवा ....(व्यवधान) श्री जुबेर खान जी। श्री एमादुद्दीन अहमद खान। श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : X X X

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(70)

डा. हरिसिंह : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी नाई। .....(व्यवधान) बिराजिये आप। आप बिराज जायं मानतीय। श्री शिव किशोर जी सनाढ्य।

(कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी जारी।)

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? जीरो आवर पन्द्रह मिनट ही होता है और आपने पन्द्रह मिनट निकाल दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब। ठीक है साहब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री शैलेंद्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीरामजी जाट, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे.... (व्यवधान) श्री कन्हैयालाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बस्सी तहसील में ब्लास्टिंग व मशीन बरादे से हो रहा प्रदूषण

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत खनिज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील बस्सी जिला जयपुर के ग्राम भोजपुरा, बिहारीपुरा, बीलवा, घाटा, बैनाड़ा में स्थित पहाड़, जिसकी तलहटी में ये सातों गांव बसे हैं, के बहुत बड़े भाग को खनिज विभाग ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को गुप्त रूप से लीज पर बिना ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये, गांव वालों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखे बिना दिया। लीज आज से चार वर्ष पहले दी गयी जिसका कार्य चालू करने पर गांव वालों को मालूम हुआ। इसका विरोध करने माननीय खनिज मंत्रीजी के पास ग्रामीणों का डेपुटेशन मिला कि जिस पहाड़ को लीज पर दिया है, ब्लास्टिंग होने पर पत्थर घरों पर आकर गिरते हैं, कभी भी बहुत बड़ा हादसा

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

हो सकता है। अभी दो माह में चार व्यक्ति घायल भी हो चुके हैं और कई बाल-बाल बच चुके हैं। साथ ही बुरादा पीसने की जो मशीन लगायी गयी है, उसका बुरादा हवा के साथ उड़ने से खेतों में जम गया है जिससे वहां फसल तो दूर, चारा भी नहीं उगता है तथा इन सातों गांवों के बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष क्षय रोग से ग्रसित हो गये हैं। बार-बार मंत्री महोदय एवं विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो गांव वालों ने मजबूर होकर खनन को रोकने का प्रयास किया। खान मालिक विष्णु कुमार इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने सैंकड़ों ग्रामीणों को तो पकड़ कर बंद करने की धमकी दी, परन्तु खान मालिक ने टेलीफोन से वार्ता की तो उप पुलिस अधीक्षक (इन्चार्ज) को दल बदल सहित मौके पर भेज दिया जैसे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया हो जबकि उन्होंने गांव वालों की हकीकत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस लीज को शीघ्र समाप्त करें, वहां कार्य करने पर शीघ्र पाबंदी लगायी जाये। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो गांव वालों के आक्रोश के कारण पुलिस एवं ग्रामीणों के मध्य भयंकर घटना घट सकती है क्योंकि पुलिस व खान विभाग विष्णु कुमार खान मालिक के इशारों पर चल रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाकर ग्रामीणों के जान माल की रक्षा, फसल की रक्षा हेतु आवश्यक आदेश देकर लीज समाप्त करने की कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर शहर में यातायात समस्या

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम संख्या 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात मंत्री महोदय का ध्यान यातायात समस्या तथा ओवरलोडिंग और जर्जर बसों को चलाने से जान माल के नुकसान की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक प्रमुख शहर उदयपुर में यातायात समस्या विकट होती जा रही है। उदयपुर पर्यटकों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शहर है लेकिन यहां पर यातायात के साधन पूरे नहीं हैं। शहर की स्थिति को देखते हुए यातायात विभाग ने आवश्यक पहल नहीं की है। जिला यातायात सलाहकार समितियों की विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श तो किया जाता है लेकिन यातायात सुधार के लिए कोई क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। नगर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, ओवरलोडिंग कम करने, वाहनों की गति सीमा आदि को नियंत्रित करने हेतु 2 मई, 1992 को जो बैठक जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में हुई उसमें भी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनुपस्थित रहे। जिला कलक्टर, उदयपुर ने इसे

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गम्भीरता से लिया और आवश्यक निर्देश परिवहन विभाग को जारी किये, परन्तु परिवहन विभाग ने आज तक अपेक्षित सुधार नहीं कराये। आज भी सड़कों पर गति सीमा के बोर्ड नहीं हैं। नगर में चलने वाली निजी बसें, जो बाहर से आती हैं, टैम्पों, स्कूल बसें, मिनी बसें आदि में ओवर-लोडिंग हो रही है। परिवहन विभाग की ओर से कोई चैकिंग की समुचित व्यवस्था देखने में नहीं आयी है और यदि की गयी है तो गत एक वर्ष में कितने चालान किये गये, इसकी कोई जानकारी नहीं। विभिन्न, सड़कों पर अव्यवस्थित वाहन चल रहे हैं, आसपास से आने वाले लोग बसों की छतों पर यात्रा करते हैं और परिणामस्वरूप दुर्घटनायें हो रही हैं। नगर में चलने वाली मिनी बसों एवं टैम्पों के बारे में कोई स्टैण्डर्ड नहीं है। उदयपुर के विस्तार को देखते हुए आसपास की आवासीय बस्तियों के निवासियों के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ टैम्पो चल रहे हैं वे मनमाना किराया वसूल करते हैं। गत बैठक में कलक्टर, उदयपुर ने निर्देश दिये थे कि शार्ट डिस्टेंस की बसों के संचालन हेतु एक्स-सर्विसमेन, निजी संस्थाओं से प्रस्ताव मंगवाये जायें लेकिन तीन वर्ष बीतने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

शहर में यातायात समस्या लगातार बढ़ रही है। यातायात सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5-6-92 में भी यातायात नियमों की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने, सिटी बस स्टैण्ड कायम करने, अवैध वाहनों पर रोक तथा बसों के निर्धारित रूट कायम करने का निश्चय किया गया था लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं हुई है। इसी तरह यातायात सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16-2-92 में प्राइवेट बस स्टैण्ड के स्थान निर्धारित किये गये थे जो आज तक क्रियान्वित नहीं हुए हैं। शहर में यातायात हेतु सिटी बसें उपलब्ध नहीं हैं। पहले जो नगर परिषद् द्वारा सिटी बसें चलती थीं, वे बंद हैं। शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक के कन्ट्रोल की अलग-अलग व्यवस्था है जिससे आम नागरिक परेशान हैं। ट्रैफिक की अलग-अलग व्यवस्था से नागरिकों द्वारा भूल कर देने पर पुलिस के कोष का उनको भागीदार बनना पड़ता है।

इन सभी कारणों से जनता परेशान है और आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इस ओर माननीय यातायात मंत्री महोदय ध्यान दें। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किस को बुलाता, कैसे बुलाता ? साढ़े बारह बजे तक आप कर रहे हैं, मैं बुला रहा था, 12.20 तक यह कर रहे हैं आप। ....(व्यवधान) बिराजें आप। माननीय, बिराजें आप। आपने समय जाया कर दिया, अब आप कह रहे हैं बार-बार (व्यवधान)

श्री गोपीरामजी जाट, सदस्य, विधान सभा एक याचिका प्रस्तुत करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

आमेर कस्बे के कोली मोहल्ले में पहाड़ के पानी से घरों की सुरक्षा-व्यवस्था

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नगर निगम, जयपुर के अन्तर्गत आमेर कस्बे में कोली मोहल्ले के अन्दर पहाड़ का पानी आने से कच्चे घरों की सुरक्षा व्यवस्था बाबत एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री राजेन्द्र गहलोत : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती तारा भण्डारी : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी नाई ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्रीमती तारा भण्डारी : XXX

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अभी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX (व्यवधान)

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन), विधेयक 1995

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंहजी देवड़ा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(74)

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगारामजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप सुनें तो सही हमको।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

अनुरोध

शून्यकाल में चर्चा हेतु पर्याप्त समय

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि तीन बजे हमेशा जो मांग आयेगी उस पर अपन विचार-विमर्श शुरू कर देंगे। अभी तो बहुत समय पड़ा है, साढ़े बारह ही बजे हैं तो आप इन लोगों को जीरो आवर में एक बजे तक बोलने दें। कहां दिक्कत है? यों भी अभी तीन बजने में बहुत टाइम पड़ा है। (व्यवधान) नहीं, साहब, यह तय हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, सवाल यह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं है सवाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाल क्या है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सचेतक महोदय, यह बोलने का सवाल नहीं था। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हाउस को वह चलायेंगे या आप चलायेंगे। आप उनको....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चलायेंगे क्या? नहीं, आप बोलो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : घनश्यामजी के बार-बार खड़े होकर कहने से हाउस नहीं चलने वाला।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : घनश्यामजी खड़े हो गये, कह दिया और आपने....

श्री जगदीप धनखड़ : प्रतिपक्ष तो दे दो घनश्यामजी को, सत्ता पक्ष दे दो मंत्रियों को, बहुत अच्छा काम हो गया। इस प्रकार की घोषणा आप देते हैं... (व्यवधान) इतने बड़े भ्रष्टाचार का मामला है...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपका अधिकार है तो घनश्यामजी का भी अधिकार है।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो घनश्यामजी अपने अधिकारों में सीमित रहें.... (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मुख्य सचेतक महोदय, प्रतिपक्ष ने एक पाइंट आफ आर्डर उठाया है जिस पर व्यवस्था देनी है आपको। निश्चित रूप से प्रत्येक विधायक, जो भी चाहता है, आपको निर्णय लेने से पहले

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अपनी बात कह सकता है। घनश्यामजी उस नाते से कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : तो हमारी बात पूरी सुनी जानी चाहिए। हम कौन-सा इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं? इस सदन के नेता महोदय, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। आज वह इतना बड़ा गम्भीर मसला है। माननीय नेता महोदय को आगे होकर कहना चाहिए कि इसको तो लाओ। इतना गम्भीर मामला है, पहले हाउस में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय घनश्याम जी, आप अपनी बात कहें, क्या कह रहे हैं। विराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस व्यवस्था के बारे में जो आपने दी थी, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि तीन बजे या दो बजे, जब भी जीरो ऑवर प्रारम्भ हो, प्रारम्भ हो जाय। आज जो विवाद पैदा हुआ वह जीरो ऑवर के कम या अधिक होने से नहीं हुआ है। आज माननीय धनखड़ साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था अलवर के बारे में कि 75 लाख रुपये अलवर से कोई कर्मचारी लेकर आया और उसने जयपुर में आकर कार्यालय में जमा करा दिये और इस प्रकार से उसने अपनी ड्यूटी में अनियमितता की। इस स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया और उसको अस्वीकार करने पर व्यवस्था का प्रश्न माननीय धनखड़ साहब, माननीय डाक्टर साहब और सब उठा रहे थे। उस प्रश्न पर विचार हो रहा था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रश्न उठ चुका है और मैंने इस पर व्यवस्था दे दी। तो उस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए विवाद हो रहा है। यह विवाद जीरो ऑवर को कट करने में या कटौती करने में नहीं है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : 295 ले लिया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जीरो ऑवर हुआ ही नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें, पूरी बात सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अपनी बात कह चुका।

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी): अध्यक्ष महोदय, इस सदन की सदा ही परम्परा रही है कि स्थगन प्रस्ताव अथवा अन्य कोई प्रस्ताव रखा जाता है, खास तौर से स्थगन प्रस्ताव, तो एक अवसर तो वह होता है जब आप प्रारम्भ में ही उसको अस्वीकार कर देते हैं लेकिन उस स्थिति में सदैव, सदन के नेता भी जानते है, दो मिनट के लिए प्रस्ताव करने वाले को बोलने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज तब आती है जब आप सरकार से उसकी जानकारी मंगवाते हैं, उसका

(78)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अध्ययन करके आप यह विनिश्चय देते हैं कि मैं इसको अस्वीकार करता हूं और सरकार की ओर से इसमें कोई जवाब देना आवश्यक नहीं है। इस प्रस्ताव को जब आप सरकार से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् अस्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में भी उस प्रस्ताव को दो मिनट, तीन मिनट अपनी बात कहने देने की परम्परा पिछले 40—45 साल से रही है।

इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इतनी बड़ी संख्या में जब सदस्यों का मन इस प्रश्न के सम्बन्ध में आन्दोलित है तो मेरी राय में इनको अपने विचार व्यक्त करने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि सिवाय कुछ शब्दों के, जो मानहानिकारक हों, अप्रजातान्त्रिक हों, नियम विरुद्ध हों, अपमानजनक हों या आरोपित करने वाले हों तो उनके अन्दर तो आम तौर से आसन प्रतिबन्ध लगा देता है लेकिन वैसे विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। जब इतने माननीय सदस्य चाहते हैं, आपने भी इसको महत्व-पूर्ण समझकर सरकार से जवाब मगाया, उसका अध्ययन किया, उसके ऊपर आपने व्यवस्था फरमायी तो हर हालत में ही प्रस्तावकर्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी बात कहें। यह सदैव परम्परा रही है और मुख्य मन्त्रीजी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। यही आपसे निवेदन है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मुझे थोड़ा निवेदन करना है। 3-4 रोज पहले सदन में एक वातावरण बना, उसके बाद में दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं, आप और माननीय सदस्यों द्वारा बैठकर एक रास्ता निकाला गया कि सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चलायी जाय। उसमें परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को हमने मान लिया। उस परिवर्तन में कब हम कार्यवाही शुरू करें या नहीं करें, 3 बजे का सवाल नहीं है, कई ऐसे अवसर आ सकते हैं कि जब एक बजे ही हम दूसरा काम खतम कर सकते हैं और एक बजे ही डिमाण्ड ले सकते हैं और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जब हम 4 बजे तक नहीं ले पायें। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, उस रोज जो यहां भाव व्यक्त किये गये थे, वे यह व्यक्त किये गये थे कि सदन की कार्यवाही दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से, नेतागणों से राय लेकर इस प्रकार से नियन्त्रित की जाय ताकि माननीय सदस्यों को भी एतराज नहीं रहे और हमारे सदन की कार्यवाही चलती रहे। उसके अनुरूप आपने एक व्यवस्था दी। जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा है, एक परम्परा रही है, एडजार्नमेंट मोशन भी एक टाइप के, एक स्टेज के नहीं होते हैं, अलग-अलग स्टेज के होते हैं। कोई तो आपके सामने जाते ही आप रिजेक्ट कर देते हो, किसी में गवर्नमेंट से जवाब लेते हो और किसी में दूसरी तरह का होता है। तो हमेशा यह रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मैटर जिनमें इन्वाल्व हों, उनमें माननीय सदस्यों को दो मिनट कहने के लिए आप हमेशा कहते आये हो।

अभी सवाल यह उठता है, माननीय चतुर्वेदीजी भी कह रहे थे और घनश्याम जी भी कह रहे थे कि इस मामले में चर्चा

(श्री शिवनाथ सिंह)

हो चुकी है। उस प्रोविजन में इतना ही है कि कोई ऐसा विषय सदन में आये, पूरी चर्चा होकर उस पर एक निश्चित निर्णय ले लिया जाय, उस प्रस्ताव को, उस विषय को तो नहीं उठाया जाएगा लेकिन ऐसा ही एक विषय है जिसमें बराबर हम एजिटेट करते रहे हैं, बात कहते रहे हैं, वह इसमें बार नहीं है, बार सिर्फ उसी में है कि एक सवाल सामने आया उस पर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो चुका, सदन ने एक निर्णय ले लिया। उस निर्णय पर तो हम दुबारा नहीं बोल सकते लेकिन यह तो इश्यू ऐसा है कि माननीय सदस्य ने उठाया था, आपने भी अभी यह कहा कि माननीय रमाकान्तजी ने इस मामले को जीरो आॅवर में उठाया था, जीरो आॅवर में उठाना उस पर निर्णय नहीं होता है, एक मामला उनकी दृष्टि से जो था उन्होंने उठा दिया था, माननीय सदस्य की दृष्टि से उस मामले के दूसरे पहलू हैं।

इसलिए अच्छा होगा कि सदन की कार्यवाही ठीक ढग से चले और ऐसे विषय, सब में आपसे निवेदन नहीं करते, सभी एडजार्नमेंट मोशन में आप दो मिनट का समय दें लेकिन महत्वपूर्ण इश्यू जिसको उस रोज भी एजिटेट किया गया था, आज भी एजिटेट किया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा समन्वय बैठाकर इस प्रकार से व्यवस्था की जाय जिससे कि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल जाय और सदन की कार्यवाही भी चलती रहे। हम सब सदन की कार्यवाही चलाने में साधक बनना चाहते हैं, बाधक नहीं बनना चाहते लेकिन ऐसे इश्यू आते हैं। इसलिए आपके विवेक के हिसाब से उस समय क्या हो, वह करके सदन की कार्यवाही चलने दी जाय। माननीय सदस्य ने जो बात कही और जो एजिटेट कर रहे थे वह पूरे सदन के दिमाग में है। इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कहा; वह कहना नहीं चाहिए, आज दूसरी बात है लेकिन वह प्रश्न इनके दिमाग में एजिटेट कर रहा है, अब इधर के माननीय सदस्य एजिटेट कर रहे थे। इसलिए ऐसे इश्यू पर आपको थोड़ा लिबरल एटिट्यूड करके माननीय सदस्यों को दो मिनट का समय देते तो यह आधा घन्टे का समय बरबाद नहीं होता।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से कार्यवाही करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय,.........

श्री रामनारायण चौधरी : पहले हमको बोलने दीजिये। आप तो सरकारी पक्ष हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं मामला तो आपके पक्ष ने रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मामला तो हमारा है, चीफ व्हिप साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आप बोलने दीजिये हमको, आप बाद में कह लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे कोई एतराज नहीं है पर मैं तो आपको यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...........

श्री रामनारायण चौधरी : आप सदन की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं या नहीं, यह बताइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की कार्यवाही चले।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन की कार्यवाही में आपका सहयोग जरूरी है। आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या + + + में ही समाप्त कराना चाहते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो बैठ जाइये, आप इनको बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चले, यह हमारे हाउस के लिए बहुत आवश्यक है, नियमों से चले, यह भी आवश्यक है और हमारा एक मैसेज जनता में जाय कि प्रतिपक्ष का और सत्ता पक्ष का क्या रोल है, यह मैसेज जाय, यह भी बहुत आवश्यक है इसमें किस प्रकार की कार्यवाही चले ?........

श्री राजेन्द्र पारीक : इस मैटर के मामले में आपने तगड़ा गबन किया और घोटाला किया और आप इस मैटर को हाउस में दबाना चाहते हैं। पब्लिक में यह मैसेज जा रहा है आपका।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय रामनारायणजी साहब, ...

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप + + + भाषण दे रहे हो। आप क्या मैसेज देना चाहते हो ? आप हमारे चीफ व्हिप की बात सुन लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस हाउस को चलाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो महत्वपूर्ण है और देना चाहता है लेकिन आप जैसे आदमी उधर चीफ व्हिप हो गये, वह लेना नहीं चाहते। वह खेतसिंह जी की बात सुनिये, अभी मामला तय हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंह जी की बात पर ही कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो लीजिये हमारा सहयोग।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां पूनमचन्दजी विश्नोई ने इस सदन को चलाने में, मैं उनकी व्यवस्थाएं पढ़ने का........

श्री रामनारायण विश्नोई : हां, तो पूनमचन्द जी विश्नोई ने कहा उसको मान लीजिये, हम तो उस राय से सहमत हैं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो मेरा आपसे निवेदन है, खेतसिंहजी बोलें इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मेरे से पहले बोलना चाहें तो पहले बोल लें, उसमें आपको कोई दिक्कत है तो मैं बैठ जाता हूं। आप पहले कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, आपके कहने में क्या दिक्कत है?

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन नियमों से तो चलता ही है लेकिन उन परम्पराओं से नहीं चलता जो परम्परा हमारे भूतपूर्व अध्यक्षजी ने कही हैं। वह परम्पराएं निश्चित हैं तो, स्पीकर साहब, उनको मौका दीजिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह 75 लाख रुपये का मामला है और उनकी मंशा खराब नहीं है तो ये बोलने क्यों नहीं देते?

श्री रामनारायण चौधरी : इनके बाद आवश्यक हो तो आप बोल लेना।

श्री श्रवणकुमार : सरकार विपक्ष के लोगों को दबाना क्यों चाहती है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई दबाने का सवाल नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जीरो आवर ही सबसे अहमियत का एक आवर है। इसमें हरेक माननीय सदस्य, जो घटनायें इस वीक में या कल-परसों में घट गयी हैं, उनके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। 75 लाख रुपये का मामला और इतनी गम्भीर बात, इसके ऊपर निश्चित तौर पर आपको समय देना चाहिये था। मैं मानता हूं कि आप उदार हृदय हैं और सैशन के थोड़े दिन रहे हैं, जीरो आवर एक बजे तक चलने दीजिये। इसमें कहां दिक्कत आती है? यह चार का, तीन का क्यों इसमें डाल रहे हैं? जिस किसी को बोलना हो उसको जीरो आवर में मौका दीजिए। दो-दो मिनट में सब अपनी बात कह देंगे और जिसमें माननीय मंत्री समझें कि इसमें हम कुछ जवाब देना चाहते हैं, दे दें, नहीं तो नोट करके बाद में उनको भेज दिया करें। हमारे वक्त में तो जीरो आवर में हम जवाब भी दिया करते थे और साथ में लिखित में भी भेजते थे। (व्यवधान) लिखित में भेजते थे कि आपने यह प्रश्न उठाये हैं, उनके ये जवाब हम भेज रहे हैं। आप हाजिर भी नहीं रहते हो। आप मंत्रियों को कम से कम जीरो आवर में यहां बैठना चाहिये। आखिर आपके विभाग के बारे में हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि ये गलतियां आपके विभाग में हो रही हैं। डेमोक्रेसी में और होता क्या है? सतर्कता के लिये हम यहां बैठे हैं और आपका यह फर्ज है कि जीरो आवर में जितने भी, आपके कॉल अटेंशन मोशन आयें और इसमें ये एडजोर्नमेण्ट मोशन लाये थे, बहुत ही अहमियत का प्रश्न था, 75 लाख रुपये इस तरह से बोरी भरकर यहां ले आये 7 दिन बाद में जमा कराये। ऐसे मसले में भी आप सुनना नहीं चाहो तब तो गजब की बात है। इसमें तो कोई अन्त ही नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अध्यक्ष महोदय इसमें शिथिलता बरतेंगे और हमको समय देंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान), एक मिनट, 19 तारीख को मैंने आपको कोई स्थगन प्रस्ताव दिया, उसमें आपने यह कहा कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन : देखिये, आप यदि इस प्रकार करेंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री जुबेर खान :... इसको सरकार को भेज रहे हैं, सरकार से उत्तर आने के बाद में व्यवस्था दी जायेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जुबेर खान : मैं बीच में आप से स्वयं चेम्बर में जाकर 3-4 दफा मिला कि, अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके 75 लाख का मामला है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आखिर आपको और हमको यह तय करना पड़ेगा कि यह सदन कैसे चले ?

श्री जुबेर खान : आप इसको, अध्यक्ष महोदय,... एक मिनट, साहब, आप मौका दीजिए। आपने बार-बार (व्यवधान) कहा कि माननीय सदस्य, मैं इसके ऊपर एक दो दिन में अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आखिर सदन तो नियमों और परम्पराओं के आधार पर ही चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री जुबेर खान : आपके पास सरकार का उत्तर आ गया है। परम्परायें रही हैं, आप ही स्वयं सरकार का उत्तर पढ़कर सुनाते हैं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप चाहते क्या हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री जुबेर खान : कि सरकार ने यह उत्तर दिया है, लिहाजा मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं समझता, (व्यवधान) लिहाजा इसको नहीं ले सकता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनसे ज्यादा जोर से हम बोल सकते हैं।

श्री जुबेर खान : आपने कुछ कहे बगैर आउटराइटली यह कह दिया।

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव तो आज तक इस विधान सभा में स्वीकार हुआ ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको स्वीकार करो।

श्री अध्यक्ष ; माननीय, इनको बोलने दें पहले आप।

श्री जुबेर खान : लेकिन परम्परा यह रही है कि सदन की जानकारी में आये। 19 तारीख से मैं आपके निर्देशानुसार कुछ नहीं बोला। आपने कहा कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, माननीय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि सदन को, माननीय खेतसिंहजी साहब,....

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतकजी को बात कहने दें आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार की ओर से उत्तर आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि सदन को आप इस तरह से चलाना चाहते हैं तो आप चलायें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इस सम्बन्ध में दो मिनट बोलने का मौका दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके कोई भी माननीय सदस्य आपके उसमें हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको कह रखा है, इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं करें।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बताएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन किसी को इजाजत दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं है। आसन क्या व्यवस्था देता है, यह हमारा विषय नहीं है परन्तु यह सदन नियम और प्रक्रियाओं के आधार पर ही चलेगा या जो परम्परायें हैं, उनके आधार पर चलेगा। अब परम्परा यह रही है कि पहले स्थगन प्रस्ताव आते थे और उनको अस्वीकार करते थे तो उन पर दो मिनट बोलने का अवसर देते थे। फिर इतने स्थगन प्रस्ताव आने लगे। उसके बाद इसी सदन में माननीय नेताओं ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की, जैसे पहले 295 की नहीं थी, वह दो मिनट के बजाय बहुत लम्बा-लम्बा हो जाता था और अर्जेण्ट मैटर के बजाय बहुत पुराने-पुराने सवाल यहां पर आने लगे तो व्यवस्था यह हुई कि स्थगन प्रस्ताव नहीं आयें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सब तय होकर के यह तय हो गया था कि तीन बजे तक अपन डिमाण्ड शुरू कर देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर क्या मसला है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर प्रश्न यह है कि वह 295 आया। अब प्रश्न यह है कि जैसे मान लो कि रूल 50 के अन्तर्गत जो स्थगन प्रस्ताव अपन देते हैं। उसमें व्यवस्था की गयी है, यह 52 के 4 में इस प्रकार का प्रावधान है कि प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है, एक। दूसरा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यह है कि ऐसी भी व्यवस्था है, और परम्परा भी है, कि माननीय अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार की भी व्यवस्था दे दें उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय ऐसा उचित समझते हैं कि इस पर दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाय तो हमको एतराज नहीं है लेकिन मान लो कोई ऐसी व्यवस्था आसन से हो चुकी कि अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, अब इसके बाद आसन पर इस प्रकार के रिमार्क्स किये जायें और वेल में आ जायें। एक छोटा सा मामला है, पूर्व में ऐसी परम्परायें भी रही हैं। (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : छोटा सा मामला नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बोलेंगे, बोलने का अधिकार पुनः स्थापित करके रहेंगे। हमारे बोलने का अधिकार छीना गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : शुरू में ऐसी परम्परायें भी इस सदन में रही हैं (व्यवधान) अध्यक्षजी, आसन की व्यवस्था से कोई रूलिंग ...(व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार : अध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं कि मामला कुछ नहीं है। 75 लाख का सरकार को चूना लगाने वाले अधिकारी को हाउस में बचाया जा रहा है, (व्यवधान) और यह कहते हैं कि कोई मामला ही नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : 75 लाख के मामले को भी दबाना चाहती है यह सरकार। ऐसी + + + सरकार है। अध्यक्ष महोदय, आप इसमें शामिल मत होइये। आप हमको हमारा पूरा अधिकार दीजिए बोलने का। यह क्या तरीका है ? (व्यवधान) इस हाउस में हम अपने विचार नहीं रखें। हम मुंह बांध कर आ जायें। पट्टी लगा लें हम हमारे मुंह पर.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिन्होंने अपने जीवन में गड़बड़ करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, वह भ्रष्टाचार की बात करें...

श्री मोहनलाल मोदी : आप कहें तो मैं इस रूमाल से अपना मुंह बन्द कर लूं।

श्री अध्यक्ष : कितनी बार कह दिया कि कोई नोट डाउन नहीं होगा। अंकित नहीं करें, कितनी बार समझाया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री किशनाराम नाई : × × X

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मामड़ा साहब, आप बतायें। आप बोलें। आपने विचार किया, आपने विचार किया, आप भी अपने विचार रखें।

श्री हरिशंकर मामड़ा : मेरी बिना इच्छा के आपने मुझे आदेश दिया है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य मेरे से मन में वैसे ही गांठ रखते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, नहीं, कोई गांठ नहीं।

श्री हरिशंकर मामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : नहीं है तो फिर शांति से सुन लीजिये। शांति से सुन लीजिये। जहां तक जीरो ऑवर के चलने का प्रश्न है, आपत्ति इस पर नहीं है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई है.... (व्यवधान).... आप चुप रहिये, सुनिये। मैं बैठ जाऊं?.... (व्यवधान)... आपत्ति इस बात पर है कि आप सदन में अध्यक्ष के आदेशों की किस हद तक अवहेलना करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ, एड्जोर्नमेंट मोशन आपने दिया, अध्यक्षजी ने खारिज कर दिया और इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। मैं आदेश की बात बता रहा हूं, हुई या नहीं हुई, मैं फैक्ट्स में नहीं जा रहा हूं। यह अध्यक्ष के विवेक पर है कि वह उसको चर्चा माने या नहीं माने क्योंकि चर्चा का जहां तक....(व्यवधान).... प्लीज, पहले आप मेरी सुन लीजिये। अब जहां तक, नहीं-नहीं, यदि आप चर्चा की बात करते हैं....(व्यवधान).... नहीं, आप सुनिये। आप चर्चा की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने उस दिन शून्यकाल में उठाया, आज भी तो चर्चा नहीं होगी, दो मिनट बोलने का ही तो समय चाहते हैं आप ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री हरिशंकर मामड़ा : तो चर्चा तो नहीं होगी ना?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री हरिशंकर मामड़ा : तो केवल बोलेंगे ना? इसलिये जहां तक चर्चा का प्रश्न है, वह और आज दोनों समान है, उसमें कोई अन्तर नहीं है। अगर आप बोलकर उसका कुछ नतीजा निकलवायें, उसका जवाब लें तब तो चर्चा है। वह तो होगी नहीं क्योंकि आपकी परम्परा के हिसाब से ही वह नहीं है, केवल दो मिनट बोलने का है। जो दो मिनट से बोलना चाहते हैं, वह पहले दस मिनट बोल चुके हैं। चर्चा तो न उस समय हुई और न आज होगी तो इस मामले में .. (व्यवधान) .. सुन लीजिये पहले। इस मामले में तो बराबरी की स्थिति होगी। यदि आप यह कहें कि मामला इतना गम्भीर है कि इस पर चर्चा होनी चाहिये, वह सवाल दूसरा है। चर्चा उठाने के लिये जरूरी नहीं है कि एडजोर्नमेंट मोशन हो हो, चर्चा के और तरीके भी हैं जिससे इस पर चर्चा हो सकती हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तो वैसा ही कर दीजिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह हवाला नहीं दिया गया....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा : और तरीके भी हैं। मैंने आपको बताया है ना कि उस पर और भी बहुत से रूल हैं जिनसे आप लम्बे समय तक चर्चा कर सकते हैं, पूरा उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो और भी रूल्स हैं। तो चर्चा ही यदि आपको करानी है तो किसी दूसरे रूल का सहारा लेना चाहिये और केवल आपको दो मिनट बोलना है तो दो मिनट तो वह आलरेडी बोल चुके हैं। इसलिये सरकार के सामने जो तथ्य आप लाना चाहते हैं, वह आ गये हैं, वही तथ्य आप लायेंगे, कोई नये तथ्य तो आप लाने वाले नहीं हैं... (व्यवधान).... अब सुन लीजिये।

अब सवाल यह है कि सदन में अव्यवस्था इसलिये हुई कि माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यह बात पकड़ ली कि अध्यक्षजी को हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे।....(व्यवधान)... देखिये, जो हुआ है, वह बता रहा हूं। हुआ यह है कि सदन नहीं चलेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी और माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य डेस्क पर आ गये। यही बात वहां पर भी हो सकती थी। वे डेस्क पर आ गये, अब डेस्क पर आकर नारे लगाने लगें। नारे लगाये हैं कि "नहीं चलेगा, नहीं चलेगा"....(व्यवधान) ....आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो भाषण देने लग गये.. (व्यवधान) ....आप क्या बात करते हो ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपने आपको क्या समझते हो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जब आपने मुझे कहा, आप मुझे शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं बोलता। मेरी इच्छा भी नहीं थी, अध्यक्ष जी ने कहा है इसलिये बोल रहा हूं.... (व्यवधान) ...

श्री जगदीप धनखड़ : बोलना ही पड़ता है, निर्देश पर तो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, तो अध्यक्षजी ने आदेश दिया है, बोल रहा हूं। तो मामला शून्य-काल का नहीं है। शून्य-काल में किसी को आपत्ति नहीं है, आप यदि अपनी बात कहें, अध्यक्षजी के आदेश से कहें तो कोई झगड़ा नहीं है.... (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : शून्यकाल की भी आपत्ति थी....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ . कैसे नहीं है ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : लेकिन अध्यक्षजी की व्यवस्थाओं को ही आप चेलेंज करने लग जांय और उसी पर अड़ जायें तब झगड़ा होता है। आज मामला यही हुआ है कि अध्यक्षजी ने जो भी व्यवस्था दी, आपको शायद वह पसन्द नहीं आयी। यह मैं मानता हूं कि नहीं आयी होगी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी, उन्होंने उस व्यवस्थ

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

को बदलने के लिये हां नहीं भरी....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने रिक्वेस्ट की है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, बिलकुल, आपको रिक्वेस्ट करने का अधिकार है मगर अन्ततोगत्वा निर्णय तो अध्यक्षजी को लेना है। उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां तक तो पहुंचे ही नहीं है, हमने तो रिक्वेस्ट की है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसलिये मैं बता रहा हूं, पहले सुन तो लीजिये आप, इसलिये स्वीकार नहीं किया...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : आप पूछें ....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं-नहीं, मैं राय दे रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : निर्णय के लिये ही आपकी राय पूछ रहे हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सुनिये आप। स्वीकार नहीं किया और आगे चले गये और एक बिल पुरःस्थापित हो गया। 295 के नाम बोल दिये, कोई बोला नहीं और आज अब सदन की कार्यवाही यहां तक पहुंच गयी है कि विधायी कार्य शुरू हो गये। इसका मतलब साफ है कि अध्यक्षजी ने आपकी बात नहीं मानी। अब सवाल यह है कि अध्यक्षजी ने जब बात नहीं मानी और इतने आगे आ गये, अब क्या आप पीछे जा सकते हैं? इस पर भी गम्भीरता से आप विचार कर लीजिये कि अध्यक्षजी आगे आ गये, विधायी कार्य पर आ गये, अब क्या विधायी कार्य आने के बाद फिर से शून्यकाल शुरू होगा? यह परम्परा मेरे ख्याल से, मैंने तो कहीं नहीं देखी कि एक बार विधायी कार्य आने के बाद....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यहां आपने तो पंचायत एक्ट पास करवा दिया.... (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा : फिर शून्य काल हो, यह नहीं है। मेरी राय है, बाकी जो आपकी....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने तो आसन पर बिराजमान होकर पंचायती-राज एक्ट पास करवा दिया...(व्यवधान)..

श्री हरिशंकर भामड़ा : मर्जी है वैसा करिये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने तो पंचायत एक्ट को पास करवा दिया.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण डूडी : आपने अपनी मेजोरिटी के बगैर सरकार का.... (व्यवधान)....

—

श्री जुबेर खान : आप भी स्पीकर रहे हैं, आपने बगैर सरकार का जवाब दिये आज तक कोई व्यवस्था दी हो तो आप बता दीजिये। आपको बदलना पड़ेगा। आपने जब भी किसी स्थगन प्रस्ताव को नामजूर किया है, आपने उस आसन से सरकार द्वारा दिये गये उत्तर पढ़कर सुनाये हैं लेकिन आज अध्यक्ष महोदय ने कोई बात नहीं बताई कि क्योंकि चर्चा हुई है या। सरकार की ओर से उत्तर का कोई हवाला नहीं दिया, सीधी एक बात कह दी कि इस स्थगन प्रस्ताव को मैं अस्वीकार करता हूं। कोई भी बता दीजिये, आप पहले बताते थे कि सरकार ने क्योंकि यह उत्तर दिया है इसलिये मैं समझता हूं कि अब यह लोक महत्व का नहीं रहा है इसलिये आगे चर्चा नहीं होगी। यह तो स्ट्रेटवे अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी कि इस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। ऐसा थोड़े ही होता है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्षजी, भामड़ाजी ने जो बात कही है, उसको मेरे को थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि जीरो ऑवर खत्म कर दिया गया है, अब डिमाण्ड्स ले ली गयीं, अब वक्त निकल गया। यह वक्त किसने निकाला ? हम जब इस बात को उठा रहे थे, एक बड़ा गम्भीर मामला है इसलिये हमारी बात सुनिये हमारी बात सुनने का इन्तजार किये बगैर ही आगे बढ़ गये और..(व्यवधान)....आप सुनिये .....(व्यवधान).... बात तो सुनने दीजिये... (व्यवधान) हमारी बात पूरी सुने बगैर हमारे रिक्वेस्ट की रिकंसीडरेशन की (व्यवधान)... हमारी रिक्वेस्ट पर व्यवस्था दिये बगैर ही कार्यवाही को आगे बढ़ा दी। इसका मतलब यह है कि हमारी बात बाइपास करने हेतु इरादतन मामला आगे बढ़ाया गया। ऐसी सूरत में हमारे सामने और कोई चारा नहीं था कि जो एक्शन हमने लिया वह लें। अगर कोई आदमी या इस सदन का सदस्य या अध्यक्ष या सदन का नेता या विपक्ष का नेता, कोई बात को ऐसी करके और आगे बढ़ाकर टालमटोल करे, व्यवस्था का सवाल है, कानून का हवाला दे, यह बात बिलकुल गुमराह करने की है और सदन को गुमराह करने की बात है। माननीय भामड़ाजी ने जो बात कही है, वह कानून की आड़ में लीपापोती की बात है।

अब हमारा एक ही निवेदन है, बिलकुल एक ही निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने जबरदस्त तरीके से बोलते आये हैं और आज खुद भ्रष्टाचार पर आवरण डाल रहे हैं। हमें तो यह पूछना है कि आप उस वक्त जो भाषण देते थे, जब आपके हाथ में काम नहीं था तब तो आप भ्रष्टाचार दुनिया को बताते थे और जब आपके यहां भ्रष्टाचार भयंकर पनप रहा है और डाकुमेंटरी मामला है, उस 75 लाख का डाकुमेंटरी मामला है, वह मिसएप्रोप्रिएशन 75 लाख का हुआ, उस मामले में न दो मिनट जवाब देना चाहते हैं, न डाकुमेंटरी मामले में सरकार यह कहती है कि यह-यह काम हुआ, इसमें क्या एतराज है लेकिन जानबूझ कर मामले को दबाना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियमों का हवाला, परम्पराओं का हवाला, स्वस्थ परम्पराए

(डा. हरिसिंह)

होती हैं, उन्हीं का हवाला दिया जाता है। बेईमानी से न तो कोई परम्परा मानी जायेगी और न कोई नियम माने जायेंगे। जब नियमों को ईमानदारी से आप मानेंगे, सत्ता पक्ष अगर ईमानदारी से नियमों का पालन करेगा और परम्परायें निभायेगा तो हम भी बाध्य हैं लेकिन बेईमानी की आड़ में, अगर हेराफेरी की आड़ में नियमों का हवाला देकर हमें दबाया जाता हैं तो हम नहीं दबेंगे और इस सदन को नहीं चलने देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में सबसे पहले इस मामले को मैंने उठाया था....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मामड़ा साहब ने फरमाया कि इस बिन्दु को किसी और प्रकार से उठाया जा सकता था लेकिन मैं माननीय मामड़ा साहब से, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि अब जबकि सदन मात्र छह-सात दिन के लिये चलने वाला है, हम इस बिन्दु को न तो किसी प्रश्न के माध्यल से उठा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के लिये भी 14 दिन का समय चाहिये, अल्पकाल का प्रश्न लगता नहीं है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कल भी मैंने कहा था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने 20-20 दिन पहले दिये हैं, उनका रिप्लाई नहीं आया है, रूल 49 के तहत इसको उठा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक यह ही तरीका बचा था कि एडजोर्नमेंट मोशन के माध्यम से इस बात को उठाते और आपने स्वयं ने कल इस बारे में अपनी ओपिनियन दी है; व्यवस्था दी है कि दो-दो मिनट बोलने का मौका देंगे। इसके अलावा भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कल की व्यवस्था से आप स्वयं पलट जायें, इससे बढ़कर और दुःख क्या हो सकता है? आपने व्यवस्था दी थी कल कि चार माननीय सदस्यों को यहां पर अपनी बात कहने की अनुमति होगी। जो भी इस प्रकार के विषय आयेंगे, जो भी स्लिप्स आप के पास आती हैं, आपने उसको कर्टेल कर दिया। हमने आपकी बात मान ली। आपने उन चार के नाम लिये बिना उस बात को आगे बढ़ा दिया।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्दर पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही विपक्ष महत्वपूर्ण है चाहे विपक्ष की संख्या कम हो, चाहे विपक्ष की संख्या ज्यादा हो। अध्यक्ष महोदय, Opposition will have their say and the ruling party will have their way. हम जनता की भावनाओं का एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपना पक्ष ही प्रस्तुत करें और अपने पक्ष की ही बात सुनकर खुश हो लें तो मेरे ख्याल से वह आपकी खुशफहमी होगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्दर कृपया अपोजिशन के अधिकारों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, यह मेरा निवेदन है। यहां चार-चार, पांच-पांच बजे तक जीरो आॅवर चलते रहे हैं। उस वक्त हमारे माननीय सदस्य जो इधर बिराजते थे

(श्री लक्ष्मण सिंह)

उन्होंने रात को एक-एक बजे तक डिमाण्ड यहां पर पास करायी है लेकिन आप उसको वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट लाइज कर दें और यहां पर जो आप व्यवस्था कल दें, उसी व्यवस्था का अगर पालन नहीं करें तो हम अपने बोलने के अधिकारों के ऊपर रोक नहीं लगने देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमको बाध्य होकर वैल में आना पड़ा क्योंकि यह अंतिम अस्त्र होता है और इसके कारण हम वहां पर गये, क्योंकि बोलने का अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष : आजकल तो रोज ही आ रहे हैं वैल में, इसमें कोई नयी बात नहीं हुई है अभी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : रोज आ रहे हैं, कल भी आये, परसों आये धरने लग रहे हैं। ... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे अधिकारों को रोकेंगे तो धरने लगेंगे। आप थोड़े लिबरल रहिये।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : बहुत सी जगह तो विधान सभा अध्यक्ष के निवास पर जाकर धरने दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत ही मुश्किल से आया जाता है वैल में तो। फिर उस वैल की महत्ता भी खतम हो जायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : परम्परा तो यह भी रही है कि विधान सभा अध्यक्ष के घर के निवास के बाहर बैठ कर भी धरने दिये हैं आप लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : वैल में आने की महत्ता भी खतम हो जायेगी, हर बात में आप वैल में आना चालू कर देंगे तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इतने नाराज नहीं होइये।

श्री अध्यक्ष : मैं नाराज नहीं हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मसला बहुत गम्भीर था इसलिए हमारे सदस्य बहुत ही एजीटेट थे। 75 लाख का घोटाला, उसमें आप दो मिनट का समय भी बोलने का नहीं दें और आप एकदम से....

श्री अध्यक्ष : नेचूरल है एजीटेट होना, मैं आपको निवेदन कर देता हूं। आज के तीन-चार दिन पहले रमाकान्तजी ने यह मैटर उठाया जीरो ऑवर में, उसके पहले घनखड़जी बोलने लगे पर उस समय माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी ने कहा कि रमाकान्तजी प्रश्न की सूचना दे चुके हैं, पहले इनको बोलने दिया जाए। रमाकान्तजी बोले, उसके बाद घनखड़जी भी बोले, सारे माननीय सदस्य बोल चुके उस दिन, काफी डिस्कशन इस पर हुआ है। कम से कम ...(व्यवधान) ....सुनें आप....

श्री जुबेर खान : सारे कोई नहीं बोले, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। कम से कम 10-12 मिनट इस पर चर्चा हुई

(श्री अध्यक्ष)

और इन्होंने कहा कि वह 75 लाख रुपये यों हो गये और बारे में लाया। यह माननीय रमाकान्तजी ने उठाया, उसके बाद घनखड़जी भी बोले और उसके बाद यह स्थगन प्रस्ताव आया जिसको मैंने अस्वीकार किया। अब ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपका सरकार में भेजने का क्या औचित्य था जब यह बात सारी पहले हो गयी थी ?.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : मैं फैक्ट्स मंगाना चाहता था और उसमें साफ आया कि यह 75 लाख रुपया जमा हो चुका है, बोरे में लाया। उसके बाद, क्योंकि उस दिन उस पर चर्चा हो गयी थी इसलिए उसको आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं समझ कर यह व्यवस्था दी थी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा स्थगन प्रस्ताव आया है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें, बिराज जाएं।....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : आप रिकार्ड चैक करा लीजिये, रमाकान्तजी के उठाने के एक दिन पहले मैंने स्थगन दिया है। आप सेक्रेटेरिएट से मंगाकर मालूम करा लीजिये।

श्री हीरालाल इन्दोरा : यह 75 लाख रुपये कब जमा हुए ?

श्री जुबेर खान : आप मालूम करा लीजिये। अगर पहले नहीं आया होगा तो मैं अपना स्थगन विदड्रा करने को तैयार हूं। पहले स्थगन आया, बाद में माननीय सदस्यों ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन नहीं आया।

श्री जुबेर खान : आप मालूम करा लीजिये, मैं मान जाऊंगा। आप सेक्रेटेरिएट से मालूम कर लें....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ऐसे चलायेंगे हाउस को ? अध्यक्ष बोल रहे हैं और आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप एक तरफ तो व्यवस्था चाहते हैं, अजीब बात है यह। आप इसी तरीके से करते हैं तो फिर मत चलाइये हाउस, बिजनेस हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आजकल दो-चार माननीय सदस्य तो वैल में आकर और ऊपर खड़े होकर जोर से कहने के आदी हो गये हैं। मैं आप से भी ज्यादा जोर से आवाज में बोल सकता हूं पर मेरी अपनी मर्यादा है जो मैं कायम रखूंगा। आप यहां तक चढ़कर के आये हैं, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कहा, बहुत शालीनता रखी है। उसके बावजूद भी सारजेंट को नहीं बुलवाया..... (व्यवधान) अब आप सुन लीजिये, सुनिये आप--कि आप पास में आइये, हमारी रक्षा करिये। मैं जानता हूं कि आप शालीनतापूर्वक नीचे उतरेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी शालीनता की तो सर्वत्र प्रशंसा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, जहां तक जीरो आवर का सवाल है, जीरो ऑवर मैंने नहीं रोका है। व्यवस्था के बाद आप शोरगुल करने लगे, 25 मिनट उसमें निकल गये, 20 मिनट निकल गये तो फिर मजबूर होकर एक माननीय सदस्य का नाम भी मैंने पुकारा जीरो ऑवर के लिए पर उस शोरगुल में आपकी आवाज दब गयी। मैंने यह कहा कि यह जीरो ऑवर समाप्त अब, 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं इसलिए अब मैं 295 ले रहा हूं। 295 के पश्चात्, जब 295 में एक-एक कर के नाम पुकारा, कोई माननीय सदस्य नहीं बोला, माननीय शिवकिशोरजी बोले, कन्हैयालालजी बोले और उसके पश्चात् बात यहीं समाप्त हुई। उसके पश्चात् मैंने भीमसेनजी चौधरी को पुकारा कि आप याचिका उपस्थापित करें, मैंने गोपीरामजी को पुकारा। उसके बाद ध्यानाकर्षण के लिए किशनारामजी को पुकारा और उस शोरगुल में आपने पूरी बात सुनने नहीं दी। उसके बाद माननीय जगदीपजी धनखड़ को भी पुकारा, इनका 131 का लगा हुआ था, उन्होंने सुना नहीं इसलिए मुझे मजबूर होकर उस समय विधायी कार्य लेना पड़ा। मैंने कहा, अब आप चलने ही नहीं देना चाहते और यह आवश्यक समझ कर मैंने कहा.... (व्यवधान) ..

अनेक माननीय सदस्य : मांग पास करा लीजिये। .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। ... (व्यवधान) ...

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि पांच मिनट आप धैर्य तो रख लेते। आप सदन को चलाना चाहते थे। आपको क्या जल्दी थी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। मैं 200 लोगों का एक साथ तो जवाब दे नहीं सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक : मांग पास करा लो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।.... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : भाभड़ाजी ने भी हमेशा ऐसा ही किया था और आज से पहले भी यही करते रहे हैं ...(व्यवधान)....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्षजी, आपसे निवेदन है कि आपने इतनी जल्दबाजी की, आप और थोड़ा सा धैर्य रख लेते तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।.... (व्यवधान)....आप फरमाए अब।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्षजी, आप थोड़ा धैर्य रख लेते तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे यही रिक्वेस्ट की है, अब यह सब वैल में आ गये तो आगे से आगे आप कार्यवाही करते गये अगर उस वक्त में आप रुक जाते तो यह कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती, अब आपने कर दी, या तो फिर इस पर कल आप

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आधे घटें की चर्चा रख दीजिये, हम मन्जूर करते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नियमों के तहत उठाइये।....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल आप आधे घण्टे की चर्चा रख दीजिये या फिर इनको आज मौका दे दीजिये ताकि ये दो-दो मिनट बोल लें।

श्री अध्यक्ष : आप अन्दर चैम्बर में मिल लें और आप और हम मिल बैठ कर इसका फैसला कर लेंगे। ....(व्यवधान)... चैम्बर में मिल लें, आप और हम मिल बैठ कर इसका फैसला कर लेंगे।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : यह मामला आपकी व्यवस्था द्वारा ही सुधर सकता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : शून्य काल कराओ।....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी व्यवस्था दो।....(व्यवधान)....

डा. हरिसिंह : अध्यक्षजी, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इसको रिकंसीडर करके सदन में ही व्यवस्था देवें और आधे घंटे की चर्चा इस पर रख दी जाए। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पता नहीं 75 लाख का क्या घोटाला हुआ। इतना संजीदा मामला है, हाउस में इस पर चर्चा होगी, आप फरमा रहे हैं कि बैंक में रुपये जमा हो गये, चर्चा से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूर्व की परम्पराएं स्थापित करिये, अध्यक्ष महोदय। जो पूर्व में परम्पराएं स्थापित हैं, उनको पुनः स्थापित कीजिये।....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आधा घंटे के लिए सदन को स्थगित फरमा दें। फिर उसके बाद उसकी चर्चा करवा लें। बेहतर यही होगा। हाउस को इन-आर्डर करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा,

(श्री अध्यक्ष)

सदस्या, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

(प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का वैल में आगमन।)....(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।.... (व्यवधान) माननीय, बिराजें आप।

विधेयक पर खण्डशः विचार। खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड-1 के उपखण्ड (2) में अभिव्यक्ति "5 जुलाई" के स्थान पर अभिव्यक्ति "12 जुलाई" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड--1 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड--1 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी।)

अधिनियम सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी ।)

श्री देवीसिंह भाटी, सिचाई मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-46-सिचाई एवं **श्री ज्ञानसिंह चौधरी**, कृषि मंत्री अनुदान की मांग सख्या-37-कृषि विचार एव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

अनुदान की मांगे
मांग संख्या--46--सिचाई

श्री देवीसिंह भाटी (सिचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-46-सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,04,32,39,000/- (दस अरब चार करोड़ बत्तीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ।

मांग संख्या--37--कृषि

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,97,82,08,000/- (एक अरब सत्यानवे करोड़ बयासी लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ।

मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

1. इन्दिरा गांधी नहर की कंवरसेन जलोत्थान योजना की आरडी 297 के दाहिने किनारे स्थित फूलदेसर,

(श्री परसराम मोरदिया)

खोरवराना, खिपेरा, सोढवाली, घीरेरा पंचायतों के क्षेत्रों व आरडी 301 की (बांये किनारे) हुसेरा, लूणकरणसर, नाथवाना, सहजरासर, कालू, गारबदेसर पंचायतों के क्षेत्रों के सूखा संभाव्य क्षेत्रों को कम से कम सिचाई गहनता के आधार पर नवीं योजना के प्रथम वर्ष तक सिचाई सुविधा प्रदान करने हेतु योजना तैयार करने व इस नहर की प्रस्तावित सिचाई योजना पर लगी रोक को हटाने पर चर्चा के लिये।

2. गंगा नदी के बाढ़ के पानी के हिस्से सम्बन्धी सन् 1972 से लम्बित प्रकरण का शीघ्र फैसला कराकर राज्य सरकार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. खाजूवाला, खोयेवाली व बंधली वितरिकाओं की टेल रिचेज की सिल्ट क्लीरियैन्स व उनके रख-रखाव का उपयुक्त प्रबन्ध न करने इन नहरों की इन रिचेज को पूगल शाखा से सम्बन्ध न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

4. इन्दिरा गांधी नहर के पूगल व दंतौर के ब्रांच के काश्तकारों को रेतीले टीले में से निकलने वाले वाटर, कोर्सेज पर पट्टियां लगाने में सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

5. मण्डावा कस्बे में निर्माणाधीन बाढ़ के पानी के नाले को पूरा कर पानी सिचाई के उपयोग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. यमुना जल को झुंझुनूं, सीकर तथा चूरू जिलों में सिचाई हेतु पहुचाने तथा आधारभूत सुविधा जुटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

7. चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा की बांई मुख्य नहर क्षेत्र के सहायक अभियन्ता को इनके अधिकार क्षेत्र में मशीने स्थायी तौर पर नहीं देकर कोटा से ही संचालित करने पर क्षेत्र के कृषक वर्ग एवं जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

8. चम्बल क्षेत्र में जन उपयोगी कार्यों पर अधिक बजट राशि नहीं देने से पुलियाओं, काजवें आदि कार्यों के न होने से जनता में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा होने के लिये।

9. चम्बल क्षेत्र के लबान एवं खटियाडी सब-डिविजन पुनः शुरू किये जाकर अन्तिम छोर के कृषकों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

10 कोटा सम्भागीय स्तर पर राजवाह (डस्ट्रीब्युटरी) वाइज दुरुस्तीकरण एवं मरम्मतादि पर मांगी गई राशि 40 करोड़ रुपया दो वर्षीय या तीन वर्षीय योजनानुसार देकर चम्बल की नहरों में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. चम्बल परियोजना में नहरी अव्यवस्था विशाल क्षेत्र एव जटिल समस्याओं के समाधान हेतु बेलदारों, मिस्त्रियों एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की सख्या बढ़ाई जाकर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

12. बाण गंगा नदी से जो पानी पूर्व में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र स्थित बांधों में आता रहा है उस पानी के बांधों में आने के मार्ग को ठीक कर बांधों में पानी भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. आजऊ बांध तथा कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अन्य बांधों में मोरियों पर शटर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. गर्मियों के दिनों में भरतपुर फीडर में यमुना जल लाकर कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पोखर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. 12 मई, 1994 के यमुना जल बंटवारे के समझौता के अनुसार राजस्थान का पानी ओखला बैराज से राजस्थान की स्वतन्त्र अलग नहर या भूमिगत पाईप लाइन बिछाकर पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. यमुना नदी का पानी 12 मई सन् 1994 के समझौता के अनुसार भरतपुर जिले में लाने के लिए गुड़गांव नहर व भरतपुर फीडर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

17. अन्तर्राज्यीय जल विवादों का हल राज्य के हित में कराये जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

18. विद्युत संकट को देखते हुए सिंचाई के उपलब्ध साधनों के विकास के लिए अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. राज्य की अधूरी तथा लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

20. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य फलदार वृक्षारोपण, चरागाह विकास पशुपालन उद्योग पेयजल उपलब्धि तथा पर्यावरण वृक्षारोपण के कार्य हेतु क्षेत्र निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री विष्णु मोदी)

21. बीसलपुर बांध से सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

22. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में हरिशचन्द्र सागर पर बांध का निर्माण करवा कर उसमें सिचाई व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

23. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में गणेशपुरा तथा भीमसागर बांध में सिचाई हेतु पर्याप्त पानी होने के बाद भी नहरों की सफाई तथा वाटर कोर्स के नहीं होने से पर्याप्त सिचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन छीर्पी बांध पर हो रहे कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार तथा बांध निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

25. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सारोला बांध में रिसाव होने के कारण बांध की सिंचाई क्षमता के अनुसार सिचाई नहीं हो पाने पर चर्चा के लिये ।

26. झालावाड़ जिले की सरेडी सिंचाई परियोजना प्रथम तथा द्वितीय का कार्य आरम्भ करवा कर उसे पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

27. वर्तमान सिचाई व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

28. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को समय पर पुरी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :

29. अधिशाषी अभियन्ता नर्मदा परियोजना जालौर द्वारा अपने रिश्तेदारों को बेनामी तरीके से निर्माण कार्य देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

30. अधीक्षण अभियन्ता नर्मदा परियोजना जालोर के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

31. अधिशाषी अभियन्ता नर्मदा खण्ड जालौर जो पूर्व में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर पदस्थापित थे के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

32. नर्मदा प्रकरण के निविदा सूचना सं. 6,8,9 वर्ष 94-95 के टेन्डर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की शिकायत जोधपुर ठेकेदार संघ द्वारा मुख्यमत्री जी को दिये ज्ञापन दिनांक 13-1-95 में करने पर भी दोषी अधिक्षण अभियंता, अति. मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

33. सिचाई सम्भाग जोधपुर के प्रति मुख्य

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों के "ब" श्रेणी पंजीकरण अस्थाई रूप से बार-बार किये जाने व स्थाई पंजीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

34. सामुदायिक लघु सिंचाई योजना हेतु अनास नदी व हिरन नदी पर लिफ्ट लगाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेंगू) :

35. डोराई बांध की अधूरी नहरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र की ओराई और डोराई बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. स्वीकृत रूपारोल परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. बेगूं पंचायत समिति में ओराई बांध के क्षेत्र में किसानों को नाजायज कब्जों की पेनल्टी से छुटकारा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चंदनमल बैद (तारानगर) :

39. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नोहर साहवा लिफ्ट योजना पर जान-बूझकर धीमी गति से काम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

40. तहसील रामगढ़ (अलवर) के पीपरोली मेव खेड़ा बांध की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. तहसील रामगढ़ (अलवर) के अतरिया बांध की मरम्मत कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. जिला अलवर के सीलीसेढ़ बांध की नहर से ग्राम साहोडी एवं माचंडी (तहसील अलवर) की भूमि को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. तहसील रामगढ़ (अलवर) के ग्राम-खोह-बांधोली के बांध को सिंचाई विभाग के अधीन लेकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

44. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में लोमकागदर बांध का पानी गांव अमारपुरा में नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में सागवाड़ा बांध की केनाल की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में दो नदी नामक स्थान पर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री दयाराम परमार)

47. लोडदा बांध की केनाल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र के विलख बांध की केनाल की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

49. डूंगरपुर जिले में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) :

50. राजसमंद जिले की भीम तहसील के राव तालाब व देवगढ़ तहसील के मोसेज सागर व बीलन की डाग को लघु सिंचाई में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

51. गरवलिया बांध के ओटे को सही करके नीचे वाले गांवों ऊन्दरा बीजा आदि गांवों की कृषि भूमि को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. बान्डी-मेहडा बांध पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भी अधूरे पड़े बांध कार्य पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिए।

53. पाली विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त वाणियावास बान्ध की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. पाली विधान सभा क्षेत्र में जिलाधीश पाली द्वारा पूर्व में स्वीकृत फीडर निर्माण घुमरों से बल्दो की ढाणी के काम को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय सिंह (दिगोद) :

55. कोटा जिले में नहरों एवं नदियों के व्यर्थ व बेकार जाने वाले पानी के खेती के लिये उपभोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

56. तहसील खण्डार (सवाई माधोपुर) में चम्बल नदी से प्रस्तावित वृहत इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना व पीपलदा जलोत्थान सिंचाई परियोजना को चालू किया जाने एवं खण्डार मुख्य संभाग क्षेत्र में मिनि-लिफ्ट सिंचाई योजनाएं भी चालू करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

57. अलमशहूर घाट का बान्ध जो खेतड़ी नीमकाथाना-खण्डेला, उदयपुरवाटी के विधान सभा क्षेत्रों के जलस्तर को ऊंचा करेगा को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी एरिया में बान्ध बनाकर

(श्री मोहनलाल मोदी)

सिंचाई हेतु बरसात के पानी के रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

59. डग क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) :

60. जवाई बांध क्षेत्र में स्थित जालोर जिले के गांव जोड़ा से पादरली गांव जाने वाले रास्ते पर जोड़ा माईनर नहर को क्रोस करने हेतु बना हुआ पुलिया बहुत ही संकड़ा एवं ऊंचा होने एवं जोड़ा गांव से चांदराई जाने वाले रास्ते पर नहर को क्रोस करने हेतु पुलिया नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

61. जालोर जिले में स्थित बांकली बांध की मुख्य एवं माईनर नहरों की मरम्मत करने एवं नहरों को बढ़ाने व सिंचाई की सुविधा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

62. जवाई बांध की जोड़ा माइनर एवं मोगरा माइनर नहरों से होने वाले पानी के रिसाव को रोकने हेतु नहरों को पक्का बनाने एवं मोगरा माइनर नहर को चांदराई गांव की सीमा तक आगे बढ़ाने पर चर्चा के लिए ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) :

63. दौलत सागर की नहरों की पिचिंग कर जल का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

64. बीसलपुर बांध की नहरों की अपर्याप्त निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

65. निवाई क्षेत्र के बीडोली, पराना, हतोना व हरभावन की टूटे हुए पुराने बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :

66. तहसील कोटपूतली में रलाडाव परषोतमपुरा ग्रामों में बांध न बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री अरूण सिंह (डीग) :

67. डीग में गुडगांव नहर की मरम्मत व रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

68. बान्दीकुई क्षेत्र मे रेहडिया चांदेश बांध की मरम्मत तथा उसका विस्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्रीमति इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :

69. सांगानेर क्षेत्र में स्थित गूजर का रामचन्द्रपुरा नेवरा आदि के बान्धों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

70. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के

100

(श्री मोहन लाल मोदी)

झालरा बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिए।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

71. इन्द्रा लिफ्ट योजना जिसका कि सर्वे व तकमीना बन चुका है को सेन्ट्रल-वाटर बोर्ड कमीशन दिल्ली से स्वीकृत कराकर कार्य शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. पांचना बांध की स्पील वे शीघ्र बनवाने एवं पांचना परियोजना की मुख्य नहर एवं सम्पर्क नहरों की मरम्मत एवं सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. सवाई माधोपुर जिले के समस्त प्रस्तावित बांधों व योजनाओं पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए

74. चूली बांध (गंगापुर) को सिचाई विभाग के अधीन लिया जाकर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

75. बाड़ीमान सरोवर बांध को पूर्ण कराने व पानगढ लिफ्ट सिचाई योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

76. पाली जिले के बने बांधों से नदी में आगे आने वाले कुओं में जल स्तर घट जाने से बांध में एकत्रित आधा पानी वापस नदी में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

77. बून्दी जिले में पुराने बाँधों की मरम्मत एवं नये बांध (मध्यम दर्जे) के बनवाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. बुन्दी बांई मुख्य नहर में नहरे व डेनों को दुरस्त करने एवं पक्की नहरे पुलियाऐं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

79. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही विभिन्न सिंचाई योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

80. नहरी क्षेत्रों में जलाधिक्य समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं दिये जाने से भूमि की हो रही बर्बादी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) :

81. अलवर शहर में अधूरे बांध प्रताप बांध की मरम्मत करवाने और नहरों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

82. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के अधूरे कैलाशनगर बांध, नून बांध, कमेरी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बांध, गोडाना बांध आदि की मरम्मत करवाने, दीवार ऊंची उठवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. सिरोही जिले के अधूरे बांध कलदरी, छीबा गांव को पूरे करवाने के तथा अतिवृष्टि से टूटे बांधों की मरम्मत करवाने तथा नहरों का विस्तारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) :

84. बांसवाड़ा जिले में जनजाति किसानों को माही बेक वाटर व नदी नालों पर लिफ्ट कर सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. बांसवाड़ा जिले के जन जाति क्षेत्रों में भारी मात्रा में पानी होते हुए भी किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

86. जन जातिय क्षेत्र में स्थित माही उप नहर आसपुर, सागवाड़ा सीमलवाड़ा पंचायत समितियों को सिंचित करने वाली योजना को पृथक योजना के रूप में नहीं स्वीकार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. डूंगरपुर जिले में सिंचाई सम्बन्धी कोई काम प्रारम्भ न कर आदिवासियों की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण सिंह (डीग) :

88. सीकरी बांध, अऊ बांध जनूथर को मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. भरतपुर फीडर, डीग स्केप की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) :

90. अजान बांध से सम्बन्धित अजान नहर, राम नगर दो मोरा चैनल तथा डाकन मोरी चैनल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. मेन डेम भरतपुर में सिंचाई हेतु सभी पुलों पर शटर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. सुजान गंगा नहर में पानी भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

93. 125 किलोमीटर लम्बी माही उप नहर डूंगरपुर की लागत डेढ सौ करोड़ से अधिक होने पर योजना आयोग को प्रेषित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

94. अधूरी सिंचाई योजनाएं प्राथमिकता से बनाकर बढ़ती लागत को ध्यान में

102

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रखकर राशि का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. कोटड़ी तहसील की सरलासागर, रतन सागर, बजाजसागर समदड़ी बांध एवं सुन्दर माता की सिचाई योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

96. जहाजपुर तहसील की भीमपुर, शंकरगढ़, बोई जेसूला, नवरतनसागर तलाई घोडेश्वर, मामादेव, मोमालिया महादेव सागर लुहारीकलां, कूचलवाड़ा कलां, दवेलिया, गंधेर, पचानपुरा हाथीनाटा, गणेशपुरा, रोजडी गुढा, नेगडिया पीपल्यून्द ठगारिया बांध, जालरा, सिचाई योजना सरसिया चालरन अधूरी सिचाई योजनाएं 95-96 में पूरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. जिलेवार सिचाई योजनाओं पर मास्टर प्लान बनाने हेतु एवं अधूरी सिचाई योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

98. जनजाति उपयोजना के आदिवासी किसानों द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों की कच्ची मिट्टी से बांध कर पानी डाईवर्ट कर/सारण या नाली बनाकर अपनी छोटी-छोटी खेती जोतों को सिंचित करने की स्कीम को पक्का कर स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

99. पहाड़ी व जनजाति क्षेत्र के पानी के रोकने एवं सिचाई की वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. जनजाति उप योजना क्षेत्र में सिचाई विभाग द्वारा मास्टर प्लान बनाया जाकर सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. जनजाति उपयोजना क्षेत्र का अधिकतर पानी बहकर गुजरात व मध्यप्रदेश चला जाता है जिसे रोककर स्थानीय क्षेत्र को सिंचित करने की वृहद योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन मोहन (खैरथल) :

102. केडिया ग्रुप द्वारा सहारण खुर्द बांध में शराब की फैक्ट्री का निर्माण किये जाने से 1400 हैक्टर भूमि की सिचाई नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

103. सिचाई के लिये अलवर जिले में बने बांध सहारण खुर्द के पेटे से केड़िया ग्रुप के निर्माण कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) :

104. भीलवाड़ा के मेला आधुनिकीकरण योजना को अधिकारियों द्वारा बन्द

(श्री कालूलाल गुर्जर)

करने की सिफारिश से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

105. भीलवाड़ा में 1994-95 में हुई अतिवृष्टि से टूटे बांधों की मरम्मत विभाग द्वारा तत्काल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

106. झूंझनूं जिले में काटली नदी पर जोधपुर सुनाटी घाट पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

107. मात्र कुण्डिया बांध व नहर का सीपेज रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

108. आसीन्द तहसील में कन्टालिया बांध निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर):

109. पुराने मोघों को तोड़कर नये मोघे बनाने में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

110. गंग कैनाल की ब्रांचों एवं माईनर को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

111. नहरों पर रख रखाव हेतु धन राशि खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

112. गंग कैनाल को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. नहरों के किनारे सरकारी सूखे पेड़ों को बेचने से हुई आमदनी में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :

114. धौलपुर जिले के पार्वती बन्धे की नहरों से सेंपऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का पानी समय पर उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

115. धौलपुर जिले की उर्मिला सागर नहर को पक्का नहीं करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

116. धौलपुर जिले में चम्बल नदी से लिफ्ट इरिगेशन योजना क्रियान्वित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

117. धौलपुर जिले में सैकिन्ड पार्वती बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

118. धौलपुर जिले में ओडेला ताल की टूटी पड़ी दीवार कई वर्षों से नहीं बनाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

119. वर्तमान बरिया भगजी के बांध की

(श्री अमराराम चौधरी)

दीवार की ऊंचाई कर पानी की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रभूराम ग्रासिया (पिण्डवाड़ा) :

120. पिंडवाड़ा तहसील के मोरस, राजोला (ईशास), नादिया, व बालोरिया बांधों की नहरों को पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. घनारी, सिवेरा बांधों को नहरें पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) :

122. झुन्झुनूं जिले के किसानों को जवाहरलाल नेहरु कैनाल एवं जमुना नदी से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

123. बन्सोली बांध (बून्दी) के भराव क्षेत्र में आये देई-गणेशपुरा, गाडरिया के झौंपड़ों में जाने वाले आम रास्ते पर आवागमन सुविधा के लिये पुलिया निर्माण में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

124. विषधारी (जिला बून्दी) सिंचाई योजना का सर्वेक्षण पूर्ण करने में की जा रही देरी से परियोजना लागत में हो रही वृद्धि पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

125. नागौर जिले को विभाग की ओर से कम राशि आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

126. बीसलपुर परियोजना के भराव क्षेत्र में एनीकट बनाने की अनुमति से योजना अनुसार भराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

127. लाडनूं चूरू लिफ्ट योजनाएं खटाई में डालने व उनको जान-बूझकर क्रियान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

128. बीसलपुर परियोजना में अभियन्ताओं द्वारा मुआवजे के भुगतान में किये जा रहे घोटाले पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) एवं श्री मोहनलाल बारूपाल (जायस) :

129. केजडी नहर का बेड आरडी 7 से 13 के बीच ऊंचा होने से हेड पर मिट्टी भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

130. 61 हेड के आईडी, केवाईडी व कालूवाला माइनर का विकास है । इन नहरों के उद्गम स्थान से ही चक 23 व 24 केवाईडी के मोघ लगाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा लिये ।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) :

131. तहसील भादरा के ग्राम अमरपुरा के पास नहर पर बन रहे पुल पर घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

132. सिद्धमुख नहर से तहसील राजगढ़ जिला चूरू एवं श्री गंगानगर के तहसील भादरा के कुछ गांवों को सिचाई स्कीम से हटा दिये जाने से ग्रामीणों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।

133. तहसील भादरा जिला श्रीगंगानगर के किसान जो स्वयं के ट्यूबवैलों से खेतों की सिंचाई करते हैं उनसे नहरी विभाग सिंचाई का लगान लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

134. बेथली परियोजना का कार्य धीरे-धीरे चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

135. सिंचाई विभाग द्वारा मन्जूर शुदा लिफ्टों का कार्य चालू नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री एमामुद्दीन अहमद खां (तिजारा):

136. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोतोली, निम्बाहेड़ा, विलासपुर हमलाका, निमली, सादीपुर, ग्वालंदा, बाघोर, जोडिया एवं चावण्डी बांधों की मरम्मत एवं भराव क्षमता बढ़ाकर जल स्तर उत्थान एवं सिंचाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

137. गांव मैरूसरी से गांव मानक थेड़ी तक सीलन से हजारों बीघा भूमि नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डोली) :

138. कोटा में सिंचाई प्रबन्धन एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना के बाबत चर्चा के लिये ।

139. कोटा सम्भाग की धाणी-सावनभादो परवन लिफ्ट व अन्द लिफ्ट योजनाओं के विस्तार पर चर्चा के लिये ।

140. सिंचाई विभाग में खण्डीय तथा अन्य कार्यालयों के सृजन हेतु वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

141. 1994-95 में सिंचाई सम्भाग कोटा में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 34 करोड़ के बजट के विपरीत 16 करोड़ ही खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

142. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में सी.ए.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

143. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में सी. ए. डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत खाले न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

106

श्री हरिसिंह (महुआ) :

144. सवाईमाधोपुर जिले में चम्बल नदी पर इन्दिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति में क्षेत्रीय संतुलन कायम नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

146. इसरदा बांध के निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा न होने से बनास नदी के व्यर्थ बह रहे पानी को सिंचाई हेतु उपयोग न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. टोंक जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत एवं रख रखाव की व्यवस्था न होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

148. टोंक जिले में उपलब्ध सतही जल को रोककर सिंचाई की व्यवस्था हेतु उपयोग नहीं करने के कारण काश्तकारों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (सरदारशहर) :

149. साहवा लिफ्ट कैनाल के निर्माण कार्य करवाने में सरकार द्वारा भेदभाव बरतने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

150. सिद्धमुख कैनाल का कार्य बहुत धीमी गति से चलने के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

151. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत माध्यम सिंचाई योजना चंवली का कार्य शीध्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

152. राज्य में वर्षा का पानी व नदियों का पानी का अधिकांश भाग बहकर चले जाने व उसके उपयोग की सिंचाई हेतु प्रभावी योजना की स्वीकृति कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

153. सिंचाई विभाग का लगभग 3/4 बजट मात्र 5-6 जिलों में खर्च होने से राज्य में अन्य जिलों में सिंचाई कार्य न होने व उससे राज्य में पैदा हो रहे असन्तुलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

154. मेड़ता में शारीरिक रूप से असक्षम अधिशाषी अभियन्ता को पदस्थापित करने में हुये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. चम्बल नदी से बहकर जा रहे पानी को लिफ्ट सिंचाई योजना से अजमेर जिले को सिंचाई हेतु देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :

156. बिलाड़ा के पास क्षतिग्रस्त चोपड़ा फीडर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. जोधपुर जिले में चौकड़ी ग्राम में बांध के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

1. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को मिट्टी परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिये मोबाइल लेब की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

2. डच सरकार के सहयोग से लैण्ड रिक्लेमेशन के लिये लूणकरणसर व रावतसर क्षेत्रों के सेमग्रस्त व लवणीय क्षेत्रों के भूमि सुधार हेतु पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

3. कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र के विस्तार से लाभान्वित होने वाले काश्तकारों को फव्वारा सिंचाई हेतु सहायता प्राथमिकता से दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

4. सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वेरियावाली पुरानी मण्डी व लूणकरणसर के गन्दे नाले को पूरा करके वर्षा से पूर्व व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

5. बून्दी जिले में कृषि विपणन द्वारा कोटा कृषि उपज मण्डी से 2 करोड़ रुपया केशवरायपाटन एवं बून्दी तहसीलों में सम्पर्क सड़कों हेतु किये जाने से क्षेत्र की आम जनता एवं कृषक वर्ग को हो रही भारी असुविधा पर चर्चा के लिये।

6. बून्दी जिले में नदियों, खालों एवं नालों के हरड़ों को सुधारने समतल करने हेतु भू-संरक्षण योजना पुनः विशाल स्तर पर चालू कर जनता को राहत देने एवं भूमि कटाव रोकने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. बूंदी जिले में फल एवं सब्जी विकास के स्कोप को मध्य नजर रखते हुये उद्यान विकास योजना की स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्र, प्रदेश व देश में उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. बून्दी जिले में (सेरी कल्चर) रेशम विकास को प्राथमिकता दी जाकर विशेष योजना की स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

9. कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पर सहायक कृषि अधिकारी, विकास अधिकारी आदि पदों पर अनिवार्य रूप से पदोन्नति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

10. झुन्झुनूं जिले में कृषि के प्रोत्साहन हेतु मंडी सड़कों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत आदि नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

11. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम बासीकलां, हीगोली, बुरावई, बासरोली, पाहुआ, पला, पार बेलारा कलां, टोडा, मोगरसोली, हवीबपुर, नगला हैवत, अघैया खुर्द ग्रामों को विभागीय नीति के अनुसार भरतपुर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. मण्डियों की दशा सुधार कर किसान को फसल का उचित मूल्य दिलवाने व फसल मण्डियों में लाने हेतु सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा पर के लिये।

13. उन्नत किस्म के बीज, खाद इत्यादि सस्ती दर पर कृषकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. किसानों की फसल के सम्बन्ध में बीमा योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा दस वर्ष पूर्व निर्मित सड़कें भरतपुर-मथुरा मार्ग से लुधावाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से ग्राम धानोता, भरतपुर, मथुरा मार्ग से घौरमई सड़कों की विशेष मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

16. विभिन्न प्रकार की फसलों की उपज के लिये क्षेत्र निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. जिला स्तर पर कृषि मूल्य उपज मौसम की स्थिति फसल क्षेत्र एवं अन्य कारक तत्वों को ध्यान में रखकर आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

18. कृषि से सम्बन्धित विभागों यथा सिचाई, कृषि विपणन, भण्डारण, बीज निगम, कृषि उद्योग विकास निगम आदि के मध्य सम्बन्ध स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. उन्नत कृषि आदानों का समय पर वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. कृषि जिन्सों के अनुसंधान की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री भरतसिंह) (खानपुर) :

21. खानपुर विधानसभा क्षेत्र में भीमसागर तथा हरिश्चन्द्रसागर के कमाण्ड क्षेत्र में धान की खेती की किसानों को जानकारी देकर धान की खेती करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

22. सांगोद तहसील में लगातार मसूर की खेती में कम पैदावार के कारण क्षेत्र के किसानों द्वारा मसूर की खेती कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

23. सांगोद (कोटा) में कृषि क्षेत्र अधिक होने तथा अधिक कृषि कार्य होने पर भी कृषि अधिकारी का मुख्यालय रामगंज मण्डी में होने से कृषि कार्य में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

24. सांगोद (रामगंज मंडी उप खण्ड) धनिये की खेती का प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद भी धनिये के विकसित बीज का इन क्षेत्र में कोई प्रदर्शन या वितरण नहीं करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूडी (गोपालगढ़) :

25. राजस्थान में कृषि पर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण पैदावार में दिनों-दिन गिरावट के कारणों पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

26. किसानों को फसल बीमा योजना लागू कर लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. कृषि उपज मण्डी द्वारा बेगूं और भैंसरोडगढ़ पंचायत समितियों में बाघपुरा, गोपालपुरा (बोराव) मड़ावदा को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

28. भूमि जो बंजर है उसको समतल करा कृषि उपयोग में लेने योग्य बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

29. कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर द्वारा सब्जी मण्ड से विजयनगर बाई पास तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. बुजारेल, बाघमाल, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में गत वर्षा ऋतु में मण्डी सड़कें व पुलिया टूट गई उसे नई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

31. कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को कृषि महाविद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

32. कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अधीन मीसिंग सम्पर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री जुबेर खान)

33. कृषि उपज मण्डी समिति खेड़ली (अलवर) द्वारा गोरा मण्डी गोन्दिगढ़ क्षेत्र के पचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

34. डूंगरपुर जिले के कृषकों को उन्नत बीज, औजार, कुओं पर सिंचाई साधन अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) एवं
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

35. कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा राजसमंद जिले में किसानों को उपयुक्त सलाह व सहायता उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. राजसमंद जिले के किसानों को पिछली रवी व खरीफ की फसल हेतु समय पर खाद व बीज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

37. पाली विधान सभा क्षेत्र में काला पीपल की ढाणी, पीपलियां की ढाणी, दूदिया, कानावास, मंडली दर्जीयान, ग्रांटण आदि अधिक कृषि उत्पादन करने वाले गांवों को कृषि उपज मण्डी तक डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. पाली विधान सभा क्षेत्र में नदी के किनारे खराब हुए कुओं के सुधार हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. कृषि उपज मण्डी द्वारा पाली विधान सभा क्षेत्र में खरटिया, भाकरी वाला सम्पर्क सड़क एवं मोरिध-सोनाई लखा सम्पर्क को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह (दिगोद) :

40. कोटा कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण हेतु धन उपलब्ध न करवाने से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) :

41. राज्य सरकार द्वारा किसानों की उन जिन्सों का समर्थन मूल्य देने के बारे में जिनका समर्थन मूल्य केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है के विषय में चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

42. कृषि उपज मण्डियों के चुनाव करवाकर जनप्रतिनिधियों को लगाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. कृषि उपज मण्डियों द्वारा बनने वाली सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण आम लोगों में भयंकर असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

44. कृषि के विकास व उन्नति के लिये उन्नत किस्म के बीज व खाद पर्याप्त मात्रा में दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

45. कृषि के विकास हेतु उन्नत बीज वितरण में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

46. कृषि उपज मण्डी नीम का थाना द्वारा पाटन-दलपतपुरा तक बनाई गई सड़क की खस्ता हालत पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ) :

47. कृषि जिन्सों के उत्पादन, भण्डार एवं विपणन हेतु कृषकों को समुचित सुविधा मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

48. गंगापुर तहसील में प्रतिवर्ष मूंगफली की फसल में लट लग जाने के कारण मूंगफली का उत्पादन प्रतिवर्ष घटने से उत्पन्न स्थिति पर चचा के लिये।

49. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को अपनी उपज गंगापुर-हिन्डोन रोड़ से ग्राम खेड़ला, गगापुर-हिन्डोन सड़क से ग्राम शेखपुर, किशोरपुर, गंगापुर-माड़ोती सड़क से ग्राम बाढ़ रामसर, गंगापुर-माड़ोती सड़क से ग्राम रामगढ़-मुराडा ग्राम छोटी उदेर से खिदरपुर ग्रामों में सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. कृषि विपणन बोर्ड (कृषि उपज मण्डी गंगापुर) द्वारा निर्मित तहसील गगापुर मुख्यालय के सामने नहर रोड़ से कृषि उपज मण्डी तक सड़क की मरम्मत व आगे तक सड़क न बनवाने पर भी बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. कृषि उप निदेशक कार्यालय गंगापुर द्वारा कृषकों के हित में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम (घोद) :

52. रसीदपुरा ग्राम जिला सीकर में प्याज के लिये कोल्ड स्टोरेज बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. कृषि उपज मण्डी पलसाना का सीकर का विकास कर चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

54. राइडा की फसल लेने के बाद भूमि खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) :

55. बांसवाड़ा जिले के कृषकों को कृषि जोत हेतु ट्रेक्टर की खरीद में

(श्री दलीचन्द)

सबसिडी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

56. स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियानुसार कृषि जिन्सों के बीजों के विकास हेतु योजनाओं के निर्माण पर चर्चा के लिये ।

57. कृषि जोतों पर सिंचाई के साधन विकसित करने हेतु क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के आधार पर योजना निर्माण करने पर चर्चा के लिये ।

58. किसानों की पहाड़ी ढलानों पर अवस्थित कृषि भूमि के सुधारीकरण के उपायों की कमी से उर्वरा मिट्टी बहकर चली जाने पर सुधारीकरण योजनाएं बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनमोहन (खैरथल) :

59. गेहूं की फसल पर लागत को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा 50/-रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. किसान की फसल पककर तैयार होने के समय निर्यात रोकना उसी जिन्स जैसे खाद्य तेल का आयात करने आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

61. किसान की फसल के समय पर कृषि जिन्सों के भाव घटने तथा उसके बाद तेजी से बढ़ने से उत्पन्न स्थिति की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

62. कृषि बीमा योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

63. बूंद-बूंद सिचाई एवं स्प्रींकलर सिंचाई योजना के तहत अलवर में प्रचार व प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) :

64. माण्डल विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति से स्वीकृत थाबा शिवपुर रोड गुन्दली कोचरीया रोड, माडु लुहारिया रोड, गूरजों भोपालगढ़ रोड आदि का कार्य तीव्र गति से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. माण्डल विधान सभा क्षेत्र में कृषि विकास के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

66. किसानों को समय पर उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

67. झुन्झुनूं जिले के गुढ़ा गौडजी में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. कृषि उत्पादों की उचित कीमत किसानों को दिलाये जाने के लिये

(श्री शिवनाथ सिंह)

कारगर कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

69. कृषि पैदावारों के उचित भण्डारण व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

70. किसानों की फसलों का बीमा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. कृषि उपज मण्डी समितियों की आय में से निर्धारित राशि 60 प्रतिशत की सड़कें वर्ष वार स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

72. कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट द्वारा स्वीकृत सड़क मण्डावरी से किशोरपुरा के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के लम्बे समय से चुनाव नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :

74. धौलपुर जिले में अच्छी किस्म का खाद बीज समय पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

75. पंचायत समिति लालसोट में कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालयों पर नहीं रहने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :

76. कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर द्वारा पिछले 5 वर्षों से विधान सभा क्षेत्र में एक भी नवीन सड़क नहीं बनाये जाने से उत्पन्न भयंकर असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

77. हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों में राजस्थान राज्य बीमा निगम द्वारा नरमे/कपास का प्राइवेट बीज उत्पादकों से ऊंची दरों पर बीज क्रय कर काश्तकारों को विक्रय करने में हुई अनियमितताओं एवं उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (झुन्झनूं) :

78. कृषकों को समय पर बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

79. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक द्वारा की जा रही तानाशाह कार्यवाहियां व जातिवाद को पनपाने की कार्यवाही की शिकायतों पर सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं

(श्री हरजीराम, बुरड़क)

किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विभाग के नागौर स्थित जिला कार्यालय की अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार के कारण काश्तकारों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

81. कृषि स्नातकों व कृषि वैज्ञानिकों को कार्य क्षमता का उपयोग नहीं करने तथा उनको कार्य पर नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. राजस्थान कृषि राज्य बीज निगम में हो रहे निरन्तर घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव नहीं कराने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) :

84. किसानों को खाद एवं बीज नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति, पर चर्चा के लिये।

85. तहसील राजगढ़, जिला चूरू कृषि मण्डी सादुलपुर, की भूमि को भू-माफियों के द्वारा की गई मांग पर नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का अनुदान नहीं मिलने एवं इस पर अनुदान 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा पिछले वर्ष घटिया किस्म का चने का बीज वितरण करने से चूरू जिले के किसानों को हुई भारी क्षति पर चर्चा के लिये।

88. कृषि विभाग में चूरू जिले में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

89. राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन को बन्द करने से राज्य में कृषि अनुसंधान पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. पारम्परिक कृषि उपकरणों (बुलक ड्रान इम्प्लीमेंट्स) पर सबसिडी समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :

91. जयपुर में कृषकों के लिये कृषक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. कृषि उपज मण्डी समिति पीलीबंगा में फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिये ड्राईवर व दूसरा स्टाफ उपलब्ध नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

93. राज्य में कृषि नीति बनाकर उसे

(श्री हरिसिंह)

लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषक को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि तय करने के मानदण्डों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राज्य में फसल बीमा लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

96. कृषि उपज मण्डी समिति भवानी मण्डी (झालावाड़) द्वारा स्वीकृत पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के रोड़ गर्दन खेड़ी, ओड़ीया खेड़ी (दोनों अधूरे) तथा रोशनबाड़ी आदि रोडस् को तुरन्त पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) :

97. राज्य के कृषि महाविद्यालयों में बी. एस. सी. कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश में राज्य स्तर पर एकरूपता लाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

98. कृषि की फसलों पर फसल बीमा योजना में केन्द्र सरकार के 1/3 व बीमा कम्पनियां 1/3 देने को तत्पर होने के बावजूद राजस्थान में कृषि बीमा योजना लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. कृषि विस्तार कार्यक्रम का लाभ कृषकों को न मिलने व इस कार्यक्रम के सभी आंकड़े भ्रामक तथा वास्तविकता से परे होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के क्रियाकलापों से कृषि वैज्ञानिकों और कृषकों में असन्तोष व विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों को पूरा न होने से स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. कृषि के क्षेत्र में हुई नई खोज व अनुसंधानों को लैब से खेत तक पहुंचाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

102. इजराइल देश की पद्धति पर कृषि करने में भारत सरकार से योजना की स्वीकृति करवाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) :

103. राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा बीज एवं थैले खरीदने में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) एवं श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़):

104. साहवा-सिद्धमुख नहर की सुई वितरिका का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करके

(११६)

(श्री परसराम मोरदिया)

लूणकरणसर तहसील के सुई दुलचासर, बखूसर, जैतपुरा, खोडाला, शेखसुरा, अमरपुरा, पांनूसर आदि सूखा संभाव्य गांवों को फव्वारा पद्धति से सिचाई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

105. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर की कृषि उपज मण्डी की बिगड़ती हालत पर चर्चा के लिये ।

मांगों का पारण

मांग संख्या-37

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या-37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,97,82,08,000/- (एक अरब सत्यानवे करोड़ बयासी लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-46

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या-46-सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,04,32,39,000/- (दस अरब चार करोड़ बत्तीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

कृषि मन्त्री, श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी प्रस्ताव करेंगे ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 28 अप्रेल, 1995 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.14 बजे 29 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

————

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूची

जोधपुर सम्भाग में 220 के. वी. क्षमता की लाइनों का विवरण

क्र. सं.	लाइन का नाम	परिपथ लम्बाई (कि. मी.)
1.	भीलवाड़ा-जोधपुर	111.225
2.	ब्यावर-जोधपुर	74.312
3.	भीलवाड़ा-सिरोही	101.609
4.	द्वि परिपथ लाइन बिलाडा	6.726
	योग —	293.872 कि. मी.

जोधपुर संभाग में 132 के. वी. क्षमता की लाइनों का विवरण:—

1.	जोधपुर-बिलाडा	73.613
2.	बिलाडा-पिपलिया कलां	26.412
3.	बिलाडा-बोरून्दा	31.159
4.	बिलाडा-सोजत सिटी	35.000
5.	भीलवाड़ा-पाली	71.720
6.	पाली-जोधपुर	60.149
7.	जोधपुर-तिवरी	44.456
8.	तिवरी-डेचू	62.038
9.	डेचू-पोकरन	48.916
10.	पोकरन-जैसलमेर	105.315
11.	जैसलमेर-रामगढ़ (प्रथम सर्किट)	64.372
	जैसलमेर-रामगढ़ (द्वितीय सर्किट)	64.514
12.	सिरोही-जालोर	61.000
13.	जालोर-बालोतरा	74.250
14.	बालोतरा-बाड़मेर	84.688

1	2	3
15.	सिरोही-सुमेरपुर	47.210
16.	सुमेरपुर-फालना	16.670
17.	पाली-फालना	72.571
18.	सुमेरपुर-उम्मेदपुर	23.529
19.	जोधपुर-बावडी-भोपालगढ़	81.000
20.	भोपालगढ़-गोटन	24.500
21.	देबारी-सिरोही	117.000
22.	सिरोही-भीनमाल	61.500
23.	सिरोही-पिण्डवाडा-बनास	37.300
24.	पिण्डवाडा-आबूरोड	47.600
25.	भीनमाल-रानीवाडा	26.370
26.	सिरोही-रेवदर	42.000
27.	भीनमाल-सांचौर	59.000
28.	द्वि-परिपथ-जैतारण	5.651
29.	जोधपुर-लिफ्ट कैनाल	171.257
30.	220 के. वी. से 132 के. वी. जी. एस. एस. जोधपुर	4.525
31.	द्वि-परिपथ बावड़ी	2.900
32.	द्वि-परिपथ आरची	3.764
33.	बनार	3.50
	योग :-	1755.45

परिशिष्ट "ब"

जोधपुर संभाग में वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित लाइनें :—

(1) वर्ष 1995-96 के लक्ष्य

220 के. वी.		परिपथ लम्बाई कि. मी.
1.	बालीं सब स्टेशन के लिये लाइन	5
2.	सिरोही-भीलवाड़ा (कांकरोली होते हुये)	220
3.	220 के. वी. जोधपुर-बालोतरा लाइन	110
132 के. वी.		
1.	132 के. वी. जैसलमेर-बाड़मेर लाइन	150
2.	132 के. वी. जोधपुर-तिवरी-डेचू लाइन	40
3.	केलाना विद्युत केन्द्र के लिये लाइन	10
4.	आबूरोड-रेवदर	40
5.	भीनमाल-चौरीमन्ना	95

उपरोक्त लाइनों के अलावा जोधपुर क्षेत्र की जिन अन्य लाइनों पर कार्य किया जायेगा, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. 220 के. वी. जोधपुर-तिवरी लाइन
2. 220 के. वी. सिरोही-भीनमाल लाइन
3. 220 के. वी. सिरोही-बालोतरा लाइन
4. 132 के. वी. भीनमाल-सायला लाइन

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 525 का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	—	1	विभाग द्वारा पदोन्नति दे दी है, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	3	—	3	शिक्षा विभाग से आशार्थी आबंटन होने पर पदस्थापन इस विभाग द्वारा किया जावेगा, शिक्षा विभाग ने आर. पी. एस. सी. से चयन आशार्थियों की सूची मांगने हेतु कार्यवाही जारी है।
3.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	—	—
4.	कनिष्ठ लिपिक	4	3	1	नई भर्ती पर राज्य सरकार से प्रतिबन्ध लगा हुआ है, केवल मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित से पूर्ति की छूट है।

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस संघ द्वारा अदरक व्यापार

526. **श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस संघ द्वारा क्या कभी अदरक का व्यापार किया गया है ? यदि हां, तो इससे कितने आदिवासी/गैर आदिवासी लाभान्वित हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) अदरक के व्यापार से राजस संघ को कितना लाभ/हानि हुई ? क्या इसका नियमित अंकेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इसमें कोई अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस संघ द्वारा वर्ष 1991-92 में अदरक का व्यापार किया गया । इससे 24 कृषक लाभान्वित हुए इनमें आदिवासी का कोई कृषक नहीं था ।

(2) अदरक व्यवसाय का सहकारी विभाग द्वारा नियुक्त अंकेक्षण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण किया गया है जिसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 18-3-95 को प्राप्त हुई । अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अदरक व्यवसाय में राजस संघ को अदरक की घटत, छीजत के कारण 4,21,905 रुपये की हानि हुई है, तथा 59,533 रुपये की वसूली व्यापारियों से होना शेष है । अदरक व्यवसाय के सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट--"अ" पर उपलब्ध है ।

(3) प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से प्रबन्धक, कृषि विपणन/इनपुटस, क्षेत्रीय प्रबन्धक (पश्चिम) तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को दोषी ठहराया गया है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के द्वारा 59,533 रुपये वसूल नहीं किये जाना पाया गया, इसके कारण तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया है ।

(अंकेक्षण प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया ।)

नागौर डिपो से निगम की सचालित बसें

527. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर डिपो से राजस्थान से

(122)

(श्री रिछपाल सिंह)

बाहर के प्रदेशों हेतु कहां-कहां के लिए बसें संचालित की जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में कुछ दिनों के लिये नागौर से हरिद्वार के लिये सीधी बस सेवा वाया मेड़ता, पुष्कर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली शुरू की गयी थी ? यदि हां, तो कब और कितने दिन उस बस का संचालन किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बस को कुछ दिन बाद बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बस को वापस शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम के नागौर डिपो से वर्तमान में केवल देहली की बसें संचालित की जा रही हैं । विवरण (परिशिष्ट-1) पर है ।

(2) नागौर से हरिद्वार सेवा दिनांक 1-3-94 से 12-4-94 (43 दिन) संचालित रही ।

(3) जी हां । यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने एवं सेवा अनार्थिक रहने के कारण वर्तमान में यह सेवा वापस शुरू करने का विचार नहीं है ।

परिवहन निगम के नागौर आगार द्वारा अन्य प्रान्तों (हरियाणा एवं देहली) में संचालित बस सेवाओं का विवरण:-

क्र. स.	मार्ग का नाम	बस सेवाओं की संख्या
1.	नागौर--दिल्ली वाया कुचामन--दांता--सीकर--नारनोल--रेवाडी--गुडगांवा	2
2.	नागौर--दिल्ली वाया अजमेर--जयपुर--शाहपुरा--कोटपुतली--बहरोड धारूहेडा--गुडगांवा	2

1	2	3
3.	नागौर--दिल्ली वाया लाडनूं—सालासर—झुन्झुनूं—खेतडी—निजामपुर--नारनोल--रेवाडी	4
4.	नागौर--दिल्ली वाया सीकर--नीमकाथाना—नारनोल--रेवाडी	4

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन का निर्वाचन

528. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन का निर्वाचन 5 वर्ष में कराया जाना आवश्यक है ?

(2) यदि हां, तो बोर्ड का निर्वाचन पूर्व में कब हुआ था तथा अब तक निर्वाचन नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने बोर्ड के निर्वाचन कराने के अनेक बार आश्वासन दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक निर्वाचन क्यों नहीं कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में बोर्ड भंग है ? यदि हां, तो कब से और इसे भंग करने के क्या कारण थे ? बोर्ड भंग करने के पश्चात् कितने समय में निर्वाचन कराया जाना वांछनीय था ?

(5) क्या सरकार बोर्ड के निर्वाचन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 10 के अनुसार 5 वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड के पुर्नगठन किये जाने का प्रावधान है और उस प्रयोजनार्थ नये मनोनयन एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव अपेक्षित है ।

(2) बोर्ड का निर्वाचन पूर्व में सन् 1971 में हुआ था । चुनाव नहीं होने के निम्न प्रमुख कारण रहे हैं:--

1. बोर्ड की कमजोर आर्थिक स्थिति ।
2. मतदाता सूची का अपडेटेड नहीं हो पाना ।
3. पंजीयन से सम्बन्धित रिकार्ड का बोर्ड की अनियमितताओं की जांच कार्यवाही के साथ पेश किया जाना ।
4. अपर्याप्त स्टाफ का होना ।

(3) जी हां । राज्य सरकार ने चुनाव

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

कराये जाने सम्बन्धी आश्वासन दिनांक 12-3-84 एवं 23-10-86 को दिये थे। विधान सभा प्रश्न संख्या 7/आयुर्वेद मं. द्वारा श्री दाऊदयाल जोशी के उत्तर में तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री ने दिनांक 9-3-87 को यह अवगत कराया था कि वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराने में अत्यधिक व्यय भार आता है जिसे बोर्ड वहन करने की स्थिति में नहीं है।

अब तक चुनाव नहीं कराये जाने के अन्य प्रमुख कारण प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर में अंकित कर दिये गये हैं।

(4) जी हां। बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन को दिनांक 5-10-87 से भंग कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 7/तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री द्वारा श्री दाऊदयाल जोशी के उत्तर में विधायकों द्वारा यह मांग किये जाने पर कि जब फिलहाल चुनाव कराया जाना सम्भव नहीं है तो बोर्ड को सरकार भंग तो कर सकती है। जिसके प्रत्युत्तर में तत्कालीन मंत्री महोदय ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि बोर्ड को भंग करने की कार्यवाही इसी सत्र में की जावेगी, सदन को दिये गये आश्वासन के सन्दर्भ में बोर्ड को दिनांक 5-10-87 को भंग कर दिया गया। राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम 1953 की धारा 59 के अनुसार बोर्ड भंग करने के पश्चात 6 माह के अन्दर नया बोर्ड गठन किया जाना वांछनीय है।

(5) जी हां। बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन एक्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान में कुल पंजीकृत वैद्य/हकीम लगभग 23000 से अधिक है, जिनकी मतदाता सूची को अपडेटेड की जाकर मतदाता सूची के प्रकाशन की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जावेगी। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव कराने के प्रयास किये जावेंगे।

किला खण्डार जिला सवाई माधोपुर

529. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि किला खण्डार बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर की सीमा से लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस किले को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। खण्डार किला बाघ परियोजना, सवामाधोपुर की सीमा के पास है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है। जिस स्थान पर वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का आगमन रहता है, वह स्थान स्वतः ही पर्यटन स्थल हो जाता है।

रीको द्वारा झालावाड़ जिले में आवण्टित भूमि

530. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(1) पिछले 3 वर्षों में रीको द्वारा झालावाड़ जिले में कितनी भूमि, कितनी राशि की अवाप्त की गयी ? प्रस्तावित योजना के अनुसार कितनी भूमि को विकसित कर कितने औद्योगिक भूखण्ड कितने मूल्य के बनाये जाकर आवंटित किये जाने थे ?

(2) रीको द्वारा कुल कितने भूखण्डों का आवंटन किया गया ? क्या यह सही है कि सभी आवंटित भूखण्डों में इकाइयों द्वारा नियमानुसार उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाइयों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उत्पादन प्रारम्भ न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं; तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले 3 वर्षों में रीको द्वारा झालावाड़ जिले में औद्योगिक क्षेत्र मामा-भान्जा (तृतीय चरण) झालावाड़ व ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ हेतु संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार दर्शाई गई राशि की भूमि अवाप्त की गई। प्रस्तावित योजना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मामा-भान्जा (तृतीय चरण) झालावाड में 28.90 एकड़ भूमि को विकसित कर 50 भूखण्ड 37.09 लाख रु. मूल्य के नियोजित कर आवंटित किए जाने थे। ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ में कुल 699-03 बीघा भूमि विकसित कर 238 भूखण्ड आवंटित किए जाने है। प्रारम्भ में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु 20 भूखण्डों को विकसित कर 60 रु. प्रति वर्ग मीटर की विशेष दर से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। तदुपरान्त शेष भूखण्डों की आवंटित की दर पर पुर्नविचार किया जावेगा। इन 20 भूखण्डों का मूल्य उक्त दर से 55.20 लाख रु. है।

(2) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मामा भान्जा (तृतीय चरण) झालावाड में 44 भूखण्ड व ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ में एक भूखण्ड आवंटित किया गया है। उक्त दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में सभी आवंटियो की उत्पादन प्रारम्भ करने की नियमानुसार निधारित समयावधि शेष है। उद्यमी उत्पादन हेतु निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ कर सकता है।

(3) सभी आवंटियों की उत्पादन प्रारम्भ करने की समयावधि शेष है, अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट (अ)

पिछले 3 वर्षों में झालावाड़ जिले में अवाप्त की गई भूमि का विवरण :—

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का मुआवजा प्रीमीयम
1.	मामा-भानजा (तृतीय चरण) झालावाड़	50 बीघा	10 लाख रु.
2.	ग्रोथ सेन्टर झालावाड़	699.03 बीघा	56.212 लाख रु.

मकराना में 132/33 के. वी. ट्रान्सफार्मर की स्थापना

531. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मकराना में कुल कितनी विद्युत मांग है ?

(2) क्या मकराना 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन मकराना विद्युत मण्डल के अधीनस्थ क्षेत्र की मांग की पूर्ति करने में सक्षम है ?

(3) क्या सरकार की मकराना में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन के स्थान पर 132/33 के. वी. ट्रान्सफार्मर स्थापित करने की योजना है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि 133/33 के. वी. ट्रांसफार्मर स्थापित करने बाबत क्षेत्रीय विधायक का प्रस्ताव सरकार को मिला था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्युत की मांग लगभग 45 ऐम. वी. ए. है।

(2) वर्तमान में 132 के. वी. जी.एस.एस. मकराना में दो ट्रांसफार्मर 132/33 के. वी. 10/12.5 एम. वी. ए क्षमता के एवं दो ट्रांसफार्मर 132/11 के. वी. 12.5 एम. वी. ए. व 7.5 एम. वी. ए. क्षमता के लगे हुये हैं और वर्तमान मांग की पूर्ति करने में सक्षम है।

(3) जी हां, बढ़ती हुई मांग को मध्ये नजर मकराना 132 के. वी. जी. एस.एस. पर मार्च, 1995 में 132/33 के. वी. 10/12.5 एम. वी. ए. अतिरिक्त क्षमता का एक ट्रांसफार्मर आबंटित किया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) तकनीकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने हेतु इस वर्ष कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विस्तार अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योजनायें

532. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कृषि विस्तार, अनुसंधान एवं अधिक उपज हेतु क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं?

(2) शुष्क खेती एवं स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कृषकों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती है?

(3) कृषकों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से कृषि विभाग द्वारा कृषि एवं बागवानी से संबंधित कौन-कौन सा साहित्य प्रकाशित एवं वितरित कराया गया? प्रकाशित साहित्य की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि विस्तार, अनुसंधान एवं अधिक उपज देने हेतु निम्न योजनाएं विचाराधीन हैं:—

1. कृषि विस्तार हेतु एक कृषि विज्ञान केन्द्र श्रीगंगानगर जिले में स्थापित किया जाना विचाराधीन है।
2. भारत हालैण्ड सरकारों के सहयोग से नहरी क्षेत्रों में सेम नियंत्रण हेतु जल निकासी एवं प्रबन्ध परियोजना।
3. बायोटेक्नोलोजी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
4. राज्य में प्रोटीन एवं तेल के अधिक उत्पादन/सुधार हेतु सोयाबीन परियोजना।
5. नीम आधारित कृषि वानिकी परियोजना राज्य के थार मरूस्थल में गैर वानिकी अयोग्य भूमि के विकास हेतु विस्तार एवं प्रशिक्षण परियोजना।
6. चारे के फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना।
7. खरपतवार नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना।
8. कुएं की बीमा योजना।

(2) शुष्क खेती को बढावा देने के लिए राज्य के शुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि के प्रदर्शन आयोजित किये जाते है। इन प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को कम पानी के बावजूद अधिकाधिक फसल लेने में आदानों के उपयोग एवं उपयुक्त तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर में उप निदेशक, (शुष्क कृषि) के विशिष्ठ पद भी संयुक्त निदेशक, कार्यालय में स्वीकृत किये गए है।

(128)

(... मंत्री, कृषि)

स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1995-96 में लगभग 20,000 स्प्रिंकलर लगाने को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को सामान्यतः 5000/- रु. प्रति फव्वारा (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 7000/- रु. प्रति फव्वारा) अनुदान दिया जाता है। उन क्षेत्रों में जहां स्प्रिंकलर पद्धति अभी बिल्कुल नयी है, वहां काश्तकारों के खेतों पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

(3) कृषकों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से कृषि विभाग द्वारा कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी साहित्य के विभिन्न 24 प्रकार के प्रकाशन कृषि सूचना शाखा द्वारा प्रकाशित किये गये है।

प्रकाशित साहित्य की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(प्रकाशित साहित्य की प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी।)

सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्यापकों के रिक्त पद

533. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में ऐसे कौन-कौन से सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें विज्ञान वर्ग सत्र 1994-95 में प्रारम्भ नहीं हो सका ? इसके कारण क्या रहे ?

(2) क्या यह सही है कि विज्ञान विषय प्रारम्भ कर सरकार ने पद भी सृजित किये थे ? यदि हां, तो इसके उपरान्त भी उक्त पद नहीं भरे गये ? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 94-95 में निम्नलिखित विद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये गये :--

1. रा. बा. सी. मा. वि., हिण्डौन (स. मा.)
2. रा. बा. सी. मा. वि., शाहपुरा (जयपुर)
3. रा. सी. मा. वि., स्वरूपगंज (सिरोही)
4. रा. दीनदयाल सी. मा. वि., रथखाना जयपुर
5. रा. सी. मा. वि., दादाबाड़ी, कोटा

—क्र. सं. 1 व 2 के विद्यालयों में विज्ञान विषयों के तीनों पद रिक्त हैं।

—क्र. सं. 1 में वैकल्पिक व्यवस्था की गई हैं।

—क्र. सं. 2 में रिक्त पद के कारण संकाय प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

—क्र. सं. 3 से 5 तक के विद्यालयों में

(शिक्षा मंत्री)

पद भरे हुये होने के कारण विज्ञान संकाय चल रहा है।

(2) 6 विद्यालयों में जिनमें पूर्व में ही विज्ञान संकाय थे। वर्ष 94-95 में अतिरिक्त विषय (जीव--विज्ञान) खोला गया। इनमें से तीन विद्यालयों में जीव-विज्ञान के व्याख्याताओं के पद नहीं भरे जा सके हैं। फलस्वरूप यहां नवीन विषय की कक्षाएँ नहीं खुली। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर कक्षाएँ प्रारम्भ कर दी जावेगी।

गणपति प्लाजा तथा के. के. काम्पलेक्स जयपुर के भवनों का निर्माण

534. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर स्थित गणपति प्लाजा और के. के. काम्पलेक्स के निर्माण सम्बन्धी विवाद और अवैध मंजिलें तोड़ने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एम. आई. रोड़, जयपुर पर निर्माण सम्बन्धी कितने आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष कब से लम्बित हैं एवं इनके लम्बित होने के कारण एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के. के. काम्पलेक्स और गणपति प्लाजा प्रकरणों के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग प्लान कमेटी से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 21-7-94 को धारा 32,33, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये तथा प्रशासनिक निर्णय नहीं होने पर दिनांक 7-9-94 को मौके पर ध्वस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नोटिस की प्रतियां परिशिष्ट 'क' व 'ख' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) एम. आई. रोड़ पर निर्माण सम्बन्धी 8 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष लम्बित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) के. के. काम्पलेक्स के प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के एक जोनल अधिकारी, एक प्रवंतन अधिकारी तथा एक कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया गया है। एक उप नगर नियोजक एवं एक जोनल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था जो प्राप्त हो गया है तथा विभागीय अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(130)

दी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा के सदस्यों को लाभांश वितरण

अ4
535. रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा की स्थापना कब हुई ? इसमें राजकीय हिस्सा राशि व सदस्य हिस्सा राशि कुल कितनी-कितनी है और राजकीय हिस्सा राशि का प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या उक्त बैंक निरन्तर लाभ में चल रही है ? विगत पांच वर्षों के लाभ हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा ऋण वसूली का खर्च आमदनी से ज्यादा होता है ? विगत पांच वर्षों का वसूली खर्च और आय का विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या बैंक एवं उसकी सभी शाखाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक है ? विगत पांच वर्षों में बैंक की शुद्ध आय एवं कर्मचारियों के संस्थापकीय (संस्थापन) खर्च का प्रतिशत क्या है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बैंक के सदस्यों को लाभांश नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा का पंजीयन दिनांक 21-1-1953 को क्रमांक 113 ई पर हुआ है। 31 मार्च, 1994 को राजकीय हिस्सा राशि 112.86 लाख रु. एवं सदस्यों की हिस्सा राशि 146.08 लाख रु. है। इस प्रकार बैंक की कुल हिस्सा राशि 258.94 लाख है। कुल हिस्सा राशि में राजकीय हिस्सा राशि का प्रतिशत 43.58 है।

(2) जी नहीं। गत पांच वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ/हानि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि में लाखों)

वर्ष	वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ	वर्ष के दौरान शुद्ध हानि
1998-90	0.37	—
1990-91	—	30.38
1991-92	—	30.95
1992-93	—	25.19
1993-94	—	12.27

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं, फील्डस्टाफ को दिया गया यात्रा भत्ता, किराये के वाहनों का किराया एवं ईंधन व्यय आदि की वसूली खर्च में सम्मिलित करते हुए वसूली खर्च एवं इन वर्षों के लाभ हानि खाते के अनुसार आय का गत पांच वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

वर्ष	वसूली खर्च	कुल आय	शुद्ध आय
1989-90	2.95	232.63	69.60
1990-91	1.88	224.75	44.00
1991-92	4.05	194.85	41.89
1992-93	6.13	320.16	72.67
1993-94	5.94	399.07	87.09

(4) जी नहीं । कुल आय में से जमाओं एवं प्राप्त ऋण पर देय ब्याज को कम करते हुए शुद्ध आय की गणना की गयी है । गत पांच वर्षों की शुद्ध आय, संस्थापन व्यय एवं संस्थापन व्यय का आय से प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

वर्ष	शुद्ध आय	संस्थापन व्यय	प्रतिशत शुद्ध आय से
1989-90	69.60	59.88	86.03
1990-91	44.00	64.37	146.30
1991-92	41.89	67.46	143.87
1992-93	72.67	83.28	114.60
1993-94	87.09	84.01	96.46

(5) गत पांच वर्षों से नियमानुसार वितरण योग्य लाभ नहीं बनने के कारण सदस्यों को लाभांश वितरित नहीं किया गया है तथा वर्ष 1990-91 से बैंक निरन्तर हानि में है ।

पंचायती राज प्रहरियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा

536. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोड़ा-भीम) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायती राज अधिनियम, 1959 के निर्माण से अब तक पंचायती राज प्रहरियों को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार राज्य कर्मचारियों की आयु सीमा की भांति पंचायती राज कर्मचारियों की भी आयु सीमा 40 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार पंचायती राज के कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायती राज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने सम्बन्धी मामला स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसा निर्णय लेने से पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त हो जायगी।

(2) पंचायत समिति/जिला परिषद में स्थाई कर्मचारियों की अधिनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा 4 वर्ष है ? राज्य प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ लिपिक यदि मैट्रिक है तो 7 वर्ष का सेवा अनुभव एवं यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का सेवानुभव आवश्यक है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद में कार्यरत ऐसे कनिष्ठ लिपिक जिनका 20 वर्ष का कार्यानुभव होने पर भी वरिष्ठ लिपिक के पद उपलब्ध न होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हुई हो, उन पदों को वरिष्ठ लिपिक के पदों में क्रमोन्नत करने के लिए वर्ष 1990 में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लघु वन उपज

537. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लघु वन उपज संग्रहण का कार्य जनजाति सहकारी संघ द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो किस-किस वन उपज का ?

(2) उपयोजना क्षेत्र में किस तरह की लघु वन उपज उपलब्ध है ?

(3) क्या उपलब्ध सभी लघु वन उपज का संग्रहण होता है अथवा आंशिक ?

(श्री महावीर भगोरा)

(4) लघु वन उपज की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं ?

(5) क्या दरें निर्धारित करते समय बाजार की दरों का ध्यान रखा जाता है ?

(6) राजसंघ की दरों एवं बाजार से प्राप्त दरों में कब-कब, कितना-कितना अन्तर रहा है ? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

एवं (२)

(1) (२)जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उपलब्ध निम्न लघुवन उपज में से गोंद धावड़ा, गोंद खैर एवं सालर गोंद को छोड़कर शेष सभी का संग्रहण का कार्य राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर द्वारा किया जाता है :—

1. गोंद धावड़ा "अ"
2. गोंद धावड़ा "ब"— ।
3. गोंद धावड़ा "ब"—।।
4. गोंद धावड़ा "स"
5. गोंद खैर "अ"
6. गोंद खैर "ब"
7. गोंद छोड़ी
8. मोम
9. शहद
10. महुआ फूल
11. डोलमा
12. रतनजोत
13. करंज
14. लाल अरण्डी
15. धतुरी
16. फेद मूसली "अ" इत्यादि,
17. सफेद मूसली "ब"
18. सफेद "मूसली"
19. आंवला
20. अरीठा
21 बहेडा छाल
22. अचार "अ"
23. अचार "ब"
24. पुवाड बीज
25. लाख
26. आंवला छाल
27. शतावरी
28. चित्रक छाल
29. पलास बीज
30. बिल्व गुदा
31 सालर गोंद

3. सालर गोंद, गोंद धावड़ा एवं गोंद खैर पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध होने से संग्रहण नहीं किया जाता है। वन्य अभ्यारण क्षेत्र में जिस लघु वन उपज संग्रहण पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध होता है उसे संग्रहित नहीं किया जाता है।

4. लघु वन उपज की दरें राजससंघ द्वारा निर्धारित की जाती है।

5. लघु वन उपज की दरें निर्धारित करते समय बाजार की दरों का ध्यान रखा जाता है।

6. राजससंघ द्वारा आदिवासियों को दी जाने वाली क्रय दर एवं राजससंघ को प्राप्त विक्रय दरें व अन्तर की पिछले तीन वर्षों की तालिका परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट—"1"

राजस्थान-जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर।

लघु वन उपज क्रय/विक्रय एवं अन्तर तालिका (दरें प्रति कि. में)

क्र. सं.	नाम उपज	वर्ष 1991-92			वर्ष 1992-93			वर्ष 1993-94		
		क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर	क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर	क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर
1.	गोंद धावड़ "अ"	100.00	186.00	86.00	100.00	171.00	71.00	120.00	180.00	60.00
2.	गोंद धावड़ा "ब-1"	60.00	110.00	50.00	60.00	89.00	29.00	60.00	75.00	15.00
3.	गोंद धावडा "ब-2"	35.00	62.60	27.60	35.00	59 53	24.53	35.00	—	—
4.	गोंद धावडा "स"	15.00	25.00	10.00	15.00	20.00	5.00	17.00	—	—
5.	गोंद खैर "अ"	20.00	31.00	11.00	20.00	27.00	7.00	19.00	30.50	8.50
6.	गोंद खैर "ब"	17.00	33.00	16.00	17.00	23.00	6.00	19.00	—	—
7.	मोम	22.00	44.00	22.00	22.00	40.00	17.00	38.00	48.00	10.00
8.	शहद	18.00	30.00	12.00	22.00	30.00	8.00	22.00	30.00	8.00
9.	महुआ फूल	3.00	—	—	3.50	—	—	3.50	4.90	1.40
10.	डोलमा	7.00	10.50	3.50	5.50	8.50	3.00	5.50	9.80	4.30
11.	रतनजोत	3.00	3.75	0.75	3.50	5.70	2.20	3.50	5.72	2.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कणज	3.50	5.00	2.50	3.50	4.50	1.00	3.50	5.50	2.00
13.	लालअरण्डी	4.00	6.21	2.21	4.00	5.25	1.25	4.00	6.00	2.00
14.	धतूरी	3.25	5.90	2.65	3.50	4.50	1.00	4.00	5.25	1.25
15.	सफेद मूसली "अ"	190.00	—	—	225.00	—	—	175.00	369.00	194.00
16.	सफेद मूसली "ब"	60.00	—	—	85.00	100.00	15.00	60.00	127.00	67.00
17.	सफेद मूसली "स"	30.00	66.50	36.00	30.00	40.00	10.00	30.00	50.00	20.00
18.	आंवला	4.00	—	—	4.00	5.00	1.00	2.75	5.25	2.50
19.	अरीठा	3.55	7.00	3.45	3.60	6.00	2.40	3.60	5.75	2.15
20	बहेड़ा छाल	0.90	1.80	0.90	1.00	—	—	1.00	1.65	0.65
21.	अचार "अ"	4.00	—	—	6.00	—	—	10.00	—	—
22.	पुंवाड बीज	0.70	3.75	3.05	0.70	—	—	0.75	1.71	0.96
23.	अचार "ब"	7.00	13.25	6.25	8.00	—	—	6.00	8.00	2.00
24.	लाख	7.50	13.00	6.50	7.50	15.00	7.50	7.50	—	—
25.	आंवला छाल	1.60	—	—	2.00	2.70	0.70	2.60	2.68	0.08
26	गोंद छोंटी	6.00	13.00	7.00	6.00	12.00	6.00	7.00	9.25	2.25
27	गोंद गोंदल	0.80	—	—	0.80	—	—	0.80	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	शतावरी	6.00	7.50	1.50	6.50	10.00	4.00	6.00	7.50	1.50
29.	चित्रक छाल	7·00	—	—	7.00	—	—	8.65	—	—
30.	पलाश बीज	1.50	—	—	1.50	1.25	(-)0.25	2.50	—	—
31.	बिल्व गुदा	2 50	—	—	2 50	3 20	0 70	3.00	5 05	2.05

महा प्रबन्धक
राजसंसघ लि0, उदयपुर

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक

538. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर गाड़ियों से उत्पन्न दूषित धूएं के प्रदूषण को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो उक्त एक्ट की तत्संबंधी धारा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के ध्यान में यह है कि जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसों तथा टेम्पों आदि से शहर में भयंकर प्रदूषण होता है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितनी मोटर गाड़ियों के मालिकों के विरुद्ध क्या-क्या कानूनी कार्यवाही की?

(3) सरकार मोटर गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त एक्ट की तत्सम्बन्धी धारा संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) अब तक जयपुर शहर में मोटर गाड़ियों के विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(3) प्रदूषण सम्बन्धित नियमों की कड़ाई से पालना कराने हेतु परिवहन विभाग प्रयासरत है।

MOTOR VEHICLES ACT, 1988

110. Power of Central Government to make rules]:— (1) The Central Government may make rules regulating the constrution, equipment and maintenance of motor vehicles and trailers with respect to any of the following matters, namely :—

(a) the width, height, length and overhang of vehicles and of the loads carried;

[(b) the size, nature, maximum retail price and condition of tyres, including embossing thereon of date and year of manufacture, and the maximum load carrying capacity".][56]

(c) brakes and steering gear;

(d) the use of safety glasses including prohibition of the use of tinled safety glasses;

(e) signalling appliances, lamps and reflectors;

peed governors;

(g) emission of smoke visible vapour, sparks, ashes, grit or oil;

(h) the reduction of noise emitted by or caused by vehicles;

(i) the embossment of chasis number and engine number and the date of manufacture;

( ) safety belts, handle bars of motor cycles, auto-dippers and other equipments essential for satety of drivers, passengers and other road users;

(k) standards of the components used in the vehicle as inbuilt safely devices;

(l) provision for transportation of goods of dangerous or hazardous nature to human life;

(m) standards for emission of air pollutants;

[(n) Installation of catalytic convertors in the class of vehicles to be prescribed;

(o) the placement of audio-visual; or radio or tape recorder type of devices in public vehicles;

(q) warranty after sale of vehicle and norms therefor;][57]

Provided that any rules relating to the matters dealing with the protection of environment, so far as may be, shall be made after consultation with the Ministry of the Government of India dealing with environment.

(2) Rules may be made under sub-section (1) governing the matters mentioned therein, including the manner of ensuring the compliance with such matters and the maintenance of motor vehicles in respect of such matters, either generally in respect of motor vehicles or trailers or in respect of motor vehicles or trailers of a particular class or in particular circumslances.

(3) Notwithstanding anything contained in this section :—

(a) the Central Government may exempt any class of motor vehicles from the provisions of the chapter;

(b) a State Government may exempt any motor vehicle or any class or description of motor vehicles from the rules made under sub-section (1) subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government

CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES, 1989

Emission of smoke, vapour, etc. from Motor Vehicles

115. Emission of smoke, vapour, etc. from motor vehicle :— *(1) Every motor vehicle other than motor cycles of engine capacity not exceeding 70 cc. manufactured prior to the first day of March. 1990, shall be maintained in such condition and shall be so driven so as to comply with the standards prescribed in these rules.

[30](2) On and from the date of commencement of this sub-rule, every motor vehicle shall comply with the following standards :—

(a) Indling CO (Carbon monoxide) emission limit for all four wheeled petrol driven vehicles shall not exceed 3 per cent by volume;

(b) Idling CO emission limit for all two and three wheeled petrol driven vehicles shall not exceed 4.5 per cent by volume;

(c) Smoke density for all diesel driven vehicle shall be as follows :—

*TABLE

Method of test	Maximum Smoke Density		
	Light absorption coefficient m	Bosch units	Hartridge Units
(a) For vehicles other than agricultural tractors, (i) Full load at 60 to 70% of maximum engine rated rpm declared by the manufacturer.	3.25	5.2	75
or Free acceleration	2.45	—	65
(b) For agricultural tractors— 80% load corresponding to maximum power developed in PTO Performance Tests.	3.25	5.2	75

29. This sub-rule shall come into force from the notified date.

30. This sub-rule shall come into force w. e. f. 1.3.1990 vide Noti. No. S.O. 869 (E) dated 27-10-1989

*Subs by Noti. No. GSR 338 (E) dt. 26-3-93

31(3) On and from the date of commencement of this sub-rule, all petrol driven vehicles shall be so manufactured that they comply with the mass emission standards as specified at Annexure 'I'. The breakdown of the opening cycle used for the test shall be as specified at Annexure 'II', and the reference fuel for all such tests shall be as specified in Annexure 'III' to these rules.

31(4) On and from the date of commencement of this sub-rule, all diesel driven vehicles shall be so manufactured that they comply with the standards based on exhaust gas capacity as specified at Annexure 'IV' to these rules.

32(5) On and from the date of commencement of this sub-rule, all diesel driven vehicles shall be so manufactured that they comply with the following levels of emissions

**[When tested as per test cycle specified in Annexure V.]

Mass of Carbon Monoxide (CO) Maxm. Grams per KWH	Mass of Hydrocarbons (HC) Maxm. Grams per KWH	Mass of Nitrogen Oxides (NO) Maxm. Grams per KWH
14	3.5	18.

Provided the standards for exhaust gas emissions applicable to agricultural tractors shall be notified separately.

(6) Each motor vehicle manufactured on and after the dates specified in sub-rules (2), (3), (4), or (5), shall be certified by the

31. Sub-rules (3) and (4) shall come into force 1-4-91 vide Noti. No. S.O. 869 (E) dt. 27-10-89.
32 This sub-rule shall come into force on 1-4-92 vide S.O. 869(E) dt. 27-10-89.
*Ins. by Noti. No. GSR 338 (E) dt. 26-3-93
** Subs. by. Noti No. GSR 338 (E) dt. 26-3-93

(142)

manufacturers to be conforming to the standards specified in the said sub-sections, and furher certify that the components liable to effect the emission of gaseous pollutants are so designed, constructed aud assembled as to enable the vehicle, in normal use, despite the vibration to which it may be subjected, to comply with provisions of said sub-rule.

(7) After the expiry of a period of one year from the date on which the motor vehicle was first registered, every such vehicle shall carry a valid "pollution under Control" certificate issued by an agency authorised for this purpose by the State Government. The validity of the certificate shall be for six months or any lesser period as may be specified by the State Government from time to time and the certificate shall always be carried in the vehicle and produced on demand by the officers referred to in sub-rule (1) of Rule 116.

(8) The certificate issued under sub-rule (7) shall, while it remains effective, be valid throughout India.

❀❀ 116. Test for smoke emission level and carbon monoxide level for motor vehicles :—

(1) Notwithstanding anything contained in sud-rule (7) of Rule 115 any officer not below the rank of Sub-Inspector of police or the Inspector of Motor Vehicles who has reason to believe that a motor vehicle is not complying with provisions of sub-rule (2) or sub-rule (7) of Rule 115, may in writing direct the driver or any person in charge of the vehicle to submit the vehicle for conducting the test to measure the standards of emission in anyone of the authorised testing stations, and produce the certificate to an authority at the address mentioned in the written direction within 7 days from the date of conducting the check.

❀Ins. by Noti No. GSR 338 E) dt. 26-3-93

❀❀Subs by Noti No. GSR 338 (E) dt. 26-3-93

(2) The driver or any person in-charge of vehicle shall upon such direction by the officer referred to in sub-rule (1) submit the vehicle for testing for compliance of the provisions of sub-Rule (2) of rule 115, at any authorised testing stations.

(3) The measurement for compliance of the provisions of sub-rule (2) of Rule 115 shall be done with a meter of the type approved by any agency referred to in Rule 126 of the principal rules or by the National Environmental Engineering Reerarch Institute, Nagpur-440 001

Provided that such in testing agency shall follow ISO or ECE Standards and procedures for apporval of measuring meters.

(4) If the result of the tests indicate that the motor vehicle complies with the provisions of sub-rule (2) of Rule 115, the driver or any person incharge of the vehicle shall produce the certificate to the authority specified in sub rule 1 within the stipulated time-limit

(5) If the test results indicate that the motor vehicle does not comply with the provisions of the sud-rule (2) of Rule 115, the driver or any person incharge of the vehicle shall rectify the defects so as to comply with the provisions of the sub-rule 2 of Rule 115 within a period of 7 days and submit the vehicle to any authorised testing statin for recheck and produce the certificate so obtained from the authorised testing station to the authority referred to in sub-rule (1).

(6) If the certificate referred to in sub-rule (1) is not produced within the stipulated period of seven days or if the vehicle fails to comply with the provisions of sub-rule (2) of Rule 115 within a period of seven days, the owner of the vehicle shall be liable for the penalty described under sub-section (2) of Section 190 of the Act.

(7) If the driver or any person in-charge of the vehicle

referred to in sub-rule (1) does not produce the said certificate within the said period of 7 days, such vehicle shall de deemed to have contravened the provisions of the sub-rule (2) of Rule 115 and the checking officer shall report the matter to the registering authority,

(8) The registering authority shall on receipt of the report referred to in sub rule (7) for reasons to be recorded in writing, suspend the certificate or registration of the vehicle, until such time the certificate is produced before the registering authority to the effect that the vehicle complies with the provision of sub-rule (2) of Rule 115.

(9) On such suspension of the certificates of registration of the vehicle, any permit granted in respect of the vehicle under chapter V or under Chapter VI of the Motor Vehicles Act 1989 (50 of 1988) shall be deemed to have been suspended until a fresh "pollution under control" certificate is obtained under sub-rule (7) of Rule 115

परिशिष्ट–2

वर्ष 1994--95 में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर में कुल 13763 वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आये, जिसमें से 4170 वाहनों का प्रदूषण स्तर निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण फिटनेस प्रमाण-पत्र रोके गये। इसके अलावा विभागीय उड़नदस्तों द्वारा वर्ष 94--95 में 748 वाहनों के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने सम्बन्धी अभियोग पंजीकृत किये गये उनमें से 579 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, 18 चालान कार्यालय स्तर पर कम्पाउण्ड किये गये तथा 151 में कार्यवाही जारी है।

बांसवाड़ा जिले की सीमेन्ट फैक्ट्री

539. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की कल्याण सुन्दरम सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो कब से ? फैक्ट्री बन्द होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री सरकार स्वयं चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कल्याण सुन्दरम सीमेंट फैक्ट्री सन् 1989 से बंद पड़ी है । फैक्ट्री प्रवर्तकों के कुप्रबंध एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण बंद हुई है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार के लिए प्रत्येक बंद हुई इकाई को हाथ में लेकर चलाना सम्भव नहीं है ।

तहसील मुख्यालय राश्मी (चित्तौड़गढ़) पर सहायक अभियन्ता कार्यालय

540. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि राश्मी तहसील मुख्यालय (चित्तौड़गढ़) पर राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला गया है ? यदि नहीं, तो सरकार तहसील मुख्यालय राश्मी में कब तक सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, राश्मी तहसील मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोल दिया गया है ।

माखड़ा, गंग कैनाल व सिद्धमुख नहर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास योजना

541. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार माखड़ा, गंग कैनाल एवं सिद्धमुख नहर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास की योजना लागू करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त क्षेत्रों में नहरों एवं खालों तथा अन्य निर्माण कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत कब तक प्रारम्भ कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) गंग व माखड़ा कैनाल के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सघनता 50 प्रतिशत से कम है वहां सिंचित क्षेत्र विकास योजना लागू करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग में विचार विमर्श किया जा सकता है । सिद्धमुख नहर के सम्बन्ध में विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(राज्य मंत्री सिंचित क्षेत्रीय विकास)

(2) सिंचाई विभाग को भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप गंग भाखरा के उन क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत से कम सिंचाई सघनता है की योजना भेजने हेतु आग्रह किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना को केन्द्रीय परावर्तित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया जायेगा। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही खाले बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। नहरों का निर्माण इत्यादि का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

शिकार बुर्ज (बूंदी) स्थित ऐतिहासिक दार्शनिक मन्दिर

542. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिकारबुर्ज बून्दी स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक दार्शनिक मन्दिर श्री हनुमान जी की सेवा पूजा भोग के लिये विभाग द्वारा मात्र 7/- (सात रुपये) प्रति माह की दर से अदा की जाने वाली सहायता अनुदान राशि में बढ़ोतरी के लिये सहायक आयुक्त, कोटा द्वारा विभाग के आयुक्त को पत्र क्रमांक 3945 दिनांक 21-10-1992 से प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मन्दिर की सुरक्षा के लिये धन राशि तथा सहायता अनुदान राशि बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मन्दिर की सुरक्षा एवं सहायता अनुदान राशि बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सहायता प्राप्त मन्दिरों पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। इन मन्दिरों से समस्त आय इन मन्दिरों के पुजारीगण लेते हैं। इसलिए सरकार इन मंदिरों की सहायता राशि बढ़ाना आवश्यक नहीं मानती हैं।

(3) जी नहीं। यह मन्दिर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में नहीं है। इसकी सुरक्षा की व्यवस्था इसके पुजारी की अथवा प्रबन्ध समिति की है। इन मन्दिरों में चढ़ने वाली समस्त भेंट-पूजा सीधे पुजारी/प्रबन्ध समितियों को जाती हैं।

राधेश्याम शर्मा,
सहायक आयुक्त,

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग
कोटा खण्ड कोटा

अर्द्ध शासकीय पत्र

क्रमांक--3945 कोटा, दिनांक 21-10-92

विषय—मन्दिरों को प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान की राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत।

प्रसंग - आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 4 (1) दास/देव/85/1379। दिनांक 3-10-92

आदरणीय श्री शर्मा जी,

विभाग द्वारा मन्दिरों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि की बढोतरी हेतु कोटा संभाग के प्रस्ताव इकजाई कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कराने की व्यवस्था करें।

सादर,

सद्भावी
ह./-
(राधेश्याम शर्मा)

श्री बनवारी लाल शर्मा
सहायक आयुक्त (मुख्यावास)
देवस्थान विभाग, उदयपुर

(148)

देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों/संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि के भुगतान व वृद्धि बाबत विवरण :—

जिले का नाम	स्लेब की राशि	अनुदान प्राप्त मन्दिरों की सं.	वर्तमान दर से चुकाई गई राशि	प्रस्तावित राशि	अतिरिक्त राशि और देनी होगी
बून्दी जिले के	31 से 40	541	16230--00	200--00	91970--00
सहायता प्राप्त	41 से 50	5	210--00	200--00	790--00
मन्दिर	51 से 60	3	159--00	200--00	451--00
	61 से 70	1	67--00	200--00	133--00
	71 से 80	1	80--00	200--00	120--00
	81 से 90	—	—	—	—
	91 से 100	—	—	—	—
	101 से 200	—	—	—	—
	201 से 300	—	—	—	—
	301 से 400	—	—	—	—
	401 से 500	—	—	—	—
	501 से 600	—	—	—	—
	601 से 700	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
	701 से 800	—	—	—	—
	801 से 900	—	—	—	—
	901 से 1000	—	—	—	—

ह./-

सहायक आयुक्त,

देवस्थान विभाग, कोटा ।

जल संसाधन विकास निगम द्वारा ट्यूबवैल्स

543. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपनी स्थापना से अब तक कितने नये ट्यूबवैल सिंचाई के लिए खोद चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें और प्रत्येक ट्यूबवैल से सिंचित रकबे का विवरण भी दर्शावें।

(2) वर्तमान सरकार किसानों को ट्यूबवैल खोदने के लिए इस निगम से क्या सहायता उपलब्ध करा रही है ?

(3) इस निगम से कितनी हानि सरकार को अब तक हो चुकी है तथा क्या सरकार द्वारा इसे समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है ?

उत्तर •

(1) निगम ने अपनी स्थापना की तिथि से फरवरी, 1995 तक सिंचाई के लिये 20 ट्यूबवैल खोदे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। निगम द्वारा कृषि एवं वन विभाग के लिए ट्यूबवैल खोदे गये थे। जिनका उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है।

(2) निगम से केवल ट्यूब वैल/डगवैल खोदने एवं गहरे करने की व्यवस्था है। सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(3) जी नहीं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्ष 83-84 से 86-87 तक निगम की संचयी हानि रु. 32.84 लाख थी जो वर्ष 87-88 से निगम की अपनी मशीनों के कार्यरत होने के पश्चात् वर्ष 93-94 के अन्त तक घटकर रु. 14.10 लाख रह गई है जिसे वर्ष व आगामी वर्ष में शून्य किया जाकर लाभ में लाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट--"अ"

राजस्थान जल विकास निगम द्वारा खोदे गये सिंचाई के
ट्यूबवैल की जिलेवार सूची :—

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रारम्भ से फरवरी, 95 तक खोदे गये नलकूप की संख्या
1.	जयपुर	6
2.	टोंक	1
3.	सीकर	1
4.	अलवर	3
5.	अजमेर	3
6.	भरतपुर	3
7.	चित्तौड़गढ़	1
8.	जोधपुर	1
9.	गंगानगर	1
	कुल योग	20

उपरोक्त ट्यूबवैलों का सिंचित रखने का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

अरबन को-आपरेटिव बैंक के चुनाव

544. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी राज्य के किन-किन जिलों में अरबन को-आपरेटिव बैंक के चुनाव नहीं हुए हैं ?

(2) क्या सरकार चुनाव कराने के बजाय ऐसे बैंक्स में प्रशासक नियुक्त करना चाहती है ? यदि नहीं, तो चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) अवधि पूर्ण होने के पश्चात् अलवर, अजमेर, बून्दी, झालावाड़, ब्यावर, धौलपुर एवं झुन्झुनू के चुनाव नहीं हुए है।

152

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, नहीं। जिन बैंकों के संचालक मण्डल की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है/होने जा रही है, उन सभी बैंकों में चुनाव कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) में एस डी. आई के स्वीकृत पद

545. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायती समिति इटावा जिला कोटा में एस. डी. आई. के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) एस. डी. आई. के यह पद कब से रिक्त चल रहे हैं तथा सरकार कब तक इन पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा जिला कोटा में एस. डी. आई. के दो पद स्वीकृत हैं।

(2) यह पद गत वर्ष से रिक्त हैं। एस. डी. आई. के पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। शिक्षा विभाग के एस. डी. आई. के नाम प्राप्त होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जावेगी।

बून्दी शहर के बस स्टैण्ड का स्थानान्तरण

546. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बून्दी शहर के नागरिकों की आवागमन की कठिनाई तथा दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से शहर में स्थित बस स्टैण्ड को लंका गेट से बाहर अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य नगर नियोजक द्वारा सीलोर रोड व चित्तौड़ रोड पर उक्त बस स्टैण्ड बनाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 2-5-1994 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो सीमांकन कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) परिवहन निगम को मुख्य नगर नियोजक से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच द्वारा रीको के विरुद्ध निर्णय

547. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : एवं **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्लोबल गरेनी मारबो लिमिटेड के पक्ष में व रीको के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच द्वारा कोई निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) इस फैसले में मुख्यत: किस बात को आधार माना गया ?

(3) क्या फैसले में किसी अधिकारी के विरुद्ध जुम्मेवारी ठहराई गई ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध ?

(4) क्या सरकार ऐसी कई इकाइयों जो सरकारी तन्त्र के देरी से दिये गये निर्णय से प्रभावित हुई हैं, को उपभोक्ता मंच जाने से पहले उचित राहत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच ने अपने निर्णय में मुख्य आधार फॉरेन एक्सचेंज लोन के लिए फारवर्ड कवर लेने में रीको के पार्ट पर हुई तथाकथित देरी को माना है। इस निर्णय के विरुद्ध रीको ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दिनांक 6.2.95 को प्रस्तुत की है जो दिनांक 21.4.95 को एडमिट हो गई है इसमें अभी स्टे नहीं दिया गया है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच के समक्ष भी पुनर्विचार याचिका दिनांक 13.2.95 को प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई की तिथि अभी नियत नहीं हुई है। इनका मुख्य आधार यह है कि फारवर्ड कवर लेने के क्रम में रीको की ओर से कोई देरी नहीं की गयी।

(3) जी नहीं। फैसले में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं ठहराई गयी है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई सामान्य निर्णय व्यावहारिक नहीं होगा। यदि किसी प्रकरण में देरी होगी तो उस मामले में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

NATIONAL CONSUMBR DISPUTES REDRASAL COMMISSION, NEW DELHI.

ORIGINAL PETITION No. 109 OF 1993

DATED THE 13TH DECEMBER, 1994

M/R Global Granimarmo Ltd. .... Complainant

Versus

Rajasthan State Industrial Development .... Opposite Parties
and Investment Corporation Ltd. & Anr.

BEFORE :

HON'BLE MR. JUSTICE V. BALAKRISHNA ERADI,
PRESIDENT.

MR. Y. KRISHAN, MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE B. S. YADAV, MEMBER.

For the Complainant. : Mr. Pallay Sishodia &
Mr. G. Kandgal, Advocates

For the Opposite Parties : Mr. H. C. Gupta, Advocate

ORDER

Y. KRISHAN, MEMBER

The Complainant. – M/s. Global Granimarmo Ltd. – cecured a loan in Italian currency LIT 506,400,000 whose then rupee equivalent was Rs. 49.90 lakhs in 1987 from the Opposite Party No. – Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. (RIICO) – for import of granite processing machinery from Ilaly.

Under this scheme of Foreign currency Assistance of the I.D.B.I. such foreign currency lcans are refinanced by the I.D.B.I.

in terms of convertible foreign exchange—In this case it was refinanced with SU S 3,66,900.22 and Japanese. Yen 5,990,459.

Under the scheme of Foreign Currency Assistance the borrowers are also entitled to book forward contracts through the I.D.B.I. on roll over basis so as to obtain forward cover against the exchange risks. Consequently, the complainant applied on 7th April, 1989 to the opposite party No. 1 — R.I.I.C.O. — for conversion of the loan in Indian rupees by way of forward booking against exchange rate fluctuation. The rupee equivalent of the foreign currency loan in 1989 amounted to Rs. 49.94 lakhs only. The complainant moved the opposite party — R.I.I.C.O. — on 7th April, 1989 for conversion of the loan in Indian rupees and hedging/forward booking against exchange rate fluctuations. There was delay in processing this application for conversion arranging forward cover for nearly two years and by this time the rupee had depreciated in terms of US S and Japanese Yen and consequently the rupee equivalent of the foreign currency loan had gone up by over 50 lakhs as would be evident from the data given in the table below :

	Amount	Rate (Rs.)	Value (Rs.)
(A) US S A/C			
Liability at the date of actual hedging (4-9-91)	3,66,919.22	Rs. 100 = US 53.615	1,01,49,909.00
Liability had the same would have been hedged on 7-4-89	3.66,919.22	Rs. 100 = US 6.476	56,65,830.00
			44,84,830.00

(B) **Japanese Yen A/C**

Liability at the date of actual bedging (4-9-91)	59,90,459	Rs. 100 = JY 490.50	12,21,296
Liability had	59,90,459	Rs. 100 = JY 858.52	6,97,766
			5,23,530
		Total Loss	50,07,609

We find that there is merit in the contention of the complainant that hedging was one of the devices to be adopted in the loan transaction as per the policy of the I. D. B. I. and the Central Government and it was obligatory on the part of the opposite Party No. 1 — R. I. I. C. O. - to secure hedging of the complainant's loan as early as possible. It is a part of the bank's service to provide hedging of loans against exchange fluctuations if the borrowers so desire. The banking policies permit such forward cover being granted or obtained, especially when there is a provision for refinancing of the loan by the I. D. B. I. According to the complainant he is not only paying interest on the loan obtained from the R. I. I. C. O. but also service charges for the loan and as such he had paid consideration for the rupee to by rendered by R. I. I. C. O.

An increase in the rupee equivalent of the loan liability by Rs 50 lakhs was bound to affect adversely the financial viability of the granite project and as such it was in the interests of the opposite Party - R. I. I. C. O - itself to protect the borrower against such an increase in the loan liability by securing forward

cover against foreign exchange fluctuation. We find from a perusal of the reply of the opposite Party -- R.I.I.C.O. -- to the complaint petition as well as from the pleadings at the hearing and from the written submission of the parties that the attitude of the R.I.I.C.O. towards obtaining foreign exchange cover was indifferent and apathetic. When it was pointed out to counsel for the R. I. I. C. O. that it was in its own interest also to ensure that the loan liability of the borrower did not go up because of rupee depreciation and that this did not affect adversely the financial viability of the borrower as this will, in turn adversely affect repayment of the loan to R. I I. C. O., the reaction of the counsel for the R.I.I.C.O. did not exhibit any anxiety or concern to avoid any increase in the loan liability of the borrower as a result of the currency depreciation. In its written submission also the opposite Party -- R. I. I. C. O has maintained that it had no obligation even to guide the borrower whether it would be desirable for him to obtian forward cover against exchange risks disregarding its own self interest in such a hedging We, therefore, hold that there has been deficiency in servicê on this part of the opposite Party -- R.I.I.C O. towards its client -- M/R. Global Granimarmo Ltd. – and that the loan liability has gone up by over Rs 50 lakhs because of delay in arranging forward foreign exchange cover. The rate of interest charged by R. I. I. C O. on the loan granted by it to the complainant has not been clearly specified in the paper book but it appears to be 24% simple interest. The R. I. I. C. O. is, therefore, liable to compensate the complainant by a sum of Rs. 50,07,609/-- – the avoidable increase in the principal amount on account of depreciation of the rupee - with interest at the same rate which it is charging the borrower till the date of the

compensation of Rs- 50-07 lakhs. The complaint is allowed as above. There is no order as to costs.

Sd/--
(V- BALAKRISHNA ERADI)
PRESIDENT

Sd/-
(MR- Y- KRISHAN)
MEMBER

Sd/--
(B. S. YADAV)
MEMBER

जिला धौलपुर हेतु विद्युत आपूर्ति.

548. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला धौलपुर की विद्युत् आपूर्ति हेतु कितने एम्पीयर लोड की आवश्यकता है ?

(2) कितने एम्पीयर लोड वर्तमान में धौलपुर जिले को दिया जा रहा है ? यदि कम दिया जा रहा है तो क्यों ? क्या मण्डल इस कमी को पूरा कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर की विद्युत् आपूर्ति के लिए विद्युत् मण्डल ने अपने पैसे से एक 33 के. वी. की लाइन मोती झील, ग्वालियर से धौलपुर तक खींची थी, जिससे धौलपुर को विद्युत् उपलब्ध करायी जाती थी ?

(4) क्या यह सही है कि इस लाइन से ग्वालियर से धौलपुर को दी जाने वाली सप्लाई बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल ने ग्वालियर से धौलपुर के बीच हेतमपुर पर 33 के. वी. सब-स्टेशन बनाकर उक्त लाइन से बिजली की सप्लाई मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दी जा रही है ? यदि हां, तो विद्युत् मण्डल ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले की विद्युत् आपूर्ति हेतु सामान्य स्थिति में लगभग 110

(ऊर्जा मंत्री)

एम्पीयर (132 के. वी.) की मांग रहती है।

(2) वर्तमान में धौलपुर जिले को 100 एम्पीयर (132 के. वी.) विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो कि मांग के अनुरूप बिना किसी कटौती के पर्याप्त मात्रा में है।

(3) जी हां, यह सही है कि धौलपुर की विद्युत् आपूर्ति के लिये विद्युत् मण्डल द्वारा सन् 1968 में अपने पैसों से 33 के. वी. लाइन मोती झील ग्वालियर से धौलपुर तक खींची गयी थी तथा इससे धौलपुर को विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध करायी जाती थी।

(4) जी हां, यह यही है कि ग्वालियर धौलपुर लाइन पर कुछ समय से मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल द्वारा विद्युत् की सप्लाई बन्द कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में रा. रा वि. मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार लिखा जा रहा है लेकिन अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया है।

(5) जी हां, यह सही है कि मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल ने ग्वालियर से धौलपुर के बीच हेतमपुर पर 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बनाया है तथा उक्त सब स्टेशन से व 33 के0 वी0 लाइन से मध्य प्रदेश क्षेत्र में विद्युत् सप्लाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में भी मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल अधिकारियों को लिखा जा चुका है, परन्तु उनका'जवाब अभी तक नहीं आया है।

मण्डावरी (लालसोट) में गौण मण्डी यार्ड

549. श्री परसादीलाल मीणा(लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में गौण मण्डी यार्ड भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट के अन्तर्गत मण्डावरी गौण मंडी यार्ड घोषित है। इस सम्बन्ध में मंडी समिति द्वारा स्थल चयन कर प्रस्ताव वरिष्ठ नगर नियोजक कृषि विपणन बोर्ड जयपुर को प्रेषित किया गया है। मंडी यार्ड भवन बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मूंगिया खेड़ा सिकराय में स्टेडियम निर्माण

550. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिकराय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल को वर्ष 1990 में 7 बीघा भूमि (खसरा नम्बर 95/1) ग्राम मूंगिया खेड़ा में मिनि स्टेडियम के निर्माण हेतु दी गयी थी?

(2) क्या सरकार की उक्त भूमि पर मिनि स्टेडियम बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो सरकार इसकी

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

क्रियान्विति कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में ग्राम मूंडियाखेड़ा तहसील सिकराय में 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 95/1 में जिला कलक्टर द्वारा क्रीडा स्थल हेतु आवंटित की गयी ।

(2) मिनी स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

तालाब, ब्यावर

551. श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के सुभाष उद्यान के पास स्थित बिचड़ली तालाब की सफाई एवं रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ब्यावर नगर परिषद् की है ? यदि हां, तो इस तालाब के रख-रखाव पर गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तालाब में गन्दगी एवं कीचड़ के कारण इतनी दुर्गन्ध एवं मच्छरों का प्रकोप है कि ब्यावर शहर का लगभग आधा भाग इसके प्रदूषण से परेशान है तथा ब्यावर में महामारी फैलने जैसी स्थिति हो गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तालाब में फैलने वाली महामारी की रोकथाम के लिए जनता एवं जन प्रतिनिधियों ने नगर परिषद् के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) ब्यावर शहर को इस प्रदूषण एवं महामारी की स्थिति से बचाने के लिए नगर परिषद् द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं तो इस गम्भीर स्थिति में लापरवाही बरतने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बिचड़ली तालाब खसरा नम्बर 1510, 1511, 1512, 1516, एवं 1517 को भूमि सरकारी भूमि राजस्व भूमि के नाम इन्द्राज है । ब्यावर के नागरिकों की मांग पर नगर-परिषद द्वारा समय-समय पर 9520/-रु. खर्च किए गये । की गयी व्यय राशि एवं कार्य का विवरण संलग्न है ।

(2) जी नहीं । वर्ष 94-95 से पूर्व बिचड़ली तालाब पूर्णतया सूखा न होने से न तो गन्दगी थी एवं न कीचड़ था । वर्ष 94-95 में औसत से अधिक वर्षा होने से इस तालाब में पानी इकट्ठा हो गया एवं दुर्गन्ध होने की सम्भावना तथा कुछ शिका-यतें प्राप्त होने पर नगरपरिषद् द्वारा समय-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

समय पर दवाइयां डाली गई तथा दुर्गन्ध की रोकथाम की गयी।

(3) जी हां। प्राप्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) नगरपरिषद्, ब्यावर द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए समय पर दवाइयां डलवाई गयी तथा दुर्गन्ध की रोकथाम की गयी। चूंकि नगरपरिषद् द्वारा समय पर कार्यवाही की गयी इसलिए लापरवाही बरतने का प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नये पंचायत कानून द्वारा पंचायत राज संस्थान को अधिकार

552. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राजस्थान सरकार ने नया पंचायत कानून बनाने के पश्चात् क्या-क्या और अधिकार पंचायत राज संस्थानों को दिये हैं ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। नये पंचायती राज्य अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को अधिकार दिये जाने का मसला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

खाजूवाला व लूणकरणसर तहसील मुख्यालय पर नगर बस अड्डा

553. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सीमांत मंडी खाजूवाला व लूणकरणसर तहसील मुख्यालय पर राजस्थान परिवहन निगम का बस अड्डा बनाने हेतु भू-आवंटन कराके अड्डे का भवन व जन सुविधाएं मुहैया कराने की मांग स्थानीय जनता द्वारा समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खाजूवाला में उक्त कार्यों हेतु क्षेत्रीय सांसद द्वारा 5 लाख रुपये प्रथम किस्त के तौर पर स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) क्षेत्रीय सांसद की अनुशंसा पर जिला विकास अभिकरण ने पांच लाख रुपये आवास विकास संस्थान को उपलब्ध करवाये हैं, आवास विकास संस्थान द्वारा स्थान का चयन आदि की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 755 का विवरण)

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(30) उद्योग/1/94 जयपुर, दिनांक 27-3-1995

आदेश

राज्य की औद्योगिक नीति, 1994 की घोषणा के अनुसरण में राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (रीको) द्वारा स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहित को गई इकाईयों परिसम्पत्तियों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित पैकेज स्वीकृत किया जाता है :—

1. नये उद्यमी जो अधिग्रहित इकाईयों की परिसम्पत्तियां क्रय करेंगे उन्हें राज्य विनियोजन अनुदान का लाभ मूल प्रवर्तक को स्वीकृत किये गये अनुदान के विरुद्ध अवितरित राशि तक उपलब्ध होगा। बशर्ते नये प्रवर्तक द्वारा इस सीमा तक और विनियोजन किया जाये। अगर विक्रय हुई परिसम्पत्तियों को फिर से उत्पादन के लिए 5 वर्ष तक लगातार काम में लिया जावे तो पूर्व में वितरित अनुदान वापस नहीं लिया जावेगा।

2. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित अधिग्रहित इकाईयों की भूमि को किसी भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने की स्वीकृति आवश्यकतानुसार राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा दी जावेगी।

3. अधिग्रहित इकाईयों के विरुद्ध विद्युत मण्डल एवं वाणिज्यक कर विभाग की बकाया राशि पर दण्डनीय ब्याज अथवा शास्ती नये उद्यमी/क्रेता से वसूल नहीं की जावेगी। दूसरे शब्दों में, यह सुविधा रुग्ण इकाइयों के पुनर्चालन हेतु बी. आइ. एफ. आर. से अनुमोदित पैकेज के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधा के अनुरूप होगी।

4. भविष्य में जो इकाइयां अधिग्रहित की जायेगी उनके लिए विद्युत मण्डल, वाणिज्यक कर विभाग एवं यातायात विभाग को अधिकतम छः माह की बकाया राशि को ही परिसम्पत्तियों के बिक्री मूल्य से वापस किया जा सकेगा।

5. चूंकि विद्युत मण्डल एवं वाणिज्यक कर विभाग की बकाया राशि के भुगतान पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं, अतः ऐसी स्थगित बकाया राशियों को अधिग्रहित इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बेचान से प्राप्त राशि के बंटवारें हेतु शामिल नहीं किया जायेगा।

6. अधिग्रहित इकाईयों के क्रेताओं से रीको द्वारा भूमि हस्तान्तरण पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार अधिग्रहित इकाई के मूल प्रवर्तक द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण पर नये प्रवर्तक/क्रेता से रीको द्वारा कोई शास्ति वसूल नहीं की जावेगी।

उपर्युक्त पैकेज का एक वर्ष तक क्रियान्वयन किये जाने के उपरान्त यदि आवश्यक होगा तो अनुभव के आधार पर पुनः समीक्षा की जावेगी।

ह.

आज्ञा से,
विशिष्ठ शासन सचिव,

प्रतिलिपि—

1. निजी सचिव, उपमुख्य मंत्री जी, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रीको लि. जयपुर।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. वित्त निगम, जयपुर।
5. शासन सचिव, वित्त विभाग,
6. शासन सचिव, उद्योग विभाग,
7. शासन सचिव, उर्जा विभाग,
8. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक, उद्योग विभाग, राज. जयपुर।
10. आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राज. जयपुर।
11. निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग,
12. विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

ह.

उप शासन सचिव,

164

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप-I) विभाग

1. अध्यक्ष,
राज. राज्य विद्युत मण्डल,
जयपुर ।

2. आयुक्त,
वाणिज्यक कर विभाग,
राज. जयपुर ।

3. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव,
परिवहन विभाग,
राज. जयपुर ।

क्रमांक : प. 4(30) उ./1/94 जयपुर, दिनांक : 27 मार्च, 1995

विषय—राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा स्टेट फाईनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट की धारा-22 के तहत अधिग्रहित इकाइयों के बेचान से प्राप्त राशि का वितरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मामले में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर समय-समय पर की गयी समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्टेट फाइननेंसियल कार्पोरेशन एक्ट, की धारा-29 के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाइयों की परिसम्पतियों के बेचान से प्राप्त राशि एक ओर ऋणदात्री संस्थाओं यथा राजस्थान वित्त निगम अथवा रीको एवं दूसरी ओर विद्युत मण्डल वाणिज्यक कर विभाग एवं यातायात विभाग के बीच 70 : 30 के अनुपात में वितरित की जायेगी । ऐसी स्थिति में जब राज्य विद्युत मण्डल वाणिज्यक कर विभाग एवं यातायात विभाग की कुल बकाया परिसम्पतियों के बेचान से प्राप्त राशि के 30 प्रतिशत से कम हो तो अवशेष राशि ऋण दात्री संस्थाओं को उनकी बकाया भुगतान के लिए उपलब्ध होगी ।

भवदीय

ह.

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको लि., जयपुर।

2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. वित्त निगम लि., जयपुर।

अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 764 का विवरण

प्राप्त अनुदान राशि का विवरण

सामान्य अनुदान

क्र. सं.	वर्ष	अनुदान का विवरण	प्रयोजन	प्राप्ति की तिथि
1.	1990-91	1,23,280.00	वेतन एवं भत्तों के पुर्नभरण हेतु	41093/-4-6-90 41093/-10-8-90 41094/-25-2-91 123280.00
2.	1991-92	1,41,094/-	,,	100000.00/ 31-3-92 41094.00/ 26-3-92 141094.00
3.	1992-93	1,15,280/-	,,	41094.00 26-3-92 41093.00 4-8-92 33093.00 22-12-92 115280.00

1	2		3	4	5
4.	1992-93	100000/-	अतिरिक्त सामान्य अनुदान)	---	
5.	1993-94	1,23,280.00	वेतन एवं भत्तों के पुर्नभरण हेतु	41094.00	9-3-93
				41093.00	7-9-93
				41093.00	28-10-93
				123280.00	

विशिष्ट अनुदान

1990-91	74,341.00	निर्माण कार्य हेतु	42500.00	8-5-90
1990-91		विकास कार्य हेतु	31841.00	7-7-90
			74341.00	
1991-92	1,30,272.00	एन.आर.वाई. के अन्तर्गत स्वरोजगार एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु।	10048.00	31-3-92
		स्वरोजगार एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन	53579.00	28-2-92
		स्वरोजगार व रोजगार कार्यक्रम	66645.00	28-3-92
			130272.00	
1992-93		पर्यावरण सुधार हेतु	15750.00	26-7-92

अधिशाषी अभियन्ता

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 769 का विवरण

कार्यालय ग्राम पंचायत तलावड़ा (पं0 सं0 गंगापुर)

सरपंच
ग्राम पंचायत तलावड़ा
जिला--सवाईमाधोपुर

श्रीमान् शिक्षा मन्त्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर
शासन सचिवालय ।

क्रमांक : 10 दिनांक 18-2-95

विषय :--स्थानीय रा0 मा0 विद्यालय, तलावड़ा (त0 गंगापुर सिटी) को क्रमोन्नत करने बाबत ।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रा0 मा0 विद्यालय, जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है । यह विद्यालय सन् 1979 में सैकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हुआ था परन्तु आज तक भी इस विद्यालय को उपेक्षा भाव से देखा गया है । सिनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की सभी वांछित शर्तें पूर्ण करता है । इस स्कूल में 8 कमरे साईज 18×27 तथा 6 कमरे 18×8 के हैं । इसके अतिरिक्त पर्याप्त विद्यालय प्रांगण, गार्डन, एवं क्रिड़ा स्थल है । इस विद्यालय के आस-पास 8 सैकण्डरी स्कूल है । इन सबके लिये हमारा यह विद्यालय शिक्षण कार्य हेतु मध्य केन्द्र में है । इस विद्यालय से 20 किमी0 दूर सि0 उच्च माध्यमिक विद्यालय है । ऐसी स्थिति में आस पास के सभी छात्रों को शिक्षण कार्य में बाधा आती है मध्यम वर्ग के बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति में असमर्थ रहते है । ऐसी स्थितिमें इस विद्यालय का सि0 उ0 मा0 वि0 क्रमोन्नत होना अनिवार्य है । इसलिए आपसे अनुरोध है कि उक्त विद्यालय को अतिशीघ्र इसी बजट क्षेत्र में क्रमोन्नत करने को कृपा करें ।

हस्ताक्षर/-
सरपंच
ग्राम पंचायत तलावड़ा
जिला--सवाईमाधोपुर

(168)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 774 का विवरण

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) जयपुर प्रथम जयपुर ।

: कार्यालय आदेश :

श्री राधेश्याम पारीक च0 श्रेणी कर्मचारी मूक बधिर संस्थान, जयपुर को इनके प्रार्थना पत्र दिनांक 19-7-94 के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 244 (1) (क) के अन्तर्गत दिनांक 31-10-91 से स्वेच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

सम्बन्धित संस्था प्रधान श्री पारीक को कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें ।

हस्ताक्षर/-
जिला शिक्षा अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक : जि.शि.अ./जय/प्रथम/संस्था--2/फा--रे0/नि0/94-95/3442 दि0 15-9-94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :

1 निदेशक, पेन्शन विभाग, जयपुर ।

2. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कर्मचारी

3. रक्षित पत्रावली ।

हस्ताक्षर/-
जिला शिक्षा अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर ।

(169)

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 781 की सूची

ग्राम खटवा (तहसील लालसोट) के कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन आवेदन पत्रों की सूची । प्रपत्र "अ"

क्रम सं	दिनांक	आवेदक का नाम
1.	4.4.80	श्री रंगलाल/हरबक्स मीना
2.	28.3.81	,, बिहारी उर्फ हजारी
3	28.3.81	,, कंवरपाल/रामनारायण मीना
4.	28.3.84	,, रामकरण/भोलाराम मीना
5.	28.7.84	,, हरपाल, हजारी, सोन्या
6.	3.7.85	,, फूलचन्द, बदरीमाली
7.	3.7.85	,, बिरदा/गोरया माली
8.	3.7.85	,, बिरदा/गोरया माली
9.	3.7.85	,, गोरधन/नानगा मीना
10.	3.7.85	,, गोरधन/गंगाल्या माली
11.	31.3.87	,, नानगा/मूलचन्द
12.	31.3.89	,, नानगा/माती, जन्सी मीना
13.	31.3.89	,, सुखदेव/कल्याण ब्राह्मण
14.	31.7.89	,, बृजमोहन/गोविन्द ब्राह्मण
15.	23.8.89	,, श्रीचन्द/शिवनारायण
16.	4.10.89	,, ओंकार/रामनाथमीना
17.	16.11.89	,, पून्या,छोटू/दीपा चमार
18.	1.1.90	,, मोतीलाल/मवरिया मीना
19.	1.1.90	,, रामजीलाल/फोजी

(170)

1	2	3
20.	1.1.90	श्री उदयराम/जमनालाल कोली
21.	11.1.90	,, रामपाल/बिरदा
22.	15.1.90	,, कालूराम/लादूराम
23	15.1.90	,, हरचन्द/कालूराम
24.	15.1.90	,, विरेन्द्रसिंह/केसरसिंह
25.	22.1.90	,, बजरंगलाल/रामनारायण
26.	27.1.90	,, शंकरलाल/कानामीना
27	9.3.90	,, मनोहरलाल/जमनालाल
28	3.7.90	,, गजानन्द/भवरिया मीना
29	22.1.92	,, बाबूलाल/मिश्री
30	27.2.92	,, गजानन्द/ भंवरिया मीना
31	30.3.92	,, गोकुल/रामकरण मीना
32	4.3.93	,, फैली, भागीरथ मीना
33	29.7.93	,, रणजीता/सालगा
34	21.3.94	,, बाबूलाल/जगनाथ
35	20.6.94	,, प्रभु/चन्दा
36	12.1.93	,, अम्बालाल/हरगोविन्द
37	8.8.94	,, रामजीलाल/ओंकार
38.	24.10.94	,, जगदीश/झूता मीना
39.	14.11.94	श्रीमति रसालकंवर
40	1.12.94	श्री खिलाड़ी ,लोहडिया
41.	1.12.94	,, मंगल्या काल्या मीना
42.	14.12.94	,, श्रवण/हरिनारायण
43.	15.12.94	,, हरसहाय/मूलचन्द्र
44.	16.12.94	,, रामसहाय/रंगलाल
45.	17.12.94	,, हीरालाल/मंगल्यामीना
46.	21.12.94	,, रामवतार/गिरिराज

1	2	3
47.	24.12.94	श्री बाबूलाल/हरिकैलाश
48.	26.12.94	,, गोकूल/घासी मीना
49.	30.12.94	,, हरिराम/शुकराम मीना
50.	30.12.94	,, जमनालाल/हरिराम
51.	17.2.95	,, रणजीता/रंगलाल

ग्राम खटवा तहसील लालसोट में अनुसूचित जाति व जन जाति के आवेदकों की सूची। प्रपत्र "ब"

क्र. सं.	दिनांक	आवेदक का नाम
अनुसूचित जाति		
1.	16.11.80	श्री पून्या,छोटू/दीपाचमार
2.	1.1.90	श्री उदयराम/जगनलाल
अनुसूचित जनजाति		
1.	4.4.80	श्रीरंगलाल/हरबक्स
2.	28.3.81	,, कंवरपाल/रामनारायण मीना
3.	28.3.84	,, रामकरण/भोलाराम मीना
4.	3.7.85	,, गोवंधन/नानगा मीना
5.	31.3.87	,, नानगा/मूलचन्द मीना
6.	31.3.89	,, नानगा,मोती, जैसी मीना
7.	4.10.89	,, ओंकार/रामनाथ मीना
8.	1.1.90	,, मोतीलाल/भंवरिया मीना
9.	1.1.90	,, रामजीलाल/फोजी
10.	15.1.90	,, कालूराम/लादूराम

(172)

1	2	3
11.	15.1.90	श्री हरचन्द्र/कालूराम
12.	27.1.90	,, शंकरलाल/काना मीना
13.	3.7.90	,, गजानन्द/भंवरिया मीना
14.	22.1.90	,, बजरंगलाल/रामनारायण
15.	27.2.92	,, गजानन्द/भंवरिया मीना
16.	30.3.92	,, गोकूलराय/रामकरण मीना
17.	4.3.93	,, फेली/भागीरथ मीना
18.	29.7.93	,, रणजीता/सालगा मीना
19.	21.3.94	,, बाबूलाल/जगन्नाथ
20.	8.8.94	,, रामजीलाल/ओंकार
21.	24.10.94	,, जगदीश/भूथा मीना
22.	1.12.94	,, खिलाड़ी/लोहड़िया
23	1.12.94	,, मंगल्या/कल्याण मीना
24	16.12.94	,, रामसहाय/रंगलाल
25.	17.12.94	,, हीरालाल/मंगल्या
26	21.12.94	,, रामअवतार/गिर्राज
27.	24.12.94	,, बाबूलाल/हरिकैलाश
28.	26 12.94	,, गोकूल/घासी मीना
29.	30.12.94	,, हरिराम/सुखराम मीना
30.	30.12.94	,, जमनालाल/हरिराम मीना
31.	17.12.95	,, रणजीत/रंगलाल

परिशिष्ट--9

अतारांकित प्रश्न संख्या 783 की सूची

परिशिष्ट--"अ"

स्कूल, कालेज एवं सार्वजनिक भवनों हेतु भूमि आबंटित नियम, 1963 1959 द्वारा तालाबी पेटे में स्थित राज की भूमि खेती हेतु आबंटन के समय जारी किये गये अधिशाषी अनुदेशों को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राजस्थान भू-राजस्व

(स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणथ अनाधिवासित राजकीय दृष्टिकोण का आवंटन नियम 1963)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम--1955 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्त अधिकथित करती है जिन पर वह स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु अनाविकासित राजकीय कृषि भूमियां आबंटित करने को इच्छुक है।

1- आबंटित की जाने वाली भूमि का वर्ग

यदि नजूल या आबादी भूमि उपलब्ध न हो तो बन्जर या अकृष्य बारानी वर्ग की भूमि आबटित की जा सकेगी।

परन्तु शर्त यह है कि यदि अन्य वर्ग की भूमि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार के राजस्व विभाग की अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2-अधिकतम आबटित क्षेत्र-आवश्यकताओं के अध्यधीन अधिकतम क्षेत्र जो आबंटित किया जा सकता है यह निम्नानुसार होगा--

प्रयोजन	अधिकतम क्षेत्र जो आबंटित किया जा सकता है।
(क) प्राथमिक पाठशाला	2 एकड़ (पाठशाला व छात्रावास भवनों तथा खेल मैदानों सहित)
(ख) माध्यमिक शाला	5 एकड़ ,, ,,
(ग) उच्चशाला/उच्चतर मा0	10 एकड़ (स्कूल व छात्रालय भवनों तथा खेल

(174)

तथा मल्टीपरपज स्कूल या के मैदानों सहित)
व0 अध्यापक प्रमाणों पत्र स्कूल

(घ) स्नातक तथा स्नाकोत्तर कालेज 30 एकड़ (कालेज व छात्रालय भवनों तथा खेल के मैदान सहित)

(ङ) सब प्रकार के चिकित्सालय 5/16 एकड़ (कालेज व छात्रालय भवनों तथा खेल के मैदान सहित)

(च) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र " "

(छ) पंचायत घर " "

(ज) धर्मशालाएँ " "

(ञ) मन्दिर, गुरूद्वारे या अन्य धार्मिक स्थान 2000 वर्ग गज

(झ) सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन 5/16 ऐकड़)

स्कूल, कालेज एवं सार्वजनिक भवनों हेतु भूमि का आबंटन, 1963

3. आबंटन के निबन्धन तथा शर्तें—आबंटन निशुल्क होगा। (1–क) आबंटन 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। तीस वर्ष से अधिक समाप्त हो जाने के पश्चात, सरकार स्थिति का पुनरावलोकन कर सकेगी और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हुआ है। जिसके लिए उसका आबंटन किया गया था तथा उसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यवयक हुआ तो अवधि का आगे 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। पट्टे के लिखित प्रारूप-1 में होगा।

2. जब भूमि पर कोई भवन बनाया जा रहा हो और उसे कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित हो गई हो तो कोई भी प्रीमियम या शहरी निर्माण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

3. भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए इसका आबंटन हुआ है और आबंटन से एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिसका भूमि का आबंटन हुआ है।

4. भूमि सरकार में निहित होगी।

परन्तु, शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाये जाने के लिए किसी ग्राम पंचायत को आवंटित की गई हो तो यह पंचायत में निहित होगी।

5. ऐसे भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और दुराशय से उसका स्थानान्तरण, आवंटियों दानग्राही के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जायेगा।

6. प्रत्येक शर्तें के लिए आवंटिती लिखित इकरार के लिए बाध्य होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में किसी का उल्लंघन होने की दशा में भूमि, उसके बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षतिपूर्ति--दावे के वारिस सरकार में निहित होगी।

आवंटन करने वाला प्राधिकारी :—यदि भूमि की आवश्यकता किसी सरकारी विभाग या स्थानीय सत्ता को, पैरा--2 में उल्लेखित किन्हीं भवनों के निर्माण हेतु हो तो उस भूमि का आवंटन उक्त पैरा में निर्दिष्ट माप तक, सम्बन्धित कलक्टर द्वारा किया जा सकेगा। यदि भूमि की आवश्यकता निजी पंजीकृत या अपंजिकृत समिति या संस्था या किसी गैर सरकारी निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हो तो कलक्टर, राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके, करेगा।

5. भू-राजस्व या लगान की छूट--इस आदेश के अधीन आवंटित भूमि भूमि-राजस्व या लगान की छूट, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 90 का उक्त धारा (3) के अधीन सम्बन्धित कलक्टर की स्वीकृति होगी बशर्ते कि भूमि का क्षेत्रफल उपरोक्त पैरा--2 में निर्धारित समय से अधिक न हो।

6. आदेश संख्या एफ-6 (89) रेवन्यू बी./58 दिनांक 20 जनवरी, 1961 का अधिनियम :-

उपरोक्त प्रावधान, स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों आदि के निर्माणार्थ सरकारी :

अधिसूचना सं. एफ-(45) रेवन्यू/73 दिनांक 12-8-85 द्वारा जोड़ा जायेगा। स्कूल कालेज एवं सार्वजनिक भवनों हेतु भूमि का आवंटन नियम--1963

विभागों को भूमि का आवंटन करने पर भी लागू होंगे और इस विभाग का

176

आदेश संख्या एफ--9 (89) रेवन्यू--बी./58 दिनांक 20 जनवरी, 1961 निरस्त किया जाता है ।

प्रारूप--1

यह पट्टा विलेख आज दिनांक.........................सन्........... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिसे आगे "पट्टा कर्त्ता" कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक विशेष या सन्दर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुजा अभिहस्तांकित सम्मिलित है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में श्री.................. पुत्र..................निवासी .... तहसील .... जिला........................ जिसे आगे "पट्टेदार" कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक की विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, के मध्य किया गया है ।

चूंकि पट्टाकर्त्ता, नीचे बताई गई शर्तों पर, पट्टेदार को 30 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए, सहमत हुआ है ।

अब यह विलेख निम्नांकित साक्ष्य करता है :-

1. यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में, पट्टाकर्त्ता एतद् द्वारा कथित भूमि दिनांक............19.............. से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे प्रदान करता है ।

2. यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है--

1. यह कि आबंटन, निःशुल्क होगा ।

2. यह कि पट्टेदारी की अवधि 30 वर्ष के लिए होगी । तीस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है जिसके लिए आबंटित हुई थी और उसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

3. यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए उसका आबंटन हुआ है और आबंटन से एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा जिसके लिए भूमि का आबंटन हुआ है । परन्तु शर्त यह है कि जो

भूमि किसी स्कूल या कालेज सम्बन्धित कृषि प्रयोजन हेतु भी किया सकेगा।

4. यह कि भूमि सरकार में निहित होगी परन्तु, शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाने के लिए ग्राम पंचायत को आबंटित की गई हो, तो यह पंचायत में निहित होगी।

5. उक्त भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तांतरण आवंटिती के अधिकारी परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जायेगा।

6. यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लेख होने की दशा में भूमि उस पर बने निर्माण कार्य सहित किसी क्षतिपूर्ति के दावे वापिस सरकार में निहित हो जायेगी।

राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 10-10-63 द्वारा निरसित।

राजस्थान भू-रास्जव (चूना भट्टा के लिए भूमि का आबटन) नियम, 1965

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षरित	सरकार की ओर से
पट्टेदार	हस्ताक्षरित
साक्षी--1	साक्षी--1
2	2

राजस्थान भू-राजस्व (चूना-भट्टा के लिए अनाधिवासित राजकीय भूमि का आबंटन) नियम, 1958

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1956) की धारा 265 सपठित धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा चूना-भट्टा की स्थापना हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि के आबंटन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात--

1. संक्षिप्त शीर्षक नाम तथा प्रारम्भ--1 ये नियम राजस्थान भू-राजस्व

(178)

(चूना-भट्टा) के लिए अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1965 कहलायेंगे।

1. ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

2. भूमि की श्रेणियां जिनको आवंटित किया जा सकेगा--भट्टों की स्थापना के लिए भूमि का पट्टे पर आवंटन निम्नलिखित श्रेणियों की अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि से हो, जो तहसील के नियन्त्रण में हो, किया जा सकेगा, अर्थात्--

1. अकृष्य भूमियां जिन्हें, गैर मुमकिन या ऊसर वर्गीकृत किया गया है, कब्रिस्तान, चराई के मैदान या चरागाह और जोहड या नाडा और टांकों का पानी या तटबन्धों के रूप में प्रयुक्त भूमि, जिनका पानी ग्राम के पशुओं के उपयोग में आता है, अकृष्य भूमि के रूप में वर्गीकृत होने पर भी उक्त रूपेण आवंटित नहीं की जायेगी या किन्तु यह और भी कि शहर, कस्बा या ग्राम की आबादी के एक किलोमीटर के अर्द्ध-व्यास में चूने का भट्टा को स्थापित करने के लिए किसी भी श्रेणी की भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

2. जहां अकृष्य श्रेणी में वर्गीकृत उपयोग की भूमि उपलब्ध नहीं है, कृषि अयोग्यत भूमियां या बंजड कदीम सात वर्ष से अधिक पडत या बंजड जदीद या पांच या छः वर्ष से पडत के रूप में वर्गीकृत भूमियां, या

3. जहां पूर्ववर्ती खण्डों में वर्णित श्रेणियों की भूमियां उपलब्ध नहीं हैं, निम्नतम बारानी वर्ग की भूमि,

परन्तु सिंचित भूमि जो चाही, नहरी या तालाबी के रूप में वर्गीकृत हो, किसी भी दशा में आवंटित नहीं की जा सकेगी।

3. अधिकतम क्षेत्र जो आवंटित किया जायेगा-चूना भट्टा के लिये आवंटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र [1]एक बीघा से अधिक नहीं होगा। एक बीघा 5/8 एकड के समान माना जायेगा।

---

1. जी. एस. आर 18 दिनांक 18-6-87 द्वारा जोड़ा एवं प्रतिस्थापित किया गया।

(179)

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 784 का विवरण

वर्ष 1994-95 मे खोले गये प्राथमिक विद्यालयों का विवरण ।

जिला	कुल स्वीकृत विद्यालय	निरस्त	शेष रहे स्वीकृत विद्यालय	प्रारम्भ किए गए विद्यालय
1	2	3	4	5
1. अजमेर	53	....	53	44
2. अलवर	125	....	125	112
3. बारां	62	01	61	53
4. बांसवाड़ा	67	....	67	51
5. बाड़मेर	173	....	173	169
6. भरतपुर	52	01	51	47
7. भीलवाडा	76	04	72	60
8. बीकानेर	39	....	39	32
9. बून्दी	49	....	49	49
10. चित्तौड़गढ़	110	03	107	103
11. चूरू	55	....	55	51
12. दौसा	69	02	67	65
13. धौलपुर	38	....	38	27
14. डूंगरपुर	43	....	43	43
15. श्री गंगानगर	89	....	89	67
16. हनुमानगढ़	65	....	65	63
17. जयपुर	170	....	170	168
18. जैसलमेर	13	....	13	13
19. जालौर	38	....	38	32

(१८०)

1	2	3	4	5	6
20.	झालावाड़	91	03	88	88
21.	झुन्झुनूं	58	....	58	43
22.	जोधपुर	63	....	63	60
23.	कोटा	39	01	38	33
24.	नागौर	82	01	81	69
25.	पाली	85	01	84	67
26.	राजसमंद	44	04	40	38
27.	सवाई माधोपुर	92	04	88	79
28.	सीकर	65	....	65	52
29.	सिरोही	18	....	18	13
30.	टोंक	63	01	62	33
31.	उदयपुर	94	....	84	77
	योग :	2180	26	2154	1901

क्र. सं.	जिला	अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र	मरूस्थलीय क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
1.	बांसवाड़ा	77	....	
2.	चित्तौड़गढ़ (पं. स. अरनोद/प्रतापगढ़)	151		
3.	डूंगरपुर	90		

4.	उदयपुर (पं. स. झाडोल, कोटडा, खैराबाद, धरियाबाद, सराडा, सलूम्बर, गिर्वा)	116	
5.	सिरोही (पं. स. आबूरोड)	....	
		434	
6.	बाड़मेर		38
7.	बीकानेर		2
8.	चूरू		35
9.	जैसलमेर		16
10.	जालौर		9
11.	झुन्झुनू		1
12.	जोधपुर		7
13.	नागौर		13
14.	पाली		81
15.	सीकर		158
			360

जिला	एकल अध्यापक शालाओं की संख्या	जिला	एकल अध्यापक शालाओं की संख्या
1. अजमेर	121	18. जैसलमेर	34
2. अलवर	164	19. जालौर	207
3. बांरा	153	20. झालावाड़	—
4. बांसवाड़ा	194	21. झुन्झुनूं	95
5. बाड़मेर	—	22. जोधपुर	454
6. भरतपुर	227	23. कोटा	82
7. भीलवाड़ा	321	24. नागौर	404
8. बीकानेर	232	25. पाली	244
9. बूंदी	223	26. राजसमन्द	295
10. चित्तौड़गढ़	472	27. स. माधोपुर	259
11. चूरू	303	28. सीकर	144
12. दौसा	123	29. सिरोही	98
13. धौलपुर	149	30. टोंक	235
14. डूंगरपुर	67	31. उदयपुर	270
15. श्रीगंगानगर	201		
16. हनुमानगढ़	69	योग :—	6291
17. जयपुर	—		

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची

भाग क्र-सं-संख्या	नाम विद्यालय	छात्रों की संख्या	कार्यरत अध्यापक संख्या
1.	रा.प्र.वि. मारवाड़ जं0	196	7
2.	,, भगवानपुरा	131	4
3.	,, हेमलियावास कलां	72	3
4.	,, हेमलियावास खुर्द	85	4
5.	,, भ्रखावास	91	2
6.	,, लोलावास	75	2
7.	,, गोपावास	47	1
8.	,, रेवड़िया	53	2
9.	,, जोड़ दूदोड़	27	1
10.	,, कारोलिया	52	1
11.	,, घारेश्वर	29	1
12.	,, कोलपुरा	45	1
13.	,, बेरा बिजुड़िया	30	1
14.	,, सूर्यनगर	117	4
15.	,, बिठूडा खुर्द	64	3
16.	,, राजकियावास खुर्द	32	1
17.	,, खारड़ी	177	4
18.	,, जाडन	219	4

(184)

1	2		3	4
19.	रा.प्रा.वि.	जोगड़ावास	90	3
20.	,,	राईकों की ढाणी	115	3
21.	,,	तालका	36	1
22.	,,	कन्या खारड़ी	78	1
23.	,,	गोदावास	76	1
24.	,,	जाडन जागीर	15	1
25.	,,	सुगालिया	52	2
26.	,,	हिंगोला कलां	67	1
27.	,,	कन्या घामली	73	1
28.	,,	कन्या कराड़ी	82	2
29.	,,	कन्या बान्ता	122	1
30.	,,	बान्ता	350	6
31.	,,	नया गांव	43	1
32.	,,	बाड़िया	144	1
33.	,,	पांचेटिया	242	3
34.	,,	गुड़ा हिन्दू	20	1
35.	,,	आऊवा	431	8
36.	,,	देवली	257	5
37.	,,	जैतपुरा	89	2
38.	,,	काढू	78	1
39.	,,	आसन	29	1
40.	,,	ढ़ाणी आउवा	69	1
41.	,,	सांटियों की ढाणी	16	1
42.	,,	जाटियों की ढ़ाणी	17	1

1	2	3	4
43	रा.प्रा.वि. धनला	257	4
44	,, कन्या धनला	129	1
45	,, कोलपुरा	99	1
46	,, मुकनपुरा	57	2
47	,, गुड़ा दुर्गा	99	2
48	,, गुड़ा हिम्मता	21	1
49	,, जोजावर	359	9
50	,, अनजी की ढाणी	76	1
51	,, बांसोर	80	2
52	,, राणानाडी	39	1
53	,, गुड़ा मोपत	59	1
54	,, गुड़ा अजबा	84	1
55	,, गुड़ा मोपा	42	1
56	,, कारवाड़ा	31	1
57	,, ढेलपुरा	44	1
58	,, हुलावट	40	1
59	,, नीवों की खेजड़ी	15	1
60	,, गुडा रामसिंह	165	6
61	,, गुड़ा मोकमसिंह	117	2
62	,, गुडा प्रेमसिंह	94	1
63	,, गुड़ा नवां	60	1
64	,, गुड़ा दुर्जन	59	2
65	,, आसन जोधवन	55	1
66	,, आंगदोष	127	3

1	2	3	4
67	रा.प्रा.वि. फुलाद	193	3
68	,, सिरीयारी	428	6
69	,, पुरानी फुलाद	74	2
70	,, ढाल	56	1
71	,, डिगोर	25	1
72	,, वाणियामाली	85	1
73	,, शिवसागर	112	3
74	,, करमाल	50	1
75	,, गुड़ा गंगा	32	1
76	,, गंवार	31	1
77	,, सारण	240	4
78	,, निचली निम्बड़ी	92	2
79	,, ऊपरली निम्बड़ी	41	1
80	,, राड झालरा	90	1
81	,, गुड़ा धमावता	44	1
82	,, कन्या सारण	56	1
83	,, वोपारी	21	5
84	,, मोजावास	59	2
85	,, माण्डा	283	6
86	,, फूलिया	98	2
87	,, बाली	63	2
88	,, गोलाई की ढ़ाणी	66	2
89	,, रिसाणिया	98	2

1	2	3	4
90	रा.प्रा.वि. हमीरवास	87	2
91	,, बेरा आटलिया	32	1
92	,, झोपड़िया	73	3
93	,, मेलावास	120	4
94	,, दादिया	161	4
95	,, गुड़ागिरी	116	3
96	,, कन्या मेलावास	42	1
97	,, कन्टालिया नं. 1	430	11
98	,, राजोला	109	2
99	,, मुड़िया	74	1
100	,, सिचियावास	58	1
101	,, झिझाई	110	2
102	,, माजीवा का नवोड़ा	88	2
103	,, भीवली	64	1
104	,, मेलाप	101	2
105	,, सूरावास	30	1
106	,, कन्टालिया नं. 2	115	4
107	,, थल	67	1
108	,, कन्या शेखावास	58	1
109	,, पारड़ी	15	1
110	,, गादाणा	268	5
111	,, कन्या राणावास	58	2
112	,, बड़ी	98	2

(188)

1	2	3	4
113	रा.प्रा.वि. गुड़ा रूगनाथसिंह	127	2
114	,, मेहकरण	67	2
115	,, सिचाना	77	2

भाग सं. (2) निर्धारित मापदण्डानुसार 28 अध्यापक कम हैं। 55 विद्यालयों में एकल अध्यापक कार्यरत हैं अतः 55 अध्यापकों की और कमी हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए तत्समय स्वीकृत पदों के आधार पर कार्यवाही चल रही हैं।

पंचायत समिति सोजत

क्र.सं. 1	नाम विद्यालय 2	छात्रों की सं. 3	कार्यरत अध्यापक स. 4	5
भाग संख्या (1)				
1	रा.प्रा.वि. रूपावास	309	5	
2	,, झुपेलाव	143	3	
3	,, हापत	139	2	
4	,, गोदेलाव	88	2	
5	,, वरिआला	33	1	
6	,, बिरावास	64	1	
7	,, चांदासनी	71	1	1
8	,, पोटलिया	53	1	
9	,, नायावास	64	1	1
10	,, पांचवा कलां	153	2	2
11	,, पांचवा खुर्द	90	1	1

1	2		3	4	5
12	रा.प्रा.वि.	अबकाई ढ़ाणी	78	1	1
13	,,	चाड़वास	263	3	
14	,,	शिवढ़ाणी	45	1	
15	,,	लूणेरा	116	2	
16	,,	भाणियां	117	1	
17	,,	विश्नोईयों की ढ़ाणी	85	1	
18	,,	भाटों की ढाणी	58	1	1
19	,,	शोबों की ढ़ाणी	29	1	
20	,,	बिलावास	288	6	
21	,,	धाकड़ी	196	5	1
22	,,	बासनी जोधराज	119	2	1
23	,,	लूण्डावास	128	2	1
24	,,	सण्डारड़ा	60	1	
25	,,	अजीतपुरा	51	2	
26	,,	धाकड़ी (कन्या)	137	2	
27	,,	बिलावास (कन्या)	211	3	
28	,,	मामावास	135	4	
29	,,	बिजलियावास	83	2	
30	,,	बासनी भदावता	66	2	
31	,,	खारीया स्वामी	51	2	
32	,,	गुड़ा बींजा	224	5	1
33	,,	लाडपुरा	53	1	
34	,,	गजनाई	111	1	
35	,,	साण्डामागर	28	1	

(190)

1	2	3	4	5
36	रा.प्रा.वि. खरनीखेड़ा	63	1	
37	,, दादों की ढ़ाणी	37	1	
38	,, खेजड़ी का बाला	32	1	
39	,, रायरा खुर्द	91	2	
40	,, सिगपुरा	87	1	
41	,, चंडावलनगर	307	9	
42	,, साण्डिया	450	14	
43	,, दोरनाड़ी	147	4	
44	,, उदेशी कुआं	117	3	
45	,, गुड़ा बच्छराज	95	2	
46	,, बेरा खारचिया	50	1	
47	,, चामड़ियाक	79	2	2
48	,, बूटलाव	183	3	
49	,, चौकीदारों की ढाणी	49	2	
50	,, रामासनी सादवान	112	2	1
51	,, गूजरों की ढाणी	70	1	
52	,, आरनी	185	2	1
53	,, बेरा हनुमानसार	51	1	1
54	,, कोमल	118	2	1
55	,, बीजपुर	120	2	1
56	,, मरडावास	108	1	2
57	,, कनावास	76	2	
58	,, मालपुरिया खुर्द	50	1	
59	,, मालपुरिया कलां	92	1	1

(191)

1	2	3	4	5
60	रा.प्रा.वि. राइकों की ढाणी	40	1	
61	,, छितरिया	184	3	2
62	,, रून्दिया	157	2	2
63	,, सरदारपुरा	109	5	2
64	,, घंघेड़ी	146	3	1
65	,, बेरा हाडली	103	2	1
66	,, बासनी तिलवाडिया	141	3	1
67	,, बासनी मूथा	54	2	1
68	,, नाथलकुण्डी	99	3	
69	,, सरदारसमंद	196	4	1
70	,, नई ढाणी	96	1	
71	,, चंदलाई	125	1	2
72	,, भाटों की ढाणी	19	1	
73	,, बगड़ीनगर	425	11	
74	,, केलवाद	177	3	2
75	,, पीपलवाड़	189	3	2
76	,, स्वरूपसागर	93	3	
77	,, खोरा खारंचिया	70	2	
78	,, राईकों की ढाणी	154	3	1
79	,, गुड़ा रामसिंह	85	2	
80	,, गुडा कलां	192	2	1
81	,, गुड़ा चुतरा	102	1	
82	,, गुड़ा श्यामा	124	2	1

1	2	3	4	5
83	रा.प्रा.वि. गुड़ा मदावता	55	1	1
84	,, सारंगवास	191	3	
85	,, हीरावास	77	1	
86	,, ढूंढ़ा लाम्बोड़ी	86	2	
87	,, दादी	63	1	
88	,, समदड़िया	19	1	
89	,, केर खेडा	30	1	
90	,, खेड़ा नाबरां	32	1	
91	,, सोजतरोड़ नं. 1	264	8	
92	,, सोजतरोड़ नं. 2	695	17	1
93	,, आलावास	126	3	
94	,, पाचुण्डा खुर्द	162	3	
95	,, सियाट	385	11	
96	,, शोमड़ावास	43	1	
97	,, कोटवालों की ढीमड़ी (बगड़ी)	39	1	
98	,, बेरा नवोड़ा (बगड़ी)	69	1	
99	,, लाखों का खेत (गुड़ा बींजा)	24	1	
100	,, गुन्दावा की पगार (खोखरा)	28	1	

भाग सं. (2) निर्धारित मापदण्डानुसार 45 अध्यापक कम हैं। 42 विद्यालयों में एकल अध्यापक कार्यरत हैं अतः 42 अध्यापकों की और कमी हैं रिक्त पदों को भरने के लिए तत्समय स्वीकृत पदों के आधार पर कार्यवाही चल रही है।

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 787 की सूची

सूची वक्फ जायदाद मस्जिद, दरगाह एवं कब्रिस्तान

क्र.स.	मस्जिद	दरगाह	कब्रिस्तान
1.	मस्जिद देसवालियान	मजार मलिक पीर सा.	कब्रिस्तान मलिक पीर सा.
2.	मस्जिद लागान	मजार पीर उमर शाह	कब्रिस्तान पाल जल थानान
3.	मस्जिद चौबदारान	मजार पहलवान श्री बक्श	—
4.	मस्जिद नक्कानुन मय तकिया	मजार सुल्तान पीर सा.	—
5.	मस्जिद मिर्जा बावड़ी	मजार सत्तार पीर सा.	
6.	मस्जिद काजियान	मजार पीरान समन्द	—
7.	मस्जिद छोपान	मजार गौरी पीर सा.	—
8.	मस्जिद जबर शाह	मजार पीर साहब तालाब की पाल	—
9.	मस्जिद नीलगरान	मजार पीर सा. चौ. बुर्जीवाला	—
10.	मस्जिद व पंचपीर	मजार परी बन्ने सा.	—
11.	मस्जिद सराय मय मजार व तकिया दो	मजार पीर सा. मामू भांजा	—
12.	मस्जिद छोटी मोमियान	मजार कांग शाह पीर सा.	—
13.	मस्जिद छोटी मेजाबियान	तकिया मोहल्ला पलदारान	—
14.	मस्जिद बड़ी मेजाबियान	तकिया मोहल्ला पलदारान	—
15.	मस्जिद मेजाबियान सरावटी गेट		—
16.	मस्जिद व मुसाफिर खाना मय दुकानात व कोठरी, कुआ मदनगंज		—

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न संख्या 793 की सूची

परिशिष्ट "क"

सवाई माधोपुर जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की सूची

क. सं.	नाम समाचार पत्र	नियतकालिका	प्रकाशन स्थल	संपादक का नाम
1.	देश की धरती	दैनिक	सवाईमाधोपुर	श्री प्रदीप जैन (स्थानीय संपादक)
2.	प्रजाजन	,,	गंगापुर सिटी	श्री गोरधन लाल गर्ग
3	जननायक	,,	सवाई माधोपुर	श्री हनुमानप्रसाद जैन (स्थानीय संपादक)
4.	गुलाबी हलचल	,,	सवाई माधोपुर	श्री बृजमोहन शर्मा
5.	ग्रामवाणी	,,	हिन्डोन	श्री रामजीलाल जैन
6.	निर्भिक राजस्थान	,,	,,	श्री रमेश अग्रवाल
7.	राजस्थान इवनिंग न्यूजटाइम्स	,,	सवाईमाधोपुर	श्री महेश शर्मा
8.	बजरिया की भोर	साप्ताहिक	गंगापुर	श्री दिनेश कुमार सिंघल
9.	सही दिशा	,,	करौली	श्री केदारलाल अग्रवाल
10.	सवाईमाधोपुर केसरी	,,	हिन्डोन	श्री सुमेरचन्द जैन

1	2	3	4	5
11.	मुक्त पैगाम	साप्ताहिक	गंगापुर	श्री अरविन्द कुमार गोयल
12.	मण्डी झरोका	,,	,,	श्री नारायण लाल शर्मा
13.	बारुद की गन्ध	,,	,,	श्री दिनेश चन्द गुप्ता
14.	सपनो का राजा	पाक्षिक	हिन्डोन	श्री प्रदीप कुमार धाकड़
15.	बून्दी सन्देश	,,	सवाईमाधोपुर	श्री एस. एल. जैन (पगला)
16.	नवयुवक वार्ताएक्सप्रेस	,,	गंगापुर	श्री शिवचरण मीणा (प्रधान संपादक)
17.	उठती हुई जनपुकार	,,	हिन्डोन	श्री पीरमोहम्मद
18.	विद्युत वेग	,,	सवाईमाधोपुर	श्री सुरेश सोगानी
19.	हम्मीर चेतना	,,	,,	श्री राधेश्याम शर्मा
20.	अमर इण्डिया	,,	,,	श्री जानकी लाल शर्मा
21.	विजयगढ सन्देश	,,	हिन्डोन	श्री दीनदयाल अग्रवाल प्रकाशक
22.	पंचतन्त्र सन्देश	,,	करौली	श्री के. सी. शर्मा (तिवारी)
23.	गगन आलोक	,,	सवाईमाधोपुर	श्री मती गोवर्धनी शर्मा
24.	तलहटी के अंचल से	,,	,,	श्री कन्हैयालाल जांगिड
25.	खूनी कलम	,,	,,	श्री समीउद्दीन
26.	बुलन्द प्रहार न्यूज	,,	हिन्डोन	श्री चन्द्रकेतु बेनीवाल (प्रधान सम्पादक)

(१९६)

1	2	3	4	5
27.	इमाम	पाक्षिक	हिन्डोन	श्री प्रतीकग्रहमद
28.	टोडाभीम समाचार	,,	टोडाभीम	श्री रामचरण ग्रार्य
29.	फोलादी एकता	,,	सवाईमाधोपुर	श्री भूपसिंह
30.	हिण्डोन दिग्दर्शन	,,	हिन्डोन	श्री गोपाल प्रसाद दत्तात्रेय
31.	जगरोटी के अंचल से	,,	,,	श्री जयप्रकाश शर्मा

परिशिष्ट "ख"

अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध है :--

1. राजस्थान आवासन मण्डल के मकानो के लिए ढाई प्रतिशत का कोटा सांसद, विधायक, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 1984 से निर्धारित किया हुआ है।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दिनांक 20 जून, 1973 से सुलभ है।

3. टेलीफोन की प्राथमिकता के लिए अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है।

4. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसो में (वातानुकूलित बसों को छोड़कर). अन्य सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिनांक 15 सितम्बर, 1985 से उपलब्ध है।

5. कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में समाचार संकलन हेतु प्रवेश पत्र जारी करने के लिए निदेशालय द्वारा जिला कलक्टर को सिफारिश की जाती है।

6. राज्य की विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल भेजे जाते हैं।

7. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं सूचना सामग्री छायाचित्र आदि उपलब्ध कराये जाते है।

8. मन्त्रीगण एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं उनके छायाचित्र आदि लेने की व्यवस्था कराई जाती है एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को उनकी मांग पर मन्त्रीगणों व विकास कार्यों के चित्र आदि सुलभ कराये जाते हैं।

9. अधिस्वीकृत पत्रकारों को चुनाव आयोग की अनुमति पर चुनावों के समय पोलिंग बूथ एवं मतगणना स्थल पर समाचार संकलन हेतु जाने हेतु प्रवेश पत्र जारी करने के लिए विभाग द्वारा चुनाव विभाग को सिफारिश की जाती है।

10. पत्रकार कल्याण कोष नियम, 1982 के अन्तर्गत असाध्य रोग से ग्रसित पत्रकारों 60 वर्ष की आयु से अधिक के साधनविहीन पत्रकारों, मृत पत्रकारों के आश्रित आय के साधन विहीन 28 वर्ष से कम आयु के पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

198

11. भूखण्ड आबंटन हेतु यू0 आई0 टी0 नियमों के तहत दो प्रतिशत का कोटा अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए निर्धारित है यह आबंटन लाटरी पद्धति से किया जाता है। परन्तु आबंटन की तिथि के समय पत्रकार की मासिक आय 7,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नही होनी चाहिये।

12. जयपुर की 25 किलोमीटर की परिधि में निवास कर रहे पत्रकारों को रेल किराये में 50 प्रतिशत की रियायत हेतु कूपन बुक जारी करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिया जाता है।

13. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय मे जारी अधिसूचना संख्या 83/93/कस्टम दिनांक 28,2,93 एवं संशोधन पत्र संख्या 520/91/93 कस्टम सिक्स दिनांक 23.6.93 के द्वारा 60,000/- रुपये साठ हजार तक का विदेश से प्रेस सम्बन्धित उपकरण क्रय करने हेतु सीमा शुल्क में शत प्रतिशत छूट देने सम्बन्धित प्रमाण पत्र अधिस्वीकृत पत्रकारों को दिया जाता हैं।

परिशिष्ट-ग

अधिकतम हकदारी के प्रयोजन के लिए समाचार माध्यमों का वर्गीकरण

अधिस्वीकरण की अधिकतम संख्या

	राज्य स्तर पर	खण्ड स्तर पर	जिलास्तर पर
(क) 2000 से 5000 तक बिक्री	1	—	1
(ख) 5001 से 20000 तक की कुल बिक्री वाले	2	—	10
(ग) 20001 से 50000 की कुल बिक्री वाले	3	5	25
(घ) 50001 और इससे अधिक की कुल बिक्री वाले	4	5	25
2- नियतकालिक पत्रिकाएँ			
(क) 2000 से 5000 तक की बिक्री वाले	1	—	—
3. व्यंग्य चित्रकार और मान चित्रकार	1	—	—

4-	प्रेस फोटोग्राफर	1	—	—
5-	समाचार एजेन्सियां			
(क)	राष्ट्रीय स्तर की समाचार एजेन्सियां	3	5	—
(ख)	राज्य स्तर की समाचार एजेन्सियां	1	....	....

6- आकाशवाणी, दूरदर्शन
फुटकर संवाददाता सरकारी मानदण्डों के अनुसार
(समाचार देने के लिए केवल पहचान पत्र जारी किया जावेगा)

नोट :-1, दैनिक पत्रों की समूल्य प्रसार संख्या में मूल संस्करण तथा संयुक्त संस्करणों की कुल बिक्री संख्या जो भी हो जोड़ी जावेगी।

2, समाचार पत्र पूर्व में यह घोषित करें कि उसके पत्र की प्रतियां तक अधिस्वीकृत किया जावेगा ।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 का विवरण

परिशिष्ट-"क"

वर्ष 1994-95 में उदयपुर व जयपुर शहरों की स्वयं सेवी संस्थाओं से नोराड योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण :—

क. सं.	जिला	संस्था का नाम	परियोजना/ट्रेड	आवेदन करने की तिथी	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	पार्वती विकास कल्याण संस्थान उदयपुर	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	11/94	प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये।
2.	"	कविता ज्ञान मन्दिर, उदयपुर	सिलाई केन्द्र	4/94	"
3.	"	बैदिक आर्ट-रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट उदयपूर	बैदिक व ब्लाक निर्माण	9/94	"
4.	"	चित्रगुप्त शिक्षण संस्थान, उदयपुर	हैण्डीक्राफ्ट	4/94	"
5.	"	इण्डियन सोसायटी, उदयपुर	रंगाई छपाई	6/94	"
6.	जयपुर	सरोजनी नायडू एवं महिला उत्थान समिति, जयपुर	सिलाई केन्द्र	4/94	"

1	2	3	4	5	6
7.	जयपुर	राज. शिक्षा परिषद, जयपुर	कम्प्यूटर डेटा एन्ट्री	10/94	प्रस्ताव भारत सरकार को
8.	"	बाल एवं महिला उत्थान समिति जयपुर,	टाइप ट्रेनिंग	10/94	भिजवाये गये ।
9.	"	जैक एण्ड जिला सोसायटी, जयपुर	रेडीमेट गारमेंट	4/94	"
10.	"	स्टूडेन्ट रिलिफ सोसायटी, जयपुर	छपाई	4/94	"
11.	"	राज0 महिला प्रशिक्षण उद्यम एवं विकाम संस्थान, जयपुर	डेटा एन्ट्री	9/94	"
12.	"	स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास रिसर्च सेन्टर, जयपुर	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	12/94	"
13.	"	हाबो ट्रेनिंग पोइन्ट संस्थान, जयपुर	रेडीमेट गारमेंट	2/95	जांच विचाराधीन है ।
14.	"	सोशल पालिसी रिसर्च संस्थान, जयपुर	सिलाई केन्द्र	3/95	"

201

परिशिष्ट-"ख"

वर्ष 1994-95 में उदयपुर व जयपुर शहरों की स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची, जिनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए है :—

क. सं.	जिला	संस्था का नाम	नाम कार्यक्रम	आवेदन करने की तिथि	विशेष विवरण
1.	जयपुर	विक्टोरिया मोन्टेसरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	शिशुपालन गृह	9/94	जांच रिपोर्ट असंतोषजनक हैं।
2.	,,	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	,,	9/94	जांच विचाराधीन हैं।
3.	,,	राज. युवा संगम संस्थान, जयपुर	,,	10/94	जांच विचाराधीन हैं।
4.	,,	जैक एण्ड जिला सोसायटी, जयपुर	,,	12/94	जांच विचाराधीन हैं।
5.	,,	सरस्वती विद्या मंदिर समिति, जयपुर	,,	10/94	जांच विचाराधीन हैं।
6.	,,	ज्ञानोदय शिक्षण केन्द्र, जयपुर	,,	—	प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित
7.	,,	बेला स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	,,	3/95	जांच विचाराधीन है।
8.	,,	ग्रामीण शिक्षा विकास संस्थान, जयपुर	,,	3/95	जांच विचाराधीन है।

(203)

1	2	3	4	5	6
9.	जयपुर	विक्टोरिया मोन्टेसरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर	संगठनात्मक सहायता	11/94	जांच रिपोर्ट असंतोषजनक हैं ।
10.	,,	स्टूडेन्ट रिलिफ सोसायटी, जयपुर	,,	2/95	अपूर्ण आवेदन-पत्र लौटाया गया।
11.	,,	ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान, जयपुर	,,	8/94	प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये।
12.	,,	सेन्ट ए जिला एजूकेशन सोसायटी, जयपुर	,,	6/94	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।
13.	,,	चेतना पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर		4/94	जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

शुद्धि पत्र

दिनांक 27 अप्रैल, 1995

क्र. सं.	स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	25	25	श्री गलाबचन्द कटारिया	श्री गुलाब चन्द कटारिया
2.	29	1	मत्री	मंत्री
3.	45	11	मत्री	मंत्री
4.	145	19	श्री शंलन्द्र जोशी	श्री शैलेन्द्र जोशी
5.	189	फोलियो	माग	मांग
6.	208	23	बरडक	बुरडक
7.	209	1	श्रीं	श्री
8.	209	15	सिंघवीं	सिंघवी